लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—14, गुरुवार, 30 मार्च, 1972/10 चैत्र, 1894 (शक)
No. 14, Thursday, March 30, 1972/10 Chaitra, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्रा० संख्या S. Q. No.		
201. बंगलां देश को पुन:निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिये सहायता	Assistance to Bangla Desh for Reconstruction and other Works	1—4
203. औद्योगिक संबंध विधि में सुधार करने के लिये द्विपक्षीय बैठक	Bi-patite Meeting Regarding Reforms of Industrial Relations Law	4—7
205. भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच बातचीत	Indo-West German Talks	7—8
206. पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध विराम	Cease Fire on Western Front	9—
207. बंगला देश का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश	Entry of Bangla Desh into UNO	10—11
208. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा दिल्ली में महानगर परिषद् के लिये मतदान	Casting of Votes by Staff of NMDC to Metropolitan Conncil in Delhi.	11—13

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
210.	बिहार लघु उद्योग निगम में कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान / EPF Contribution in Bihar Small Industries	13—14
211.	अमरीकी राष्ट्रपति की पीकिंग वार्ता का विवरण भारत को न बताया जाना / India not briefed on US President's Discussion in Peking	14—16
212.	हिन्द महासागर के क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा का प्रस्ताव / Proposal for Collective Security in Indian Ocean Area	16—
214.	एशियाई देशों का शिखर सम्मेलन / Asian Summit Conference	16—17
	प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
202.	तमिल नाडु में कपड़े और इंजीनियरिंग उद्योगों के श्रमिक / Textile and Engineering Workers in Tamil Nadu	17
204.	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का विस्तार / Expansion of Steel Plants in Public and Private Sector	17—18
209.	डबलिन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणराज्य दिवस न मनाया जाना / Non-Celebration of Independence/Republic Day in Indian Embassy at Dublin	18—19
213.	भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कुछ देशों का भारत विरोधी रवैया / Anti Indian Stand of Countries during Indo-Pak War.	19
215.	तमिल नाडु में औद्योगिक अशांति / Industrial unrest in Tamil Nadu	19
216.	एल्यूमीनियम संयंत्रों में सहयोग के लिये हंगरी के प्रतिनिधिमंडल का भारत का दौरा / Visit by Hungarian Delegation to India for Collaboration with Aluminum Plants	19—20

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
217. श्रीलंका से स्वदेश लौटे लोगों के लिये बागान योजनाएं	Plantation Schemes for Ceylone Repatriates	20—21
218. श्रीलंका में भारतीय	Indians in Ceylone	21
219. भारत रूस आयोग	Indo-Soviet Commission	21—22
220. वाराणसी में छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up a Mini Steel Plant at Varanasi	22

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1497. ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन पर लगाया गया प्रतिबंध	Restriction imposed on British Broadcasting Corporation	22
1498. राज्यों को लोहे, इस्पात, अल्यूमिनियम, जिंक आदि का आवंटन	Allotment of Iron Steel Aluminum Zink to States	23
1499. शिक्षा पूरी करने और रोजगार प्राप्त करने में समय अन्तराल	Time lag between Completion of Education and getting Employment	23
1500. भारतीय युवतियों को झूठे वायदे करके विदेश भेजने के मामलों की जांच	Inquiry into sending of Indian Girls to foreign countries on false promises	23—24
1501. चीन का भारत से विरोध	Protest to India by China	24
1502. अफ्रीकी-एशियाई देशों का सम्मेलन	Conference of Afro-Asian Countries	24
1503. बिहार में बंगला देश के शरणार्थी	Bangla Desh Refugees in Bihar	24—95
1504. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग, त्रिवेन्द्रम के लिये कार्यालय भवन तथा कर्मचारी क्वाटरों का निर्माण	Construction of Office Building and Staff Quarters for R. P. F., Trivandrum	25

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	Subject	Pages
1505. श्रीलंका में भारतीय	Indians in Ceylon	25—26
1506. श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीय	Repatriates from Ceylon	26
1507. रोजगार के अवसर पैदा करने की प्रवृत्ति	Trend in Generation of Employment Opportunities	26—27
1508. अजमेर के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास अनिर्णीत पड़े मामले	Cases pending with Regional Labour Commissioner, Ajmer	27
1509. केरल में इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Steel Plant in Kerala	27
1510. भारतीय खाद्य निगम द्वारा बंगला देश को गेहूं और चावल का निर्यात	Export of Wheat and Rice to Bangla Desh by Food Corporation of India	28
1511. बंगला देश से अखबारीक कागज का आयात	Import of Newsprint from Bangla Desh	28
1512. ब्रिटिश विदेश मंत्री के साथ हुई वार्ता	Talks held with British Foreign Secretary	28—29
1513. शरणार्थियों के लिये तम्बू खरीदने सम्बन्धी फाइल का गुम हो जाना	Missing File Regarding Purchase of Tents for Refugees	29
1514. बंगला देश से भारतीय सेना की वापसी	Withdrawal of Indian Army from Bangla Desh	29
1515. शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये बंगला देश को भारतीय सहायता	Indian Assistance to Bangla Desh for Rehabilitation of Refugees	29—31
1516. भारत में इफ० बी० आई० का विस्तार करना	Expansion of F. B. I. into India	31
1517. बंगला देश को उसकी रेल व्यवस्था के लिये ऋण	Loan to Bangla Desh for its Railway System	31

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1518. उपभोक्ता मूल्क सूचकांक में वृद्धि	Rise in Consumer Price Index	31—32
1519. मारीशस को आर्थिक सहायता	Economic Aid to Mauritious	32
1520. संयुक्त राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी समिति के दूसरे अधिवेशन में भारत द्वारा भाग लेना	India's Participation in Second Session of U. N. Natural Resources Committee	33
1521. कोयला खनन, अलोह धातुओं के निकालने, भारी मशीनरी और पोत परिवर्तन के मामलों में सहयोग की व्यवस्था करने हेतु भारत और पोलैंड द्वारा संलेख पर हस्ताक्षर	Protocol Signed between Poland and India for providing Collaboration in Coal Mining Exploitation of Non-Ferrous Metals, Heavy Machinery and Shipping	33—34
1522. गैर-सरकारी उद्योग की ओर से नवल टाटा दल का बंगला देश का दौरा	Visit by Naval Tata Team on behalf of Private Industry to Bangla Desh	34
1523. संविधान में आधारभूत अधिकारों में काम करने के अधिकार को सम्मिलित करना	Incorporation of Fundamental Right to work in Constitution	34
1524. बंगला देश के प्रधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श	Discussion with Prime Minister of Bangla Desh	34
1526. हिंद महासागर को सैनिक अड्डों का क्षेत्र बनने से रोकने के लिये भारत और ब्रिटेन द्वारा संयुक्त कार्यवाही	Joint move by India and UK for Preventing the Indian Ocean from becoming an Area of Armed Forces	35
1527. बंगला देश की विदेशी मुद्रा में वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bangla Desh in Foreign Exchange	35
1528. भारत-बंगला देश व्यापार	Indo-Bangala Desh Trade	35—36
1529. ग्राम्य क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिये योजनाओं की समीक्षा	Review of Schemes to solve Educated Unemployment in Rural Areas	36

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1530. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में घाटा	Loss incurred in H. S. L	36—37
1531. दिल्ली प्रशासन में स्टेनोग्राफी प्रशिक्षक	Stenography Instructors in Delhi Administration	37
1532. भारत सुरक्षा नियम लागू करने के लिए राज्य सरकार का अधिकार	Powers to invoke defence of India Rules by a State Government	37—38
1533. खनिजों में आत्मनिर्भरता के लिये प्रयत्न	Exploration for self-sufficiency in Minerals	38
1534. कोयला मजूरी बोर्ड पंचाट का क्रियान्वयन	Implementation of Coal Wage Board Award	38—39
1535 भारत-जापान वार्ता	Indo-Japan Talks	39
1536. इसराइल के साथ राजनीतिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with Israel	39
1537. जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन	Geneva Disarmament Conference	39—40
1538. कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिये अशोधित पेट्रोलियम ले आ रहे तेलवाहक जहाजों को ठहरने की सुविधायें देने से श्रीलंका का इन्कार	Ceylon's Refusal of Berthing Facilities for Tankers Carrying Crude Petroleum to Cochin Refinary	40
1539. सरकारी उपक्रमों के लिए विदेशी सहायता	Foreign Aid for Public Sector Undertakings	41
1540. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के पूंजीगत ढांचे का पुनर्गठन	Recognition of Capital Structure, of HEC, Ranchi	41
1541. खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड द्वारा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendation of Expert Committee by Mining and Allied Machinery Corporation	42

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1542. लघु तथा सामान्य उद्योगों में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Small and general Industries	42
1544. शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed	42—44
1545. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, दिल्ली के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Staff quarters for EPFO, Delhi	44
1546. दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियो को मकान किराया भत्ता	House Rent to EPF employees in Delhi	44—45
1547. अमलाबाद कोयला खान के राष्ट्रीयकरण से पूर्व उसके प्रबन्धकों द्वारा मशीनरी का हटा लिया जाना	Removal of Machinery by Amlabad Colliery before take over	45
1548. पाकिस्तानी नागरिकों का भारत होकर पाकिस्तान जाना	Entry of Pakistan Nationals to Pakistan through India	45—46
1549. प्रशिक्षण स्तर सम्बन्धी अध्ययन दलों का प्रतिवेदन	Reports of study Groups on training standards	46
1550. इंजीनियरिंग टैक्नालाजी में स्नातकों और डिपलोमा-धारियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण को शिशु अधिनियम के अन्तर्गत लाना	Bringing of Practical Training of Graduates and diploma holders in Engineering Technology under purview of Apprentices Act	46
1551. बन्द पड़े कारखानों के कर्मचारियों की वित्तीय सहायता	Financial assistance to workers of clo Factories	
1552. छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित के लिये वित्तीय सहायता	Financial assistance for setting up Mini Steel Plants	47
1553. अमरीका पाकिस्तान रक्षा संधि	U. S-Pak Defence Pact	47
1554. कालकाजी, नई दिल्ली स्थित पूर्व पाकिस्तान विस्थापित कालोनी में प्लाटों का आबंट	Allotment of plots in E. P. D. P. Colony Kalkaji, New Delhi	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1555. इस्पात के आयात के लिये लाइसेंस देना	Issue of Import Licences regarding Import of Steel	48
1556. सरगुजा कोयला क्षेत्र में कोयले का उत्पादन	Production of Coal in Sargaja Coal fields	48
1557. लोहा और इस्पात उद्योग के समन्वित विकास के लिए एक कम्पनी की स्थापना	Setting up of a company for Coordinated Development of Iron and Steel Industry	48—49
1558. बेरोजगार व्यक्तियों के लिये समेकित विकास कार्यक्रम	Integrated Development Programme for Unemployed	49—50
1559. समाचार भारती में पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना	Implementation of Journalist Wage Board Recommendations to Samachar Bharti	50
1560. बोनस सम्बन्धी खाडिलकर सूत्र को कानपुर कपड़ा मिलों में लागू करना	Implementation of Khadilkar Formula on Bonus in Kanpur Textile Mills	50—51
1561. खेतड़ी तांबा परियोजना का पूरा किया जाना	Completion of Khetri Copper Project	51—52
1562. भारत में इस्पात की उत्पादन लागत	Cost of Production of Steel in India	52
1563. शरणार्थियों द्वारा खाली किये किये गए शिविरों का उपयोग	Use of Camps vacated by Refugees	52—53
1565. मजदूर संघों का एकीकरण	Unification of Trade Unions	53
1566. सरकारी सेवाओं में रोजगार दर में वृद्धि	Growth Rate of Employment in Services	53
1567. रेलवे में कर्मचारी भविष्य निधि	E. P. F. in Railways	53
1568. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन बिहार की कोयला खानों में मजदूर संघ	Labour Unions in Coal Mines in Bihar under NCDC	53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1569. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिये प्रतिनिधिमंडल भेजने हेतु प्रकिया पर पुनर्विचार	Review of procedure for sending ILO Delegation	54
1570. दिल्ली में श्रमिकों को कम मजूरी का भुगतान करना	Underpayment to Laboures in Delhi	54—55
1571. औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन	Amendment of Industrial Disputes Act	55
1572. भारत पोलैंड समझौता	Indo-Polish Agreement	55
1573. अरब देशों द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Arab Propaganda against India	55—56
1574. भारतीय इंजीनियरी निगम, रांची के फाउन्डरी फौर्ज संयंत्र में प्रेस	Press in Foundry Forge Plant of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	56
1575. राउरकेला इस्पात संयंत्र की सुरक्षा से सम्बद्ध कर्मचारियों को रोजगार देना	Employment to Secruity Personnel of Rourkela Steel Plant	56—57
1576. राउरकेला इस्पात संयंत्र की वेगन रिपेयर शाप के एक मजदूर की मृत्यु	Death of a Worker of Wagon Repair shop of Rourkela Steel Plant	57
1577. राउरकेला इस्पात संयंत्र में मजदूरों के लिए दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन	Publication of Advertisements in Dailies for Workers of Rourkela Steel Plant	57
1578. श्रमिकों का जीवन बीमा	Life Insurence for Laboures	58
1579. गुजरात के कपडा उद्योग में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Textile Industry in Gujarat	58
1580. नये इस्पात कारखानों में उत्पादन	Production in new Steel Plants	58
1581. श्रमिकों का प्रबन्ध में भाग लेना	Workers' Participation in Management	58—59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1582. कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of cocking coal Mines	59
1583. कलकत्ता पत्तन के श्रमिकों की हड़ताल	Calcutta Port Workers Strike	59
1584. औद्योगिक एककों द्वारा इस्पात का दुरुपयोग	Misuse of Steel By Industrial Units	60
1585. भारत संयुक्त अरब गणराज्य सम्बन्धों पर भारत पाकिस्तान युद्ध का प्रभाव	Effect of Indo-Pak War Indo-UARRelations	60
1586. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by employees of National Mineral Development Corporation in New Delhi	60
1587. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिल्ली के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	Construction of office building for E. P. F. O. Delhi	61
1588. कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि के वार्षिक विवरण जारी करना	Issue of annual E. P. F. statements to subscribers	61
1589. कर्मचारी भविष्य निधि विवरण में अनियमितताएं	Irregularities in the EPF statement of accounts	62
1590. सभी उद्योगों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करने के लिये अनुसूची शीर्ष का हटाया जाना	Removal of schedule head to extend EPF Act to all Industries	62
1591. केरल में एल्युमीनियिम के निक्षेपों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण	Survey regarding Aluminium deposits in Kerala	62—63
1592. पाकिस्तानी जेलों में भारतीय राष्ट्रिक	Indian Nationals in Pak. Jails	63

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1593. नये प्रस्तावित इस्पात कारखानों के लिये सामान्य श्रम नीति	Common labour policy for proposed new steel plants	63—64
1594. केरल में बेरोजगारी	Unemployment in Kerala	64
1595. खनिज निक्षेपों के सर्वेक्षण के बारे में राज्यों से शिकायतें	Complaints from States regarding survey of mineral deposits.	64
1596. तटस्थ राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक	Meeting of Foreign Ministers of Non-aligned countries	64—65
1597. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात का निर्यात	Export of Steel by Minerals and Metals Trading Corporation	65
1598. दक्षिण वियतनाम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भारतीय सदस्यों को बीसा देने से इन्कार	Refusal of visas to Indian Members of ICC by South Vietnam	66
1599. सामूहिक सौदेबाजी	Collective Bargaining	66—67
1600. सिम्पसन समूह की कम्पनियों का बन्द किया जाना	Closure of Simpson Group of companies	67
1601. स्वर्गीय मदन लाल ढींगरा की अस्थियों का लन्दन से भारत लाया जाना	Bringing back of Ashes of Late M. L. Dhingra from London	67
1602. उड़ीसा के तूफानग्रस्त क्षेत्रों की सहायता	Assistance for Cyclone affecting Orissa	68
1603. बिहार में बेरोजगारी	Unemployment in Bihar	68—69
1605. चूना, बाक्साइट, कोयला आदि के निक्षेप वाले मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का आरक्षण	Reservation of Areas containing deposits of Lime Stone, Bauxite and Coal in M. P.	69—70
1606. उड़ीसा में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों को तूफान/बाढ़ सम्बन्धी अग्रिम	Cyclone/Flood advance to Employees of NCDC at Orissa	70

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of urgent Public Importance	70
केरल में नारियल जटा कताई यार्ड के बन्द होने का समाचार	Reported closure of coir spinning yards of Kerala	70
श्री सी. एम. स्टीफन	Shri C. M. Stephen	70—73
श्री ए. सी. जार्ज	Shri A. C. George	73
स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Motion for Adjournment (Query)	74
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Teble	74—76
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	76
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	77
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	77
16वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report	77
सभा का कार्य	Business of the House	77—78
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	78
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	78—79
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	79—80
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jit Yadav	80—82
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	82—84
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankaa	84—85
श्री टी. एस. लक्ष्मणन्	Shri T. S. Lakshmanan	85—86
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh	86
कुछ रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में विधेयक पुरःस्थापित	Re. Strike by some Railwaymen Bills—Introduced	

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1. व्यवसायी स्थपति विधेयक—श्री के. लकप्पा द्वारा	Practising Architects Bill by Shri K. Lakkappa	86
2. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74, 75 आदि का संशोधन)—श्री ए. के. गोपालन द्वारा	Constitution (Amendmant) Bill (Amendment of articles 74,75 etc.) by Shri A. K. Gopalan	87
3. संविधान संशोधन विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)—डा० कर्णी सिंह द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Eighth Schedule) by Dr. Karni Singh	87
4. कीमत नियंत्रण विधेयक—(डा० कर्णी सिंह द्वारा	Price Control Bill by Dr. Karni Singh	87
5. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 और 39 का संशोधन)—डा० कर्णी सिंह द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 19 and 39) by Dr. Karni Singh	88
6. संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)—श्री रतनलाल ब्राह्मण द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Eighth Schedule) by Shri Rattanlal Brahman	88
संविधान (संशोधन) विधेयक—वापस लिय गया।	Constitution (Amendment) Bill—withdrawn	88
(अनुच्छेद 141 का संशोधन और नए अनुच्छेद 143-क आदि का अन्तःस्थापन)—श्री सी. एम. स्टीफन	(Amendment of Articte 141 and Insertion of Now Article 143-A, etc.) by Shri C. M. Stephen	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री सी. एम. स्टीफन	Shri C. M. Stephen	88—91
श्री. के. एम. मधुकर	Shri K. M. Madhukar	91—92
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	92
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	92—93

विषय	Sudject	पृष्ठ Pages
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Shngh Chaudhary	
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 153-क का प्रतिस्थापन)—श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा	The Indian Penal Code (Amendment) Bill Substitution of Section 153-A by Shrimati Subhdra Joshi	94—95
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhada Joshi	95
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	95
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	96—97
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	97
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	98

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 30 मार्च, 1972/10 चैत्र, 1894 (शक)
Thusday, March 30, 1972/ Chaitra 10, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Two rninutes post Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Assistance to Bangla Desh for Reconstrucution and other works

+

* 201. **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to give any assistance for reconstruction and other works in Bangla Desh after her liberation struggle; and

(b) if so, whether any amount has been given to them so far for the purpose ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार बंगला देश के पुनर्निर्माण और विकास के लिए यथासम्भव सहायता दे रही है ।

(ख) सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है ।

विरणव

बंगला देश को वित्तीय सहायता

निम्नलिखित ऋणों और अनुदानों की घोषणा की गई है—

तात्कालिक आवश्यकताएं :

1. 25 करोड़ रुपये का अनुदान सामान की खरीद और सेवाओं के लिए।
2. अनुदान के आधार 4,00,000 टन गेहूं और 1,00,000 टन चावल की सप्लाई जिसकी कीमत लगभग 53.3 करोड़ रुपये होगी।

3. 'बंगला देश विमान' के प्रयोग के लिए 200 सीरीज दो फोकर फ्रैंडशिप एफ 27 विमानों की खरीद के वास्ते ऋण जिसकी शर्तें अभी तय होनी है। इसके अतिरिक्त 'बंगला देश विमान' के विमान चालकों की जमीन पर और विमान उड़ाने का प्रशिक्षण देने में 1,79,000-00 रुपये का खर्च।

4. 30 लाख रुपये मूल्य का दूर संचार के सामान के लिए ऋण जिसकी शर्तें अभी तय होनी हैं।

5. 50 लाख पौंड की विदेशी मुद्रा का ऋण जो पांच वर्ष की छूट की प्रारम्भिक अवधि के बाद 15 वर्ष में चुकाया जाएगा और उस पर ढाई प्रतिशत दर से ब्याज लगेगा।

6. 18.58 करोड़ रुपए का अनुदान जो उस रकम के बराबर होगा जो बंगला देश की सरकार शरणार्थियों के बंगला देश लौटने पर उन्हें नकद अनुदान के रूप में देगी।

7. राहत सामग्री, जिसमें 800 ट्रक भी शामिल है। 4-3-72 तक 5.92 करोड़ रुपये के मूल्य की राहत सामग्री पहुंचाई गई।

8. दूर संचार सम्बन्धी सामग्री, उपकरणों की स्थापना, मुद्रण और लेखन सामग्री, बंगला देश के डाक तथा तार विभाग की जरूरत को पूरा करने के लिये भेजी गई सामग्री आदि पर डाक तथा तार विभाग द्वारा वहन खर्च के रूप में 11,06,000 रुपये।

9. सिविल विमानन महानिदेशालय से 28,825 रुपये मूल्य की दूर संचार सम्बन्धी सामग्री उपहार के रूप में।

यह सहायता भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा किये गये असैनिक निर्माण कार्य तथा 'नागरिक कार्य सम्पर्क कार्यालय' के उन 28 अधिकारियों द्वारा दी गई सहायता के अतिरिक्त है जो बगला देश सरकार में कार्य कर रहे हैं। इन दो मदो का खर्च अभी मालूम नहीं है।

मध्यकालिक सहायता :

1. 10 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण जो पांच वर्ष की छूट की अवधि के बउद 20 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा और जो बंगला देश की रेल-व्यवस्था पुनः स्थापित करने पर खर्च किया जाएगा।

2. बंगला देश शिपिंग कारपोरेशन द्वारा भारत से दो जहाज खरीदने के लिए ऋण जिसकी शर्तें अभी तय होनी हैं।

3. 8.1 करोड़ रुपये के मूल्य का कच्चा तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा में संभरक साख पत्र जो $6\frac{1}{4}\%$ प्रतिवर्ष के ब्याज की दर पर पांच वर्षों के अन्दर प्रतिदेय है।

Shri Shiv Kumar Shastri : It appears from the statement made by the hon. Minister that after the liberation of Bangla Desh, help was not stopped but rather that they are prepared to extend help to Bangla Desh by way of grants and loans for her reconstruction. May I know whether our Government have any have been Communicated by Bangla

Desh Government regarding total loss of life and property during the best war and how much aid the Government purpose to give her by way of grants and loahs to help her recoup the loss ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही एक विवरण सभा-पटल पर रख चुका हूं जिसमें ऋण के रूप में सहायता दिया गया ऋण, विदेशी मुद्रा और अनुदान के रूप में सहायता का ब्यौरा है ।

Shri Shiv Kumar Shastri : I have asked different question. I wanted to know the total loss suffered by Bangla Desh and whether Government have collected any information in that regard and if so to what extent. Indian Government propose to help her by way of loan and aid ?

श्री स्वर्ण सिंह : बंगला देश तथा वहां की जनता को हुई कुल क्षति का अनुमान लगाना संभव नहीं है । क्षति इतनी अधिक हुई कि धन के रूप में उसका निर्धारण करना शायद संभव नहीं है । उदाहरणार्थ, शेख मुजीबुर्रहमान के अनुसार 30 लाख व्यक्ति मारे गये; 1 करोड़ व्यक्ति शरणार्थी बन गये तथा 2 करोड़ व्यक्ति बे-घर हो गये ।

Shri Shiv Kumar Shastri : As a result of the persuasion by our Government and Un. Govt. of Soviet Union most of the countries of the world have started recognising Dangla Desh. May I knaow whether Government propose to withdraw the additional levies in India in the name of refugees relief and if not, how long they will continue ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह यह प्रश्न वित्त मंत्री को सम्बोधित करें ।

श्री एस. एम. बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने बंगला देश के ऐतिहासिक मुक्ति आन्दोलन के पश्चात् पुनर्निर्माण हेतु बंगला देश सरकार को ऋण दिये हैं । प्रधान मंत्री के हाल के बंगला देश के दौरे से भी वहां के लोगों को यह उल्लास और विश्वास मिला है कि भारत उनकी सहायता करने में पीछे नहीं रहेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय सहायता तथा ऋणों के अतिरिक्त भी बंगला देश सरकार ने इसमें उन लोगों के स्थान भरने के लिये कुछ तकनीशियन और इंजीनियर मांगे हैं जो उक्त संघर्ष के दौरान समाप्त हो गये थे, तथा क्या भारत सरकार ऐसे कुछ इंजीनियर, तकनीशियन और वैज्ञानिक वहां ऋण रूप में भेज रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : बंगला देश को तकनीकी जानकार तथा इंजीनियर भेजने में कोई कठिनाई नहा होगी । मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार की कोई पक्की मांग की है । यदि वह कहेंगे तो हम निश्चय उनके पुनर्निर्माण काम के लिये अपने इंजीनियर आदि भेज देंगे ।

जहां तक धन और सामग्री की सहायता की बात है पहले ही इस उद्देश्य के लिए कुछ सहायता भेजी जा चुकी है और कुछ समय पश्चात् हम फिर इस बारे में बोल सकते हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister is right when he says that it is difficult to assess the real loss of Bangla Desh : but would the Government of India help Bangla Desh Government in their effort of, getting compensation from Pakistan for his loss. Will this point he raised when a dialogue is spend with Pakistan ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह तोबंगला देश के प्रतिनिधियों और वहां की सरकार का काम है कि वे इस प्रश्न पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ विचार करें ।

श्री समर गुह : जूट और चाय के मामले में बंगला देश और भारत के हित एक समान हैं और इन्हीं पदार्थों से बंगला देश भी विदेशी मुद्रा कमाता है, और हम दोनों का बाजार भी एक ही है : तो क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बंगला देश क्या भारत के लिये कोई एक समान नीति बनाने पर विचार करेगी ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक सुझाव है और मैं इसे विदेश व्यापार मंत्री को भेज दूंगा ।

औद्योगिक सम्बन्ध विधि में सुधार करने के लिए द्विपक्षीय बैठक

* 203 **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री रामकुंवर के :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक सम्बन्ध विधि में सुधार करने के बारे में देश के तीन प्रमुख कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी हाल ही में कोई बैठक हुई थी ।

(ख) यदि हां, तो तीनों कार्मिक संघों ने इस सम्बन्ध में क्या मुख्य सुझाव दिये; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) : श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने मजदूर संघों को मान्यता, औद्योगिक सम्पर्क प्रणाली में सामूहिक सौदेकारी की भूमिका, हड़ताल करने के हक आदि से सम्बन्धित अपने विचार विमर्शों के परिणाम और किये गये सीमित समझौते के बारे में केन्द्रीय श्रम मंत्री को अवगत कराया । भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा के इन प्रतिनिधियों ने अपने अंतिम सम्मत प्रस्ताव, नियोजकों और श्रमिकों के कार्यकारी दल की अगली बैठक, जो इस प्रयोजन के लिए शीघ्र ही बुलाई जाने वाली है, में विचारार्थ, अभी संसूचित करने हैं ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या सरकार ने हड़ताल और तालाबन्दी पर तीन वर्ष तक रोक लगाने का भी कोई सुझाव दिया था और यदि हां, तो कर्मचारी संघों ने इस सम्बन्ध में क्या विचार व्यक्त किये तथा उन पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जी हां, यह सच है कि भारत के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से एक सुझाव दिया था कि हड़तालों तथा तालाबन्दियों पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जानी चाहिये बाद में प्रधान मंत्री ने भी उसी बात को दोहराया था । यह सुझाव औद्योगिक शांति पैदा करने के लिये दिया गया था । इस प्रकार हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था । इस विचार से हमने एक न्यूनतम समझौता कराने के लिए तीनों राष्ट्रीय केन्द्रीय संस्थाओं से बातचीत आरंभ की है ताकि औद्योगिक शांति का वातावरण बनाये रखा जा सके और उत्पादन स्तर को ऊंचा रखा जा सके ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : उन्होंने उक्त सुझाव का केवल जिक्र ही किया था जबकि मैं विशेष रूप से संघों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के बारे में पूछा है।

श्री आर० के० खाडिलकर : कुछ संघों के प्रवक्ता, कभी-कभी, सदैव ही नहीं, इस सुझाव के महत्व को नहीं समझते हैं। उन्होंने समझा कि इस अभिप्राय हड़तालों के अधिकार को कम करना है। राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित तथा प्रधान मंत्री द्वारा दोहराये गये इस सुझाव में ऐसा कोई अभिप्राय निहित नहीं है। इसमें कर्मचारियों को उनके अधिकारों के वंचित करने का मन्शा नहीं बल्कि यह एक अपील थी कि उक्त अवधि में जहां तक संभव हो हड़ताल से अधिकार का उपयोग न किया जाये।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रबन्ध में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व असफल रहा है क्योंकि प्रबन्ध ढांचे में अब भी जातिवाद का बोलबाला है चाहे वह प्रबन्ध सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर-सरकारी संघ में ? इस निष्कर्ष पर पहुंचने के क्या आधार हैं तथा इस स्थिति को जोकि कर्मचारियों के हितों के लिये हानिकारक है, समाप्त करने के लिये कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने ऐसा वक्तव्य दिया था। कर्मचारियों को प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व देने की हमारी आकांक्षा पर यथेष्ठ प्रतिक्रिया नहीं हुई है। प्रबन्ध-ढांचे में कुछ त्रुटियां हैं। मैंने उसमें चल रहे एक प्रकार के जातिवाद का जिक्र किया था। इसके कारण, कर्मचारियो को समान दर्जा नहीं दिया गया था और उन्हें प्रबन्धकों के सामने आई समस्याओं को सुलझाने हेतु साथ नहीं लिया जाता था।

श्री **प्रसन्न भाई मेहता** : क्या इस स्थिति को दूर करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हम ऐसा वातावरण पैदा करेंगे। व्यापक सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रबन्धों को नई दिशा दी जायेगी। जब हम कहते हैं कि कर्मचारियों का प्रबन्ध में भाग हो तो उन्हें समझना चाहिए कि वे उत्पादन में भी सहयोगी हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार ने यह भी सोचा है कि हड़ताल पर रोक लगाने के पूर्व मूल्यों और मुनाफों पर रोक लगानी चाहिए ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : निस्सन्देह, सरकार को यह भी देखना होगा। मूल्य वृद्धि पर रोक लगानी होगी इस लक्ष्य की ओर भी साथ-साथ कदम बढ़ाये जा रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप चाहे इसे विलम्बन कहें या और कुछ, परन्तु इसका अर्थ केवल हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाना ही है। इससे पूर्व मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्री महोदय को मालूम है कि काफी समय हुआ राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में जहां केन्द्रीय कर्मचारी संघ एकत्रित हुए थे, एक सुझाव दिया गया था कि समूचे भारत में एक राष्ट्रीय न्यूनतम मन्जूरी होनी चाहिये।

क्या हड़तालों पर विलंबन से पूर्व यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ? क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने को तैयार है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने हड़तालों पर इस रोक को गलत समझा है। वस्तुतः इसमें हड़तालों पर प्रतिबन्ध का कोई प्रश्न नहीं है। इसका अभिप्राय तो उद्योगों में प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच शांतिपूर्ण वातावरण पैदा करने का है।

इसके अतिरिक्त अपने आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए देश में सभी कर्मचारी संघों के सामने रखे गये उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री के० गोपाल : आज देश में अनेक ऐसे उद्योग हैं जहां किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी गई है। इस दृष्टि से क्या मंत्री महोदय का विचार है कि औद्योगिक सम्बन्ध कानून में कुछ इस तरह के सुधार लाये जायें कि प्रत्येक उद्योग में किसी न किसी कर्मचारी संघ को अवश्य मान्यता मिल जांय। उदाहरणार्थ सरकारी उपक्रमों में अनेक संघ में परन्तु उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है जैसे अवाडी स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में 3000 कर्मचारी है परन्तु वहां किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी गई है। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि प्रत्येक उद्योग में किसी न किसी संघ को अवश्य मान्यता दी जायेगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : नियोक्ताओं तथा केन्द्रीय कर्मचारी संघों के साथ बातचीत आरंभ करने का उद्देश्य ही मान्यता देना तथा किसी बिचौलिये का निश्चय करना था। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कर्मचारियों के संघों के मध्य परस्पर प्रतिद्वन्द्वता है। छोटे-छोटे संघ अधिक समर्थ के बिना ही खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास है कि प्रत्येक उद्योग में प्रतिनिधि संघ को तुरन्त मान्यता दे दी जाये।

श्री भोगेंद्र झा : अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने की भावना का सम्मान करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इसी भावना को लेकर श्रम मंत्री श्री खाडिलकर ने रेलवे कर्मचारियों से सहयोग करने की लिखित अपील की और उन कर्मचारियों ने इस अपील का आदर किया और उन्होंने इस आश्वासन पर अपनी हड़ताल समाप्त कर दी कि उनका शोषण नहीं किया जायेगा। परन्तु मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उक्त आश्वासन के विरुद्ध प्रायः 4500 कर्मचारियों का शोषण किया गया है तथा गत 13 महीनों से 25 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित कर रखा है; और क्या उन्होंने कर्मचारियों में विश्वास बनाये रखने के लिए कोई कार्यवादी की है ?— **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न की सीमा से बाहर जा रहे हैं यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री बसन्तराव पुरुषोत्तम साठे : जबकि हड़तालों के विलंबन संबंधी अपील का स्वागत हुआ है, तो क्या सरकार औद्योगिक कानून में कुछ सुधार करेगी ताकि उन औद्योगिक विवादों का शीघ्र निपटारा हो जाये जिनसे औद्योगिक संबंधों को आघात पहुंच रहा हे तथा लोग हड़ताल करने को, प्रोत्साहित हो रहे हैं ? क्या सरकार केन्द्र में इस कानून में यथेष्ट सुधार सभी स्थानों के लिये समानता लाने का प्रयास करेगी ? आज इसके कारण देश में असन्तोष है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये। प्रश्न पूछने के बाद विवाद में मत पड़िये।

श्री आर. के. खाडिलकर : माननीय सदस्य ने सही स्थिति का जिक्र किया है व्यवस्था कोई भी हो, औद्योगिक विवाद तुरन्त हल नहीं हो जाते। अतः हमने ऐसे कदम उठाये हैं कि तीनों राष्ट्रीय संघ तथा नियोक्ता एक कर्मकारी दल के रूप में मिल-बैठे तथा औद्योगिक विवादों को हल करने के संबंध में राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा प्रस्तावित सुझावों तथा भिन्न उद्देश्यों पर अपनी सहमति बनायें। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यदि किसी कारण कोई समझौता नहीं होता है तो सरकार अधिक प्रतीक्षा किये बिना ही यह सुनिश्चय करने के लिये तुरन्त ही उचित क़दम उठायेगी कि औद्योगिक विवादों के हल के लिये कोई व्यवस्था गठित की जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai : More disputes arise on the qnestion of great of recomitions to the Unions. Also it takes a lot of time in granting recognition to them. Despite fulfilling all the conditions the centre has not granted recognition to Bhartaya Mazdoor Sangh. Do the Government propose to do so ? You are goiug to have talks with these national organisations. May I know whether Bhartiya Mazdoor Sangh is one Un-thre e ?

श्री आर. के. खाडिलकर : इस स्थिति के बारे में माननीय सदस्य के विचार सही हैं। प्रतिनिधित्व रखने वाले संघों को मान्यता देने संबंधी कुछ व्यवस्था तथा कानून हैं। संघों के बीच ही तथा संघों में परस्पर प्रतिद्वन्द्वता व्याप्त है। जिस भारतीय मंजदूर संघ का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है वह एक अखिल भारतीय संघ होने का दावा करता है। अगली बार जांच हड़ताल करके हम इस संबंध में विचार करेंगे। हम वर्ष 1968 में की गई जांच पर विचार कर रहे हैं और उस समय भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता दिये जाने का पात्र नहीं पाया गया था। यदि वह संघ इसका पात्र पाया गया तो हम अवश्य उसे मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : Verification was done in 1971, Is he not aware of it ?

श्री एम. राजन्गम : हमारे राष्ट्रपति के इस विचार को कि प्रत्येक उद्योग के लिये एक-एक संघ हो, को क्रियान्वित करना कहां तक संभव है ?

श्री आर. के. खाडिलकर : जैसा कि मैंने कहा है, यदि केन्द्रीय कर्मचारी संघों के संगठन तथा कर्मचारी किसी समझौते पर पहुंच जाये, तभी सरकार बर्तमान औद्योगिक कानून में परिवर्तन कर सकती है ताकि उद्योग द्वारा स्वीकृत एक संघ ही प्रतिनिधित्व करे। यह तो सचमुच ही बड़ी अच्छी बात होगी।

भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच बातचीत

+

***205. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री पी. गंगादेव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पश्चिमी जर्मनी के बीच प्रति वर्ष होने वाली बातचीत 20 जनवरी, 1972 को नई दिल्ली में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर विचार विमर्ष किया गया ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच विचार-विमर्ष के लिए नई दिल्ली में 20 और 21 जनवरी 1972 को बैठक हुई थी।

(ख) इस बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार विनिमय हुआ जिनमें विश्व की स्थिति, यूरोप का राजनैतिक दृष्टिकोण, भारतीय उप-महाद्वीप और एशिया की स्थिति, राजनैतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत और जर्मन संघीय राज्य के द्विपक्षीय सम्बंध आदि विषय भी शामिल थे। इस तरह का द्विपक्षीय विचार-विमर्ष गोपनीय प्रकृति का होता है और इस का विवरण बताने की प्रथा नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इन द्विपक्षीय बात-चीत के समय कभी पूर्व जर्मनी सरकार को पूरी कूटनीतिक मान्यता देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था और यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री ब्रान्ट के नेतृत्व में पश्चिम जर्मन सरकार यूरोप में सभी देशों के साथ अच्छा सम्बन्ध बनाने तथा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के साथ द्विपक्षीय बात-चीत करने का प्रयास कर रही है, तो क्या इन दोनों सरकार के मध्य कोई करार हो जाने के पश्चात् वे चाहेंगे कि भारत सरकार पूर्व जर्मन सरकार को मान्यता दे ?

श्री स्वर्ण सिंह : दोनों जर्मन-देशों के मध्य संबंधों के बारे में मौटे तौर से विचार किया गया था। जर्मन लोक-तंत्रात्मक गणतंत्र में कभी अपने प्रतिनिधि के दर्जे को बढ़ाने संबंधी हमारे निर्णय हमारी निजी राष्ट्रीय निर्णय होगा और इस संबंध में इस रूप में बात-चीत नहीं की गई थी जैसाकि माननीय सदस्य ने यहां कहा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि जब इस उप-महाद्वीप में राजनैतिक घटनाओं पर विचार किया गया था तो क्या उस समय पश्चिमी जर्मनी सरकार द्वारा पाकिस्तान को दी गई सहायता के प्रश्न पर भी विचार हुआ था, और क्या पश्चिमी जर्मनी सरकार, जिसने कि भारत-पाक संघर्ष के समय पाकिस्तान को सहायता देना बन्द कर दिया था, पाकिस्तान के प्रति अपना यही रवैया बनाये रखेगी अन्यथा इसे बदल देगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है तथा माननीय सदस्य तथा यह सभा भी जानती है कि भारत-पाक संघर्ष के समय फेड्रल रिपब्लिक आफ़ जर्मनी ने पाकिस्तान को सहायता देना बन्द कर दिया था। अब यह संघर्ष समाप्त हो चुका है और अनेक देश पाकिस्तान को पुनः सहायता देना आरंभ करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। मैं विश्वस्त रूप से नहीं कह सकता कि क्या इस देश ने भी ऐसा ही कोई निर्णय किया है।

Shri Bhojendre Jha : It has been repeatedly stated by the Government that their objective was limits : but are the Government aware that President Nixon and, later on a spokesman os the Ameriean Gavernment have repeatedly claimed that they knew through an Indian Cabinet Minister that India was determined to finish Pakistan, and that is why they (the U.S,A.) were championing the cause of saving Pakistan. What is the information of the Government in this regard and what is their reactions there do ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब सारे मामले के बारे में समूचे तथ्य सामने रख दिये गये हैं तब भी इसके विपरीत बात करना कतई बेबुनियाद है। मैं अमरीकी सरकार के किसी प्रवक्ता का ऐसा वक्तव्य नहीं पढ़ा जिसमें यह कहा गया हो कि उसे किसी मन्त्री मण्डलीय मन्त्री से मालूम हुआ है ।

+ **पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध-विराम**

* 206 श्री भोगेन्द्र झा :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस बयान की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है कि सोवियत नेताओं के साथ "गहन विचार विनिमय" के पश्चात् उन्होंने हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध विराम कराया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री : (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) युद्ध विराम की घोषणा का निर्णय भारत सरकार का अपना है । यह कहन निराधार है कि किसी दूसरे देश के कहने पर युद्ध विराम किया गया था । 16 दिसम्बर को संसद के समक्ष अपने वक्तव्य में भी प्रधान मंत्री ने यही कहा था कि "हमारे लक्ष्य सीमित थे अर्थात बंगला देश के बहादुर लोगों की और मुक्ति वाहिनी की मदद करना, जिससे कि ये अपने देश को आतंक के शासन से मुक्त करा सकें और अपनी भूमि पर आक्रमण को रोकना ।" इन लक्ष्यों के पूरा होते ही सरकार ने इकतरफा तरीके से युद्ध विराम की घोषणा कर दी ।

मैंने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं देखा है । अगर कोई इस प्रकार का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है तो वह पूर्णतया निराधार है ।

Shri Bhogendra Jha : In view of the statement made by the U. S. Government, may I know whether Government of India considers it an attempt by U. S. Government aimed at harming the friendly relations between India and Soviet Union, and if so, whether Government of India has expressed its protest against it ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे अमरीकी सरकार के इरादों की कोई जानकारी नहीं है । परन्तु सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध इतने सुदृढ़ हैं कि उन्हें बिगाड़ने का कोई भी प्रयत्न विफल ही रहेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The relations between India and the Soviet Union are tied to the treaty of freindship. According to this treaty, the procesus of continuos consulations is always on between the two countries. During war, the Soviet Deputy Foreign Minister, Mr. Firuhin was in India and now after a day or so, our Foreign Minister is also proceeding on a visit to the Soviet Union. May I know if the hon. Minister wants to say that before taking the final decision of a unilateral ceasefire, Government of India did not consult Soviet Union at all ? India and Soviet Union are high contracting parties. Does the hon. Minister want to say that such a vital decision was taken without any consulations ?

श्री **स्वर्ण सिंह** : मैं यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एकतरफा युद्ध-विराम करने के हमारे निर्णय की, वास्तविक घोषणा से पूर्व उसकी सूचना न तो सोवियत संघ को और न ही किसी अन्य सरकार को दी गई थी। यह बात मैं पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

श्री **एस० एम० बनर्जी** : यह शुद्ध रूप से भारत में किया गया निर्णय था।

+

Entry of Bangla Desh into U. N. O.

* 207 SHRI R. R. SHARMA :

SHRI PHOOL CHAND VERMA :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state the efforts made by Government to secure Bangla Desh's entry into the United Nations ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बंगला देश को प्रवेश दिलाने में अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्तमान वास्तविकताओं को अधिकाधिक समझने लगा है और 50 से अधिक देशों ने बंगला देश को मान्यता दे दी है। ऐसी आशा है कि बंगला देश को राष्ट्र समुदाय में शीघ्र ही स्थान अपना न्यायोचित मिल जाएगा।

Shri R. R. Sharma : Almost all the sections of the foreign press supported India before and after the war, so far as the issul of Bangla Desh was concerned. But our Governement has failed to enlist sympathics of the foreign Governments. Although Pakistan was guitly of committing inhuman atrocities, still She could succeed in wining the support of most of the countries in U. N. O. Inview of this, is it not a fact, that our policy of admitting Bangla Desh to U. N. O. is a failure ?

Shri Swaran Singh : No, Sir.

Shri Phool Chand Verma : In the last session of the U. N. O., 108 countries did not support India on Bangla Desh issul. In view of this may I know whether the hon. Minister propose to rewiew the foreign policy ?

श्री **स्वर्ण सिंह** : जिस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न पूछा जा रहा है, वह ठीक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का जो रवैया हाल ही में देखने को आया वह इस तथ्य का प्रमाण है कि इस बारे में जो नीति हम अपनाना चाहते थे, वह ठीक नहीं थी और अब यह विचार ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि भारत ने इसके प्रति जो बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रभावशाली प्रतिक्रिया व्यक्त की, वह निश्चय ही सराहनीय है।

Mr. Speaker : Had the hon. Minister told the House the number of countries from among the 108 countries, who have recoganised Bangla Desh, perhaps the hon. Member would not have raised this question.

श्री **समर गुह** : क्या भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगला देश को शीघ्र दाखिल करवाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री **स्वर्ण सिंह** : महासभा का अधिवेषण अभी 6 महीने बाद होना है। जब महा-सभा की बैठक होने वाली होगी, तभी हम इसके बारे में निर्णय कर लेंगे।

श्री **एस० एम० बनर्जी** : चूंकि भारत बंगला देश के समर्थन का निर्णय कर चुका है और इस समय बंगला देश के लोग हमारी प्रधान मंत्री भारत के लोगों और भारत की सेनाओं के प्रति कृतज्ञ है, अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि महासभा का अधिवेषण आरम्भ होने के बीच जो 6 महीने का अन्तराल है, क्या इस समय में भारत, अमरीका तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों को छोड़कर—उन प्रगतिशील देशों के साथ विचार-विमर्श आरम्भ कर देगा और इस दिशा में कुछ ठोस कार्य करेगा ताकि जब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगला देश के दाखिले का प्रस्ताव करे, तो वह सभी देश भारत का पूरा सर्थमन करे ?

श्री **स्वर्ण सिंह** : हमें आशा है कि आगामी 3 या 4 महीनों में ही कई और देश बंगला देश को मान्यता दे देंगे और इससे बंगला देश का संयुक्त राष्ट्र संघ में दाखला और भी आसान हो जाएगा। जिन देशों ने अभी तक बंगला देश को मान्यता नहीं दी है, उनके साथ बंगला देश सरकार की बातचीत पहले ही चल रही है और प्राय: यह देखा जा रहा है कि आये दिन कोई न कोई देश बंगला देश को मान्यता देता ही रहता है । बंगला देश को दी गई मान्यता है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में दाखिला दिलाने का अपने आप में एक सशक्त कारण होगा।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा दिल्ली में महानगर परिषद के लिए मतदान

***208. श्री बक्शी नायक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 फरवरी, 1972 के 'मदर लैंड' में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में छपे समाचार की ओर दी लाया गया है जो दिल्ली महानगर परिषद के चुनाव के लिए मतदाता हैं और जो निगम का कार्यालय हैदराबाद ले लाये जाने पर वहां चले गए हैं ;

(ख) क्या कर्मचारियों को दिल्ली आकर मतदान करने के लिए वापसी किराया और अन्य खर्च दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कुल कितना खर्चा किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) स्टाफ के 49 सदस्यों द्वारा हैदराबाद से आने और वापिस जाने की यात्रा पर लगभग 15, 165 रु० व्यय किए गए।

श्री बक्शी नायक : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं चुनावों में भाग लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कितने परिवार दिल्ली आये और उन्हें कितनी धनराशि दी गई ?

श्री शाह नवाज खां : मैं पहले ही बता चुका हूं कि 49 परिवार आये और उन पर 15. 165 रुपये खर्च किये गये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether it is a fact that the Chief Election Commissioner had suggested that till the elections are over those employees should be made to stay in Delni ? Why the suggestion was not accepted by the Government ? Heavens would not have taken it those employees had been transfered two months lates. But after spending fifteen thousand rupees, those employees were brought back to Delhi and they were again sent back. Were they subjected to this barassment because the Government was admant ?

Shri Shahnawaz Khan : My hon. friend is aware of the fact the more to shift the Headquarters of N.M.D.C. from Delhi was initiated louy back. The orders were issued in January. The letter of Election Commissioner was received on 12th February and by that time several employees had already left Delhi. He was not posfible to hold them back of that stage.

श्री एस. एम. बनर्जी : क्या यह सच है और सरकार को इस बात की जानकारी है कि हैदराबाद में जहां यह कार्यालय ले जाया गया है, वहां कार्यालय के भवन का निर्माण-कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ अभी भवन में दरवाजे भी नहीं लगे हैं और अभी तक फर्नीचर को खोला भी नहीं गया हैं ? वास्तव में मैंने इसके कुछ चित्र भी माननीय मंत्री महोदय तथा अन्य लोगों को भेजे हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि जितने भी कर्मचारियों का स्थानांतरण वहां किया गया है उन्हें यह कहा गया है कि आप काम करने की बजाय सलारजंग म्यूज़ियम देखिये और हैदराबाद शहर में घूमिये, क्या वहां कार्यालय जैसी कोई चीज है ? अगर वहां अभी कुछ भी नहीं है तो उन्हें इतनी दूर भेजने का क्या कारण है उन्हें फरीदाबाद ही क्यों नहीं भेज दिया गया ?

Shri Shahnawaz Khan : What Shri Banerjee has stated is not corrected. Our employees are working in multi storeyed building· Several flats of the building are ready in which tuese emplayees aae working and the rest are under completion.

Shri. S.M. Banerjee : I wish that instead of banking upon the information of other had Minister should pay a personal to visit that place.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : एक चुनाव क्षेत्र में पंजीकृत लोगों को वापिस उसी चुनाव क्षेत्र में वोट डालने के लिए जाने पर, किन-किन परिस्थितियों में यह धनराशि दी जाती है ? क्या यह प्रणाली सरकारी संस्थानों में अपनाई जाती है कि यदि कर्मचारियों का पंजीकरण वहां न हो जहां कि संस्थान स्थित हो, तो कर्मचारियों की मतदान के लिए यह सुविधा दी जाये ? यदि उनका पंजीकरण किसी अन्य क्षेत्र में हुआ ही तो क्या सरकार संस्थानों को यह आदेश देती है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को आने-जाने का किराया दिया जाये ?

श्री शाहनवाज खां : इन कर्मचारियों का नाम दिल्ली की मतदाता सूचियों में दर्ज था और उन्हें निगम के आदेशानुसार वहां जाना पड़ा। चूंकि चुनाव आयुक्त ने इस मामले में हमें पत्र लिखा और हमने भी इस बात को महसूस किया कि मतदान एक बहुमूल्य अधिकार है अतः इस अधिकार की सुरक्षा करने के लिए निगम ने उन्हें वोट डालने के लिए वापिस आने की अनुमति दे दी।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह था कि क्या यह एक आम प्रणाली है ?

श्री शाहनवाज खां : यह आम प्रणाली नहीं है और इसके साथ ही यह भी आम प्रणाली नहीं है कि चुनाव आयुक्त हमें इस प्रकार पत्र लिखे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या चुनाव के मौके पर इस प्रकार कर्मचारियों को सामुहिक रूप से स्थानांतरित कर देना भी क्या आम पद्धति नहीं है ?

श्री एस. एम. बनर्जी : पत्र इन्हें 12 फरवरी को प्राप्त हुआ और चुनाव 11 मार्च को होना था। अतः केवल एक महीना ही बीच में था।

श्री पीलू मोदी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकारी, अर्द्ध-सरकारी या सरकारी नियमों के कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतदान करने जाने के लिए किन निगमों के अन्तर्गत यात्रा-भत्ता दिया जाता है ? इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं जिन प्राधिकारियों द्वारा यह 15,000 रुपये की धनराशि दी गई है, क्या वह इस धनराशि को

अपने चालू खर्चे में डालेगें या जिस राजनीतिक दल को यह वोट डाले गये, उस राजनीतिक दल को इस धनराशि को प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा जायेगा ? दूसरे अर्थों में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कदाचार के नियमों में पारवर्तन करने का विचार कर रही है क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं वर्तमान नियमों के अन्तर्गत तो किसी भी व्यक्ति को अपना वोट डालने के लिए यात्रा-भत्ता देना या उसके लिए किसी प्रकार के वाहन की व्यवस्था करने की अनुमति नहीं है।

श्री शाहनवाज खां : इन कर्मचारियों का सम्बन्ध निगम से था और यह निगम एक स्वायत्रशासी निकाय है और इसने अपने आप ही ऐसा करने का निर्णय लिया था। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इन कर्मचारियों ने किस दल को वोट दिये।

श्री पीलू मोदी : इसका अनुमान लगाईये ।

बिहार लघु उद्योग निगम में कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान

*210. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार लघु उद्योग निगम में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन में से भविष्य निधि के लिए कटौती की जा रही है;

(ख) क्या उक्त निगम के नियमों के अनुसार इसके मैनेजरों को भी यह धनराशि जमा करानी पड़ती है परन्तु उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, यदि हां, तो उनको कितनी धनराशि का भुगतान करना हैं; और

(ग) उनसे उक्त राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि अपेक्षित सूचना क्षेत्रीय कार्यालय बिहार से एकत्र की जा रही है। यह यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

Shri Ramavtar Shastri : It is surprising that even though we give the notice of questions 21 days in advance, we are setting this kind of rops. 25 it is a fact that even after a number of complaints made by the State small Industries Corporation Employees Association, the Regional Provident Fund Commissioner did not pay any attention ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे अभ्यावेदन की जानकारी नहीं हैं। मैं इसका पता लगाने का प्रयत्न करूंगा।

Shri Ramaxtar Shastri : Did the Employees Association Complain to the Ministry directly but no help was given from yourside and have you have taken any step independently ? If so, what is that step ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक मुझे याद है, मुझे ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यूनियन का अध्यक्ष हूं, इसलिए मुझे इसका पक्का पता है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : यदि ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तो मैं उन शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दूंगा ।

श्री राम सहाय पांडे : कर्मचारियों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि कितने समय में जमा करा दी जाती है ? पिछली बार अपने वक्तव्य में माननीय मंत्री ने बताया था कि यह राशि 7 दिन में जा करा दी जानी चाहिए । क्या इस पर अमल किया जा रहा है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इस सम्बन्ध में हमारे आदेश है । मैं इस बात को मानता हूं कि 30-9-71 तक इस मद का 17 करोड़ रुपया बकाया था । हम इस बात के प्रति जागरूक है कि जब तक विधि में सख्त परिवर्तन, जो कि किए जा रहे हैं, नहीं किए जाते तब तक इन आदेशों का पालन करवाना और बकाया राशि की वसूली करना कठिन है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी भविष्य निधि की राशि को जमा करने के नियम का उल्लंघन मालिक लोग, विशेषकर खानों के मालिक, बहुत ही स्वच्छन्दता से करते हैं । माननीय मंत्री को इसकी जानकारी है । यह सब इतने वर्षो से चले आ रहे प्रशासन के ढीले व्यवहार के कारण हुआ है । क्या हमें इस प्रकार का स्पष्ट आश्वासन मिलेगा कि यदि राशि छः महीने अन्दर जमा नहीं की जाती तो खान मालिकों को जेल भेज दिया जायेगा ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं इस बात को मानता हूं कि जो हम कदम उठाते हैं उन पर गंभीर रूप कार्रवाई नहीं की जाती । कानून में जुर्माना और कैद दोनों की व्यवस्था है । बहुत ही कम मामलों में 1000 रुपये का सर्वाधिक जुर्माना, अथवा कैद की सजा दी गई । कोई सख्त कार्रवाई की व्यवस्था नहीं है, और जैसा कि मैंने पहले कहा जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक हमारे लिए कुछ करना बड़ा कठिन है ।

अमरीकी राष्ट्रपति की पीकिंग वार्ता का विवरण भारत को न बताया जाना

***211. श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में उन देशों की सूची से भारत को हटा दिया गया था जिन्हें राष्ट्रपति निक्सन की पीकिंग में हुई वार्ता का विवरण बताया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पीकिंग में राष्ट्रपति निक्सन की बातचीत का सार अमरीका सरकार ने जिन देशों को बताया है उनकी सूची सरकार के पास नहीं है । सयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मन्त्री श्री विलियम रोजर्स 6 मार्च को वाशिंगटन में हमारे राजदूत से मिलने आए थे और उन्होंने उन्हें इस यात्रा के विषय में बताया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० के० दास चौधरी : माननीय मन्त्री के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं हैं, जबकि यह बात समाचार पत्रों में बताई गई है । क्या

ऐसी कोई परम्परा है कि जब भी कोई राज्यध्यक्ष ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों के सम्बन्ध अपने देश से बाहर जाता है, भिन्न देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर होने वाली बातचीत का विवरण उन्हें बताया जाता है ? जबकि राष्ट्रपति निक्सन पीकिंग फरवरी के तीसरे अथवा चौथे सप्ताह के शुरू में गये थे और श्री रोजर्स हमारे राजदूत से काफी समय बाद 6 मार्च को मिले। क्या किन्हीं अन्य देशों को भी विवरण दिया गया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : जिस प्रकार भारतीय राजदूत को विदेश मंत्री, श्री रोजर्स ने बुलाकर कुछ सूचना दी, उसी प्रकार अन्य देशों के राजदूतों को भी सूचना दी गई। कुछ को यह जानकारी श्री रोजर्स ने दी और कुछ को अमरीकी सरकार के विदेश विभाग के अन्य अधिकारियों ने।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं जानना चाहता था कि क्या इस प्रकार की कोई परम्परा है कि जब कोई राज्याध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों के सम्बन्ध में बाहर जाये तो, उससे पूर्व देशों को इसके बारे में मुख्य बातें बतायी जायें ? इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसी कोई राजनयिक परम्परा नहीं है।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या भारत और अमरीका के राजनयिक सम्बन्धों की प्रक्रिया में हाल ही में कुछ परिवर्तन हो गया है। क्या यह भारत सरकार के प्रति बेरुखी प्रदर्शित करना है; और यदि हां, तो अपने भविष्य के राजनयिक और आर्थिक सम्बन्धों के सम्बन्ध में भारत सरकार इस चुनौती का किस प्रकार सामना करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : (1) और (2) नहीं और (3) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : A reference to Kashmir has been made in the joint statement issued by President Nixon and the Chinese Prime Minister. Clonan Lai, whole Country had expressed its recentment, obt is as it was an interfere nce in internal affairs of India. I want to know that whether America also have the same view about Kashmir as China ?

श्री स्वर्ण सिंह : अपने 14 तारीख के वक्तव्य में मैंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह बात हमने संयुक्त राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सम्मुख स्पष्ट कर दी है। मैंने यह भी कहा था कि अमरीका का इस संयुक्त वक्तव्य का भागीदार होना एक दुर्भाग्य पूर्ण बात है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : My question has not been answered. Does it mean that the position of Americag is differ nt from that China and the qestion of Kashmir has been made under the pressure of China ?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त वक्तव्य से यह पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में चीन और अमरीका का रवैया, अलग-अलग है।

श्री अमृत नाहाया : जब श्री रोजर्स ने हमारे राजदूत को भेंट के लिए बुलाया था तब क्या उन्हें राष्ट्रपति निक्सन की पीकिंग यात्रा का विवरण देने के लिए बुलाया था अथवा संयुक्त वक्तव्य में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख करने के कारण अमरीका द्वारा भारत के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने सम्बन्धी भारत के विरोध करने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए ?

श्री स्वर्ण सिंह : बातचीत में कई बातों पर चर्चा हुई, माननीय सदस्य द्वारा बनाई गई दोनों बातों तथा अन्य कई मामलों पर भी ।

हिन्द महासागर के क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा का प्रस्ताव

*212 **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1972 में ब्रिटेन के विदेश मन्त्री और भारत सरकार के बीच हिन्द महासागर के क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा की योजना प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर वार्ता हुई थी; और

(ख) क्या सरकार ने दक्षिण-पूर्ण एशिया के उन देशों के साथ इस प्रस्ताव के बारे में विचार-विमर्श किया था जिनके हित इसमें अन्तर्निहित हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । फरवरी, 1972 में ब्रिटिश विदेश संचिव और भारत सरकार के बीच हिन्द महासागर क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा के लिए कोई योजना आरंभ करने के किसी प्रस्ताव पर बातचीत नहीं हुई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांची : हिन्द महासागर में शान्ति बनाए रखने की भारत की इच्छा की दृष्टि से मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री की जानकारी.....

अध्यक्ष महोदय : आपने एक प्रश्न पूछा और मन्त्री महोदय ने उसका उत्तर "नहीं" में दिया । आप दूसरा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय की इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र में अमरीका और रूस की पनडुब्बियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई है ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न रक्षा मन्त्री से पूछें ।

एशियाई देशों का शिखर सम्मेलन

*214. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति मारकोस ने चीन सहित एशियाई देशों का एक शिखर सम्मेलन बुलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अखबार की खबरो के अनुसार 4 मार्च, 1972 को मनीला में समाचार संवाददाताओं से बात-चीत करते हुए राष्ट्रपति मारकोस ने यह सुझाव दिया था कि मलयेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलिपीनज, दक्षिण पूर्वी एशिया के एसोसिएशन के इन पांच देशों का पहले एक शिखर सम्मेलन बुलाने के बाद एक विस्तृत एशियाई

शिखर सम्मेलन होना चाहिए। बताया जाता है कि उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस विस्तृत शिखर सम्मेलन में चीन लोक गणराज्य, जापान भारत, पाकिस्तान और एशिया के अन्य देश भी शामिल किए जा सकते हैं।

(ख) भारत सरकार को और कोई सूचना अथवा कोई औपचारिक पत्र इस प्रस्ताव के बारे में नहीं मिला है और किसी विशिष्ठ बैठक के लक्षणों और उद्देश्यों के विवरण को बिना जाने इसके बारे में सरकार कोई निश्चित मत नहीं बना सकती।

श्री निहार लास्कर : क्या सरकार इस प्रकार का शिखर सम्मेलन करने के लिए वक्तव्य में बताए गए देशों से वार्ता कर रही है ?

श्री स्वर्णसिंह : हम इस सम्बन्ध में प्रश्नों के लिखित उत्तर Written Answers Questions कोई पहल नहीं कर रहे हैं।

तमिलनाडु में कपड़ा और इंजीनियरिंग उद्योगों के श्रमिक

*202. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कपड़ा और इंजीनियरिंग उद्योगों के श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इन कारखानों के बन्द होने के कारण प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इन क्षेत्रों में औद्योगिक सम्बन्ध अनिवार्यतः राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। सिम्पसन वर्ग के समवायों की बन्दी और रक्षा उद्योगों एवं अन्य राज्यों में अनिवार्य उद्योगों पर इसकी प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप हुई अशान्ति के कारण, श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर तथा राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय श्रम मंत्री ने मैत्रीपूर्ण समझौता कराने के लिए प्रयास किया। यह ज्ञात हुआ है कि दलों में समझौता हो जाने पर सिम्पसन वर्ग में सामान्य कार्य 22 मार्च, 1972 से चालू हो गया है। प्रभावित 81 मिलों में से 79 मिलों में कपड़ा उद्योग में हड़ताल 12 मार्च, 1972 से समाप्त होने की सूचना भी प्राप्त हुई है।

(ख) कपड़ा उद्योग तथा सिम्पसन वर्ग में हड़तालों/बंदियों द्वारा प्रभावित श्रमिकों की संख्या क्रमशः लगभग 58,000 और 18,000 थी।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का विस्तार

***204. श्री राज राज सिंह देव :**

श्री पी० बेंकटासुब्बया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात कारखानों का विस्तार करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कारखाने के विस्तार सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) विस्तार के प्रस्तावों के फलस्वरूप देश में इस्पात का उत्पादन कितना बढ़ जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहनकुमारमंगलम) : (क) और (ख). बोकारो इस्पात कारखाने जिसके प्रथमचरण को 1973-74 में चालू किया जाएगा तथा जिसमें इसकी क्षमता 70 लाख टन इस्पात पिन्ड प्रति वर्ष होगी, का द्वितीय चरण में 40 लाख टन इस्पात पिण्ड प्रति वर्ष तक विस्तार किया जा रहा है। तृतीय चरण में इस कारखाने की क्षमता को 55 लाख टन इस्पात पिण्ड प्रति वर्ष करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता का जो 25 लाख टन इस्पात पिण्ड प्रतिवर्ष से 40 लाख टन पिण्ड प्रतिवर्ष तक विस्तार करने का विचार है। इस विस्तार योजना के लिए केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम कर रहा है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को भी अपनी क्षमता 10 लाख टन पिण्ड से 13 लाख टन पिण्ड तक बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है।

दोनों सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के दूसरे सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की क्षमताओं के विस्तार की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की वर्तमान वार्षिक क्षमता 89 लाख टन इस्हात पिड प्रतिवर्ष है। भिलाई और इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के विस्तार तथा बोकारो की क्षमता 40 लाख टन इस्पात पिंड हो जाने से स्थापित क्षमता में 58 लाख टन इस्पात पिंड प्रतिवर्ष को वृद्धि हो जाएगी।

डबलिन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणराज्य दिवस न मनाया जाना

***209. श्री एन० शिवप्पा :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **दिवस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डबलिन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणराज्य दिवस नही मनाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसी अन्य देश में स्थित कोई और भारतीय दूतावास भी ये राष्ट्रीय दिवस नहीं मानता ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) डब्लिन स्थित हमारे राजदूतावास ने 1971 में स्वतंत्रता दिवस और गणराज्य दिवस दोनों ही मनाए थे और 1972 में गणराज्य दिवस भी मनाया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं आई है जबकि ये राष्ट्रीय दिवस न मनाए गए हों।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कुछ देशों का भारत विरोधी रवैया

* **213. डा० कर्णी सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने हाल ही के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत के रुख की निन्दा की थी, कड़ी कार्यवाही करने की धमकी दी थी अथवा पाकिस्तान को शस्त्र सहायता दी थी ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसम्बर 1971 को जो प्रस्ताव अन्तिम रूप से पारित किया था, उसपर विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न देशों ने वक्तव्य देकर अपना-अपना रवैया बता दिया है। ये वक्तव्य इस सदन के पुस्तकालय में सुलभ महासभा बहस के अभिलेख में मौजूद हैं। इन देशों के रवैये को ऐसे स्पष्ट शब्दों में बताना कठिन है जिसमें भारत की स्थिति की निन्दा की गई हो।

किसी देश ने भारत के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने की धमकी नहीं दी।

हमारी सूचना के अनुसार, पाकिस्तान को चीन, अमरीका और कुछ पश्चिम एशियाई देशों से हथियारों की सहायता प्राप्त हुई।

तमिलनाडु में औद्योगिक अशांति

*215, **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु में बढ़ती हुई औद्योगिक अशान्ति के बारे में सूचना प्रदान करने का कोई अनुरोध तामिलनाडु सरकार से किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को यह सूचना प्राप्त हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एल्यूमिनियम संयंत्रों में सहयोग के लिए हंगरी के प्रतिनिधिमंडल का भारत का दौरा

*216. **श्री राजदेव सिंह** :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के एल्यूमिनियम संयंत्रों के साथ तकनीकी सहयोग के पुनर्विलोकन के लिये मार्च, 1972 के पहले सप्ताह में हंगरी के भारी उद्योग मंत्री के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल भारत आया था उससे हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में हंगरी सरकार के साथ कोई दीर्घावधि करार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो करार की रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : (क) ऐलूमिनियम इत्यादि के अनुसंधान, उत्पाद-विकास और प्रयोग के बारे में भारत के पब्लिक सेक्टर ऐलूमिनियम उद्योग और हंगरी के ऐलूमिनियम उद्योग में परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित करने और बल देने के विचार से हंगरी के प्रतिनिधिमंडल ने दीर्घावधि सहयोग प्रस्थापित किया है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में, भारत में ऐलूमिनियम उद्योग के विकास हेतु अपने अनुसंधान अनुभव को उपलब्ध कराने के लिए हंगरी ने पब्लिक सेक्टर में की सरकारी कम्पनी, भारत ऐलूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के साथ एक दीर्घावधिक करार प्रस्थापित किया है। उन्होंने अन्तर शासकीय ऋण करार की संरचना के अधीन भारत ऐलूमिनियम कम्पनी के रत्नगिरि (महाराष्ट्र) ऐलूमिनियम प्रायोजना के लिए उपकरण और मशीनरी की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

गुजरात में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित ऐलूमिना संयंत्र के कार्यान्वयन के लिए हंगरी के प्रतिनिधिमंडल ने वित्तीय और तकनीकी, दोनों प्रकार का, सहयोग दिया जाना प्रस्तावित किया है।

(ख) जी, नहीं। वह सीमा, जिस तक हंगरी की सहायता की आवश्यकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे लोगों के लिए बागान योजनाएं

***217. श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से स्वदेश लौटे परिवारों को रोजगार देने के लिये दो नई बागान योजनाएं मंजूर की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या केरल सरकार उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने और बस्ती बसाने सम्बन्धी योजनाएं तैयार करने के लिये राजी हो गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) . 1971-72 के वर्ष में नीचे लिखी दो नई बागान योजनाएं मंजूर की गई हैं :—

(i) मैसूर के दक्षिण कनाड़ा जिले में 5,000 एकड़ क्षेत्र पर रबड़ बागान की योजना। इसमें 833 परिवारों को रोजगार दिया जायेगा ।

(ii) केरल के क्विलोन जिले में रबड़ बागान योजना। इसमें 750 परिवारों को रोजगार दिया जायेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

श्रीलंका में भारतीय

***218. श्री बी० वी० नायक :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में भारतमूलक लगभग दस लाख लोगों के "राज्यविहीन" होने की स्थिति को समाप्त करने के लिए अक्तूबर 1964 की श्रीमावो-शास्त्री संधि प्रभावी माध्यम सिद्ध नहीं हुई है, जैसा कि 28 फरवरी, 1972 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में छपा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त संधि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन करने हेतु क्या कोई उपाय किए गये हैं और यदि हां, तो क्या ?

विदेश मंत्री श्री (स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) . जी नहीं। बहुत-से पूर्व प्रबन्ध करने की आवश्यकता के कारण भारत श्रीलंका करार, 1964 का पूरी तरह पालन करने में देरी हुई है। भारत और श्रीलंका की सरकारें एक दूसरे के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं और करार की व्यवस्थाओं का अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वयन कराने का प्रयत्न कर रही है।

भारत-रूस आयोग

***219. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आयोग की स्थापना की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) आयोग के मुख्य कृत्व क्या होंगे ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। जब प्रधान मंत्री 27 से 29 सितंबर 1971 तक सोवियत संघ की यात्रा पर गई थीं, तब दोनों पक्षों ने आर्थिक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के विषय पर अन्तर-सरकारी आयोग की स्थापना करने का निर्णय किया था।

(ख) दोनों सरकारों ने मसौदे तैयार कर लिए हैं जिनमें आयोग के लिए प्रस्तावित कार्य और कार्य प्रक्रिया का जिक्र है। इन मसौदों का आदान प्रदान किया जा चुका है और मास्को

स्थित भारतीय राजदूतावास के माध्यम से सोवियत अधिकारियों के साथ इन पर विचार-विमर्श चल रहा है।

यह निर्णय किया गया है कि अन्तर-सरकारी आयोग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता हमारे योजना मंत्री होंगे। सोवियत सरकार ने विदेश आर्थिक संबंधों की राज्य समिति के अध्यक्ष, श्री एस० ए० स्काचकोव को अपने प्रतिनिधिमंडल का नेता मनोनीत किया है।

(ग) आयोग के कार्य के ब्यौरे पर अभी काम होना है। ऐसी आशा की जाती है कि आयोग मुख्यत: दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग का और विस्तार करने पर विचार करेगा। यह सहयोग इन क्षेत्रों में होगा—जैसे, लोहा और इस्पात उद्योग, तेल और प्राकृतिक गैस तथा औद्योगिक सहयोग।

वाराणसी में छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना

* 220. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी में एक छोटा इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और यह संयंत्र कब तक चालू हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) . उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर, को विद्युत भट्ठी-एवं-निरन्तर ढलाई कारखाने से स्क्रेप का उपयोग करके प्रतिवर्ष 100,000 टन साधारण इस्पात के बिलेट बनाने हेतु उत्तर प्रदेश में एक नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए 28-6-71 को एक आशय-पत्र दिया गया है। अभी तक निगम ने यह नहीं बताया है कि उत्तर प्रदेश में यह कारखाना किस स्थान पर लगाया जाएगा और इसे कब चालू किया जाएगा।

ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन पर लगाया गया प्रतिबन्ध

1497. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री 16 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन पर क्या प्रतिबन्ध लगाए गये हैं ; और

(ख) क्या अब ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन पर उसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जैसे कि अन्य विदेशी समाचार एजेंसियों पर लगाये जाते हैं और यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) . भारत में बी० बी० सी० के कार्यों पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं है। इस विषय पर हमारे विनियम स्पष्ट और सरल हैं, जो बी० बी० सी०सहित सभी विदेशी समाचार एजेंसियों पर लागू होते हैं।

राज्यों को लोहे, इस्पात, अल्मूनियम, जिंक आदि का आवंटन

1498. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को लोहे, इस्पात, अल्मूनियम, जिंक आदि जैसे कच्चे माल का आवंटन करने के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार इनका कितना आबंटन किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) और (ख) . वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लोहे और इस्पात का कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है । इस्पात के आवंटन की व्यवस्था इस्पात प्राथमिकता समिति करती है, जो अन्ततः उपयोग के लिए इस्पात की आवश्यकता इसकी उपलब्धि और स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है ।

एल्यूमीनियम, जस्ता आदि के आवंटन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

शिक्षा पूरी करने और रोजगार प्राप्त करने में समय अन्तराल

1499. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी योजना की कालावधि में शिक्षा पूरी करने और प्रथम रोजगार प्राप्त करने तक के समय में बेरोज़गारी का लगभग 37 सप्ताहों का अन्तराल था ;

(ख) क्या यह समय अन्तराल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और शिक्षा पूरी करके प्रथम रोजगार प्राप्त करने के बीच का वर्तमान समय अन्तराल कितना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) से (ग) . इस संबंध में कोई यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, इस अंतराल को घटाकर न्यूनतम करने की दृष्टि से सरकार बेरोजगारों (शिक्षितों सहित) के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर जुटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ।

भारतीय युवतियों को झूठे वायदे करके विदेश भेजने के मामलों की जांच

1500. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच उन धर्म प्रचारकों के विरुद्ध जांच पूरी कर ली है जिनके विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने लगभग 25 रोमन कैथोलिक युवतियों को विदेश भेजने और उन्हें वहां नौकरियां तथा शिक्षा दिलाने के झूठे वायदे करके उनका सामान ले लिया ; और

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) . विदेशों में भारतीय लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार और "ननों के भगाने" के आरोपों पर सरकार द्वारा जो जांच की जा रही थी, वह पूरी हो गई है तथा 29 मार्च, 1971 को इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जा चुकी है।

चीन का भारत से विरोध

1501. **श्री प्रभुदास पटेल** :

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत से कड़ा विरोध प्रकट किया है जिसमें यह आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों और एक भारतीय विमान ने 6 दिसम्बर, 1971 को चीनी क्षेत्र का अतिक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत पर दबाव डालने के लिए चीन के ये वही पुराने कूटनीतिक हथकंडे थे ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

अफ्रीकी एशियाई देशों का सम्मेलन

1502. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काहिरा में 10 जनवरी, 1972 को हुए अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 10 जनवरी से 13 जनवरी, 1972 तक काहिरा में आयोजित अफ्रो-एशियाई लोक एकता संगठन के 5वें सम्मेलन में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था।

(ख) उक्त सम्मेलन द्वारा पारित कार्य-सूची की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी० 1592/72]

बिहार में बंगला देश के शरणार्थी

1503. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 मार्च से 16 दिसम्बर, 1971 तक कुल कितने शरणार्थी पूर्वी बंगाल से बिहार आये;

(ख) जिन शिविरों तथा स्थानों पर उन्हें रखा गया उनका जिले वार ब्योरा क्या है; और

(ग) उन पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) . बिहार में आए शरणार्थियों की कुल संख्या 8,641 थी । उन्हें पूर्णतया जिले में स्थित राज्य के 7 आवाजाही राहत शिविरों में रखा गया था । इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल से 28,091 शरणार्थी बिहार भेजे गए थे जिन्हें गया जिले में केन्द्रीय आवाजाही शिविर, पंचनपुर में रखा गया था ।

(ग) शरणार्थियों को राहत सहायता देने के सम्बन्ध में किया गया कुल खर्च केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है । इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस सम्बन्ध में सभी राज्यों में जिनमें बिहार भी शामिल है, कुल 326 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग, त्रिवेन्द्रम के लिए कार्यालय भवन तथा कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण

1504. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग के कार्यालय के लिए नये कार्यालय भवन तथा कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार इन भवनों का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नानुसार सूचित किया है :—

(क) से (ग) . ट्रीवंडरम में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आरेखण एवं अनुमान स्वीकृत हो चुके हैं । पाइल नींव का कार्य करने के लिए टेंडर मांगे गये हैं । पाइलनींव का कार्य पाइलनींव के उपयुक्त ठेकेदार के चुनाव कर लेने पर आरम्भ हो जायेगा । पाइलनींव का कार्य पूरा हो जाने के बाद शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य आरम्भ हो जायेगा । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में, केरल की राज्य सरकार ने पैट्टम क्षेत्र में 7½ एकड़ भूमि अर्जन के लिए भूमि अर्जन समाहर्त्ता को 9-3-1972 को निर्देश भेजे हैं । जैसे ही भूमि का अर्जन हो जायेगा, कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए योजना एवं अनुमानों की तैयारी का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

श्रीलंका में भारतीय

1505, **श्री वयालार रवि** ; क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964 के

शास्त्री श्रीमावो पेक्ट के अन्तर्गत कुल कितने भारतीयों को श्रीलंका सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत दिसम्बर 1971 तक श्रीलंका ने भारत मूल के 24,264 लोगों को तथा उनकी 4,254 सन्ततियों को नागरिकता प्रदान की थी ।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीय

1506. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964 के शास्त्री-श्रीमावो पेक्ट के अन्तर्गत श्रीलंका से कुल कितने भारतीय स्वदेश वापस आ गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : 53,563 (18-3-1972 तक)

रोजगार के अवसर पैदा करने की प्रवृति

1507. श्री **विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के आम चुनावों के बाद देश में रोजगार के अवसर बनाने के बारे में क्या प्रवृत्ति रही है;

(ख) आम चुनावों से पूर्व सम्पूर्ण देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और उनकी वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) किन क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने की स्थिति में सुधार हुआ है और अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(घ) उक्त अवधि में ही किन-किन राज्यों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है और इस वृद्धि पर काबू पाने के लिये सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ग) . उपलब्ध रोजगार बाजार सूचना से, जो केवल संगठित क्षेत्र के बारे में है, पता चलता है कि जनवरी से जून, 1971 की समयावधि के दौरान रोजगार में इस प्रकार वृद्धि हुई :—

(लाखों में)

	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
दिसम्बर, 1970	105.76	67.01	172.77
जून, 1971	107.84	66.07	173.91

अनुवर्ती समयावधि के सम्बन्ध में अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि विशिष्ट कार्यक्रमों के अंतर्गत शुरू की गई दो मुख्य योजनाओं

अर्थात सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और ग्राम रोजगार सम्बन्धी कैश स्कीम के सम्बन्ध में किए गए मूल्यांकन के अनुसार, निम्नलिखित रोजगार पैदा होंगे :—

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 31.1.1972 तक 109 लाख श्रम दिन ।

ग्राम रोजगार सम्बन्धी कैश स्कीम 322.39 लाख श्रम-दिन

संलग्न विवरण (संख्या 1) के अनुसार ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1593/72]

(ख) और (घ) . 31 दिसम्बर, 1970 को 40, 68, 554 और
31 दिसम्बर, 1971 को 50, 99, 919

सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई गई है। रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण (संख्या 2) में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1593/72]

अजमेर के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास अनिर्णीत पड़े मामले

1508. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास रजिस्ट्रीकृत मजदूर संघों द्वारा संरक्षित कार्मिकों सम्बन्धी विवाद कई वर्षों से अनिर्णीत पड़ा हुआ है;

(ख) रेलवे कर्मचारियों के विभिन्न संघों से सम्बद्ध ऐसे कुल कितने विवाद हैं जो अजमेर के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास अनिर्णीत पड़े हैं और वे कितने समय से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) श्रम आयुक्त द्वारा ऐसे विवाद निपटाये जाने के लिए समय सीमा क्या है और इन अनिर्णीत विवादों पर अपना निर्णय देने के लिए उन्हें कितने समय की आवश्यकता होती है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के खाडिलकर) : (क) से (ग) : विषय सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है।

केरल में इस्पात संयंत्र की स्थापना

1509. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा केरल राज्य में कालीकट स्थान पर किये गये सर्वेक्षण के परिणाम उत्साहवर्धक हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का केरल में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) : भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा कोझीकोड के जिले में लोह अयस्क के भंडारों का सर्वेक्षण करने का काम अभी चल रहा है। इस बारे में कोई विचार इन सर्वेक्षणों के पूरा होने के पश्चात् ही बनाया जा सकता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बंगला देश को गेहूं और चावल का निर्यात

1510. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का बंगला देश को गेहूं और चावल का निर्यात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा का निर्यात किया जायेगा और उसकी शर्तें क्या होंगी ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत खाद्य निगम बंगला देश को 4,00,000 टन गेहूं और 1,00,000 टन चावल मुफ्त दे रहा है :

बंगला देश से अखबारी कागज का आयात

1511 **श्री रण बहादुर सिंह :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगला देश से अखबारी कागज का आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला दोनों सरकारों के विचाराधीन है ।

ब्रिटिश विदेश मन्त्री के साथ हुई वार्ता

1512. **श्री पीलू मोदी :**

श्री जगन्नाथराव जोशी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर एलेक डगलस-ह्यूम हाल ही में भारत आये थे और उन्होंने पारस्परिक हितों वाले विषयों पर भारत सरकार से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो सर एलेक के साथ हुई बातचीत की विशेष बातें क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां । 7 और 8 फरवरी, 1972 को नई दिल्ली में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, उसमें सर अलक्जेन्डर डगलस ह्यूम ने अपनी सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था । अंतर्राष्ट्रीय

सामान्य स्थिति, उपमहाद्वीप की स्थिति और दोनों पक्षों के हित सम्बन्धी अन्य मामलों पर बात-चीत हुई थी।

शरणार्थियों के लिए तम्बू खरीदने सम्बन्धी फाइल का गुम हो जाना

1513. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "आनन्द बाजार पत्रिका" (कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला बंगाली का दैनिक समाचार पत्र), दिनांक 9 सितम्बर, 1971 में "शरणार्थियों के लिए दो करोड़ रुपये की लागत पर तम्बू खरीदने सम्बन्धी फाइल का गुम हो जाना" शीर्षक से प्रकाशित होने वाले समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से पूछताछ करने पर मालूम हुआ है कि 2 करोड़ रुपये की लागत पर तम्बू खरीदने सम्बन्धी कोई फाइल गुम नहीं हुई है।

बंगला देश से भारतीय सेना की वापसी

1514. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार और बंगला देश सरकार के बीच कोई इस प्रकार का करार हुआ है कि मार्च 1972 के अंत तक बंगला देश से भारतीय सेना वापिस बुला ली जायेगी ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारतीय सैनिकों की वापसी का काम 15 मार्च, 1972 को ही यानी सहमत तारीख से पहले ही पूरा हो गया था जो कि 25 मार्च, 1972 थी।

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए बंगला देश को भारतीय सहायता

1515 **श्री रामसहाय पांडे :**

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से बंगला देश को वापिस गये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भारत ने बंगला देश को कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किस रूप से और कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए बंगला देश को भविष्य में सहायता देने के लिए आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . भारत से जो शरणार्थी बंगला देश लौटे हैं, उनके पुनर्वास के लिये निम्नलिखित अनुदानों की घोषणा की गई है :—

(i) 18.58 करोड़ रुपये का अनुदान जो बंगला देश सरकार द्वारा शरणार्थियों को उनकी वापसी पर दी जाने वाली अनुदान राशि के बराबर है ।

(ii) सहायता सामग्री, जिसमें 800 ट्रक शामिल हैं । 4-3-1972 तक 5.92 करोड़ रुपये के मूल्य की सहायता सामग्री भेजी जा चुकी थी ।

इन अनुदानों के अतिरिक्त बंगला देश की अर्थ-व्यवस्था के सामान्य पुनर्निर्माण के लिए निम्नलिखित ऋणों तथा अनुदानों की घोषणा की गई है :—

तात्कालिक आवश्यकताएं :

(1) 25 करोड़ रुपये का अनुदान सामान की खरीद और सेवाओं के लिए ।

(2) अनुदान के आधार पर 4,00,000 टन गेहूं और 1,00,000 टन चावल की सप्लाई जिसकी कीमत लगभग 53.3 करोड़ रुपये होगी ।

(3) 'बंगला देश विमान' के प्रयोग के लिए 200 सीरीज, दो फोकर फेंडशिप एफ-27 विमानों की खरीद के वास्ते ऋण जिसकी शर्तें अभी तय होनी हैं। इसके अतिरिक्त 'बंगला देश विमान' के विमान चालकों की जमीन पर और विमान उड़ाने का प्रशिक्षण देने में 1,79,000·00 रुपए का खर्च ।

(4) 30 लाख रुपये मूल्य का दूर संचार के सामान के लिए ऋण जिसकी शर्तें अभी तय होनी हैं ।

(5) 50 लाख पौण्ड की विदेशी मुद्रा का ऋण जो पांच वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के बाद 15 वर्ष में चुकाया जाएगा और उस पर ढाई प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा ।

(6) दूर संचार सम्बन्धी सामग्री, उपकरणों की स्थापना, मुद्रण और लेखन सामग्री, बंगला देश के डाक तथा तार विभाग की जरूरत को पूरा करने के लिए भेजी गई सामग्री आदि पर डाक तथा तार विभाग द्वारा वहन खर्च के रूप में 11,06,000 रुपए ।

(7) सिविल विमानन महानिदेशालय से 28.825 रुपए मूल्य की दूर संचार सम्बन्धी सामग्री उपहार के रूप में ।

यह सहायता भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा किए गए असैनिक निर्माण कार्य तथा 'नागरिक कार्य सम्पर्क कार्यालय' के उन 28 अधिकारियों द्वारा दी गई सहायता के अतिरिक्त है जो बंगला देश सरकार में कार्य कर रहे हैं। इन दो मदों का खर्च अभी मालूम नहीं है ।

मध्य कालिक सहायता :

(1) 10 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण जो पांच वर्ष की छूट की अवधि के बाद 20 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा और जो बंगला देश की रेल व्यवस्था पुनः स्थापित करने पर खर्च किया जाएगा;

(2) बंगला देश शिपिंग कार्पोरेशन द्वारा भारत से जो जहाज खरीदने के लिए ऋण जिसकी शर्तें अभी तय होनी हैं।

(3) 8.1 करोड़ रुपये के मूल्य का कच्चा तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा में संभरक साख पत्र जो 6¼ प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज की दर पर पांच वर्ष के अन्दर प्रतिदेय है।

भारत में एफ० बी० आई० का विस्तार करना

1516. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन ने नई दिल्ली में फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन के विस्तार के लिए अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (**श्री स्वर्ण सिंह**) : (क) और (ख) . सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं। इस तरह के मामलों में निरंतर चौकसी रखी जाती है।

बंगला देश को उसकी रेल व्यवस्था के लिए ऋण

1517. **श्री माधुर्य्य हालदर** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या बंगला देश सरकार ने अपनी रेलवे व्यवस्था को फिर ठीक करने के लिए भारत सरकार से किसी ऋण की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 10 करोड़ रुपये के ऋण की घोषणा की गई है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि

1518. **श्री गप्पन गौडा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों का मंजूरी में वृद्धि करके उसे कहां तक पूरा कर दिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) नीचे दिए गए विवरण में 1948 = 100 के आधार पर 1968 से 1972 तक की अवधि के लिए अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, पिछले वर्ष की अपेक्षा कमी वृद्धि की प्रतिशतता सहित, दर्शाए गए हैं।

वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1949 = 100)	कमी/वृद्धि की प्रतिशतता
1968	215	
1969	213	(—) 0.93
1970	224	(+) 5.16
1971	230	(+) 2.68

(ख) सम्बन्धित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

मारीशस को आर्थिक सहायता

1519. **श्री मान सिंह भोरा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारीशस को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने मारिशस की सरकार को तकनीकी विशेषज्ञों और कई प्रायोजनाओं के लिए उपकरण के रूप में आर्थिक सहायता देने का वचन दिया है। यह इस प्रकार की सहायता के लिए उपयुक्त है। कुछ सहायता 101 लाख रुपये की सीमा तक सीधे अनुदान के रूप में दी जाएगी और शेष 321 लाख रुपये के ऋण के रूप में देने की पेशकश की गई है। यह सारी सहायता मारीशस की विकास योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लागू होगी। अनुदान के अंतर्गत निम्नलिखित मद आएंगे :—

1. महात्मा गांधी संस्थान।
2. पश्चिम तटीय क्षेत्र सिंचाई प्रायोजना के लिए परामर्शदायी सेवाएं।
3. औद्योगिक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के लिए विशेषज्ञ और उपकरण।
4. पशु चारा फैक्ट्री को मकई देने के लिए सहायता राशि।
5. केन्द्रीय बिजली बोर्ड के लिए परामर्श।
6. उद्योग एस्टेट :

(क) प्रायोजना एवं उपयुक्तता रिपोर्ट।

(ख) समान वर्कशाप एवं सुविधा केन्द्र के लिए मशीनें।

7. तकनीकी विशेषज्ञ।

ऋण निम्नलिखित प्रायोजनाओं के काम आएगा :

(i) पश्चिम तटीय क्षेत्र सिंचाई प्रायोजना।
   (क) विस्तृत डिज़ाइनों के लिए 'वेपकोस' द्वारा परामर्श।
   (ख) चट्टान तोड़ने के लिए उपस्कर संभरण।

(ii) पशुचारा फैक्ट्री के लिए मकई—5000 टन।
(iii) टेलीफोन और टेलैक्स सेवा के लिए उपकरण।
(iv) केन्द्रीय बिजली बोर्ड-मशीन और उपकरण।
(v) उद्योग एस्टेट-विभिन्न उद्योगों के लिए मशीनें।

संयुक्त राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी समिति के दूसरे अधिवेशन में भारत द्वारा भाग लेना

1520. श्री पी० गंगादेव :

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 जनवरी, 1972 को हुए संयुक्त राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी समिति के दूसरे अधिवेशन में भारत ने भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिवेशन में भारत द्वारा कौन-से प्रस्ताव रखे गये ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रथम सत्र से उत्पन्न मामलों के अंग के रूप में प्राकृतिक संसाधन समिति के दूसरे सत्र में निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया था :

(1) समिति के कार्य-संचालन के उद्देश्य से 'प्राकृतिक संसाधन' शब्दों की व्यावहारिक परिभाषा की वांछनीयता।

(2) प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र में काम करने के लिए निदेशात्मक रीति का अध्ययन।

(3) विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी प्रभुसता का सिद्धान्त।

(4) अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन के आयोजन और उस सम्मेलन में विचारार्थ संभावित विषयों की वांछनीयता।

(5) प्राकृतिक संसाधन खोज के लिए, संयुक्त राष्ट्र आवर्तन निधि की स्थापना।

(6) प्राकृतिक संसाधन परामर्शदात्री सेवा के सिद्धान्त पर अमल।

(7) प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध और विकास से सम्बद्ध प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुसंधान।

(8) प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण कैसा हो ?

कोयला खनन, अलौह-धातुएं निकालने, भारी मशीनरी और पोत परिवहन के मामलों में सहयोग की व्यवस्था करने हेतु भारत और पोलैंड द्वारा संलेख पर हस्ताक्षर

1521. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने विशेष रूप से कोयला खनन, अलौह-धातुएं निकालने, भारी मशीनरी और पोत परिवहन के मामलों में सहयोग की व्यवस्था के लिए जनवरी, 1972 में पोलैण्ड की सरकार के साथ एक संलेख पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संलेख की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) पोलैंड और भारत के प्रतिनिधि-मंडलों के मध्य विचार-विमर्श हुआ था जिसकी समाप्ति पर कोयला खनन उद्योग, जहाज विनिर्माण उद्योग, इंजीनियरी उद्योग, रसायन उद्योग

और व्यापार में सहयोग की संभाव्यताओं के बारे में एक विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-पोलैंड आयोग की स्थापना स्वीकार की है।

गैर-सरकारी उद्योग की ओर से नवल टाटा दल का बंगला देश का दौरा

1522. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री नवल टाटा के नेतृत्व में एक सात सदस्यीय दल ने गैर-सरकारी उद्योगों की ओर से बंगला देश का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे का क्या प्रयोजन था और सरकार ने उक्त दौरे की अनुमति किन कारणों से दी ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संविधान में आधारभूत अधिकारों में "काम करने के अधिकार" को सम्मिलित करना

1523. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करने को सरकार की जिस नीति के अनुसरण में आधारभूत अधिकारों के अध्याय में "काम करने के अधिकार" को सम्मिलित करने के लिए सरकार का विचार भारत के संविधान को संशोधित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : अधिकाधिक रोजगार पैदा करने की दिशा में पहले ही किए गए और किए जा रहे प्रयासों तथा सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए इस समय इस प्रकार की कार्यवाही व्यवहार्य नहीं समझी जाती। संविधान में सम्मिलित राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में काम के अधिकार को पहले से ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

बंगला देश के प्रधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श

1524. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख मुजीबुर्रहमान फरवरी, 1972 में कलकत्ता आये थे; और

(ख) उनके साथ किस-किस विषय पर विचार-विमर्श किया गया और क्या-क्या निर्णय किए गए ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क)जी हां। भारत सरकार के निमंत्रण पर गण प्रजातंत्री बंगला देश के प्रधान मंत्री शेख मुजीबुर्रहमान 6 फरवरी, 1972 को कलकत्ता आये और 8 फरवरी, 1972 तक वहां रहे।

(ख) भारत और बंगला देश के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के संयुक्त वक्तव्य का पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। संख्या देखिये संख्या एल. टी. 1594/72]। इसमें वे सभी विशेष और तत्संबंधी निष्कर्ष शामिल हैं जिनपर दोनों प्रधान मंत्रियों ने विचार-विमर्श किया था।

हिन्द महासागर को सैनिक अड्डों का क्षेत्र बनने से रोकने के लिए भारत और ब्रिटन द्वारा संयुक्त कार्यवाही

1526. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर को बड़ी शक्तियों के सैनिक अड्डों का क्षेत्र बनने से रोकने के लिए भारत और ब्रिटेन कोई संयुक्त कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी नहीं। इस क्षेत्र को हथियारों की होड़ से बचाने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम की सरकारें ऐसे किसी संयुक्त प्रयास में नही लगी हैं; लेकिन भारत हमेशा ही इस बात के पक्ष में रहा है कि हिन्द महासागर को शन्ति क्षेत्र बनाए रखना चाहिये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश को विदेशी मुद्रा में वित्तीय सहायता

1527. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **विदेत्री मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बंगला देश सरकार को विदेशी में ऋण दिया है अथवा देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितना धन ऋण के रूप में दिया गया है;

(ग) क्या ये ऋण किन्हीं विशेष कार्यों के लिए दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे विशिष्ट कार्य क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : बंगला देश को निम्नलिखित ऋण विदेशी मुद्रा में दिए गए हैं :—

(i) पचास लाख पौंड स्टर्लिंग का सामान्य-उद्देशीय ऋण।

(ii) कच्चा तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा में 8.1 करोड़ रुपए का संभरक साखपत्र।

भारत-बंगला देश व्यापार

1528. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत तथा बंगला देश जनवादी गणराज्य के बीच व्यापारिक सम्बन्धों का विकास करने के लिए बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(क) जहां तक संभव होगा इन दोनों देशों में व्यापार राज्य से राज्य के आधार पर होगा;

(ख) सीमा व्यापार की व्यवस्था;

(ग) पारगमन व्यापार की व्यवस्था;

(घ) सामान्य व्यापार एवं भुगतान का प्रबन्ध ।

ग्राम्य क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिए योजनाओं की समीक्षा

1529. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं की समीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : शिक्षित बेरोजगारों के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विशिष्ट योजना शुरू नहीं की गई है । तथापि, काम चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों के लिए अधिकाधित रोजगार अवसरों की व्यवस्था करने के लिए अनेक विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें प्राइमरी शिक्षा के स्वरूप का सुधार एवं विस्तार, ग्राम इंजीनियरी सेवा, डीलरशिप के लिए भारतीय तेल निगम योजना, उपभोक्ता सहकारी भंडारों का विस्तार; उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमकर्ताओं की वित्तीय सहायता, पांचवीं योजना में सड़क कार्यों के अन्वेषण संबंधी अग्रिम कार्यवाही तथा ग्राम जल-पूर्ति के लिए डिजाइन यूनिट स्थापित करना, कृषि सेवा केन्द्र, आदि शामिल हैं । ये विशेष योजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं और 1972-73 के दौरान उनके तेज होने की आशा है । अतः इतनी जल्दी परिणामों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता ।

Loss incurred in H. S. L.

1530. Shri Phoolchand Verma :

Shri Robin Sen :

Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) The total loss incurred by plants under Hindustan Steel Limited during the last three years, year-wise; and

(b) the preventive measures taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) The working Results of various units of Hindustan Steel Limited for the last three financial years were as under :—

(Rupees in crores)

Plant/Unit	Net profit (+)/Loss (—) for the years		
	1968-69	1969-70	1970-71
Rourkela Steel Plant	(—) 3. 97	(+) 7. 83	(+) 10. 20
Bhilai Steel Plant	(—) 11. 35	(+) 3. 35	(+) 11, 04
Durgapur Steel Plant	(—) 17. 37	(—) 15. 50	(—) 20. 40
Central Coal Washeries Organisation	(+) 0. 60	(+) 0. 37	(+) 0. 02
Fertilizers Plant, Rourkela	(+) 1. 11	(—) 1. 68	(—) 2. 60
Alloy Steel Plant, Durgapur.	(—) 6. 83	(—) 5. 78	(—) 3. 38
	(—) 40. 08	(—) 11. 21	(—) 5. 57
Provision for unrealised profit.	(+) 0. 12	(+) 0. 64	(+) 0. 16
Net Result	(—) 39. 91	(—) 10. 47	(—) 5, 41

(b) Within the limitations imposed by the Industrial relations situation, particularly at Durgapur Steel Plant, the Management of Hindusan Steel Limited have been making all possible efforts to raise production as rapidly as possible. These include : specialised repairs of Coke Ovens, use of alternative fuels to supplenent gas availability, oil firing in certain fuanrces to augment fuel resources, improved maintenance aimed at better equipment availability, speeding up of capital programmes required to correct existing imbalances in production facilities and planned procurement of spares, refractories and other essential material. Hindustan Steel Limited have also been making every endeavour to ensure that industrial disputes are settled by negotiation and that the co-operation and participation of workers in the production effort are not hampered. The Government also keep constant watch on the performance of the units and the Company through periodical Task Force Meetings and reviews and render all the assistance that is required.

दिल्ली प्रशासन में स्टैनोग्राफी प्रशिक्षिक

1531. **चौधरी दिलीप सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्टैनोग्राफी प्रशिक्षकों के अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने और पांच वर्ष से अधिक समय से निरन्तर काम कर रहे उक्त स्टैनोग्राफी प्रशिक्षकों को स्थायी करने के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या हाल ही में अधीक्षकों के खाली पद भरते समय दिल्ली प्रशासन अनुसचिवीय सेवाओं के ग्रेड एक के पदों पर पदोन्नति के लिए स्टैनोग्राफी प्रशिक्षकों को भी विचार में ले लिया गया था ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० आडिलकर : (क) : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली में स्टैनोग्राफी प्रशिक्षकों के चौदह अस्थायी पदों को (जो कुल अस्थायी पदों के 80 प्रतिशत हैं) 19-4-1971 से स्थायी पदों में बदल दिया गया है।

चूंकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्टैनोग्राफी अनुदेशक दिल्ली प्रशासन के स्टैनोग्राफरों के संयुक्त संवर्ग में हैं, अतः स्टैनोग्राफरों और स्टैनोग्राफी प्रशिक्षकों की संयुक्त वरियता सूची को अन्तिम रूप दिए जाने के शीघ्र ही बाद स्थायी पदों पर स्थायी नियुक्तियां की जायेंगी।

(ग) जी हां।

भारत सुरक्षा नियम लागू करने के लिए राज्य सरकार का अधिकार

1532. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के लिए भारत सुरक्षा नियम लागू करने के लिए केन्द्र के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने सिम्पसन उद्योग समूह में हड़ताल का सामना करने के लिए केन्द्र की बिना पूर्व-अनुमति के भारत सुरक्षा नियम लागू किए थे; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भारत रक्षा नियम ऐसे मामलों को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें प्रदत्त शक्तियों का राज्य सरकारों पर प्रयोग करने से पहले, केन्द्रीय सरकार की पूर्वसहमति लेना आवश्यक होता है।

(ख) और (ग) : भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 119 के अधीन, सिम्पसन ग्रुप कम्पनियों के कुछ एककों को अनिवार्य सेवाओं के रूप में घोषित करते हुए, तमिलनाडु सरकार ने, 4 जनवरी, 1972 को आदेश जारी किए थे। नियम 119 के अधीन, राज्य सरकारों द्वारा शक्तियों के प्रयोग करने के लिए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व-सहमति की आवश्यकता नहीं रहती है। बाद में, राज्य सरकार द्वारा 14 जनवरी, 1972 को यह आदेश मंसूरन किया गया।

खनिजों में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयत्न

1533. श्री पम्मन गौडा : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने खनिजों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए अन्वेषण और विकास के लिए दीर्घावधि योजना बनाने पर जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री **(श्री शाह नवाज खां)** : (क) और (ख) : भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने प्रयोजनागत अपेक्षाओं के काफी पहले ही खनिज निक्षेपों को समन्वेषित और प्रमाणित करने के लिए खनिज समन्वेषण की दस-वर्षीय (1969-79) योजना बनाई है। कार्यक्रम में कुल 122,400 वर्ग कि० मी० की बड़े पैमाने पर मानचित्र और 15.6 लाख मीटर का व्यधन-कार्य परिकल्पित है जिसमें कार्य के 6,000 भूविज्ञानी वर्ष अन्तर्ग्रस्त हैं।

कार्यक्रम की प्रथम प्रावस्था को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और उसे भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें यह प्रस्तावित है कि लगभग 66,280 वर्ग कि० मी० क्षेत्र का बड़े बैमाने पर मान-चित्रण के 8·6 लाख मीटर का व्यधन और 45,150 मीटर का खनन किया जाए ताकि खनिज समन्वेषण कार्यक्रम त्वरित हो सके और विभिन्न खनिजों की अतिरिक्त उपलभ्य राशियां प्रमाणित हो सकें और कतिपय खनिजों की मांग और स्वदेशीय उपलब्धता के मध्य का अन्तराल कम हो।

कोयला मजूरी बोर्ड पंचाट का क्रियान्वयन

1534. डा० रानेन सेन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खान मालिकों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक कोयला मजूरी बोर्ड पंचाव को क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ख) मजूरा पंचाट को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) सूचना देने वाली एक सारिणी संलग्न है [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1995/72] इसमें उन कोलियारियों को शामिल नहीं किया गया है, जिनमें सिफारिशों का आंशिक रूप से परिपालन किया गया है।

(ख) सिफारिशें कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। तथापि, अनुनय और सलाह द्वारा परिपालन करवाने के प्रयास जारी हैं।

भारत-जापान वार्ता

1535. डा० रानेन सैन :

श्री वैकारिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान के अधिकारियों के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था उनमें चीन-अमरीका सम्बन्ध, वियतनाम संकट और बंगला देश की घटनायें भी शामिल थीं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। भारत और जापान के विदेश कार्यालयों के अधिकारियों के बीच सातवीं द्विपक्षीय परामर्शकारी वार्ता 2 और 3 मार्च, 1972 को दिल्ली में हुई थी।

(ख) और (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय संबंधों से सम्बद्ध सभी महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श हुआ था। यह बातचीत गोपनीय थी और उसका ब्यौरा बताना सामान्य व्यवहार के विपरीत होगा।

इसरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध

1536. श्री राज सिंह देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान राष्ट्रीय समाचारपत्रों में हाल ही में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार, भारत और इसरायल के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए इसरायल को एक शिष्ट-मण्डल भेजने का विचार कर रही है; और

(क) यदि हां, तो उसक ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उ ता।

जैनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन

1537. श्री पी. गंगादेव :

श्री टी० दंडपाणि :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 फरवरी, 1972 की जैनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) निःशस्त्रीकरण समिति सम्मेलन का चालू सत्र जैनेवा में 29 फरवरी, 1972 को आरम्भ हुआ था।

(ख) समिति का कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों पर आधारित है :

(1) समिति द्वारा 15 अगस्त, 1968 को पारित अस्थायी कार्य-सूची; (2) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी मामलों पर प्रस्ताव; (3) निःशस्त्रीकरण और हथियार नियन्त्रण के क्षेत्र में विगत करार।

समिति अन्य विषयों को छोड़कर किसी एक निश्चित विषय पर विचार नहीं करती है। सदस्यगण निःशस्त्रीकरण की परिधि में आनेवाले किसी भी विचार पर चर्चा कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 26वें सत्र में पास किए गए प्रस्तावों के माध्यम से समिति के चालू सत्र का ध्यान निम्नलिखित विषयों पर विशेष रूप के आकर्षित किया है :

(1) कठोर एवं प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में सामान्य रूप से सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण का प्रश्न;

(2) रासायनिक अस्त्रों के उत्पादन और एकत्रीकरण को समाप्त करने आदि के विषय पर शीघ्र करार करने का प्रश्न;

(3) भूमि-गत अणु शस्त्र परीक्षणों पर रोक लगाने की संधि का प्रश्न।

कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिए अशोधित पैट्रोलियम ले जा रहे तेलवाहक जहाजों को ठहरने की सुविधायें देने से श्रीलंका का इन्कार

1538. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कोचीन तेलशोधक कारखाने के लिए अशोधित पैट्रोलियम ले जा रहे तेलवाहक जहाजों को ठहरने की सुविधायें देने सम्बन्धी भारतीय अनुरोध को श्रीलंका ने अस्वीकार कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार को यह सूचित किया कि उन्हीं असैनिक जहाजों को श्रीलंका के प्रादेशिक समुद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी जो विशुद्ध रूप से शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए हों और जिनका लड़ाई से कोई सम्बन्ध न हो। भारत सरकार ने यह बतलाया कि उन दो जहाजों का सम्बन्ध लड़ाई से नहीं माना जाना चाहिए जो भारत के तेलशोधक कारखाने के लिए कच्चा तेल ले जा रहे थे। जबकि इस तरह की बातचीत चल ही रही थी कि लड़ाई बन्द हो गई और इन दो तेलवाहक जहाजों की श्रीलंका में लंगर डालने की सुविधाओं की आवश्यकता नहीं हुई।

सरकारी उपक्रमो के लिए विदेशी सहायता

1539. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस्पात के क्षेत्र में विदेशी सहायता समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे हमारे सरकारी उपक्रमों में उत्पादन बढ़ाया जा सके; और

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रूरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन में तेजी लाने के मामले में सरकार ने क्या प्रगति की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) सरकारी क्षेत्र के वर्तमान इस्पात कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के मामले में विदेशी सहायता पर निर्भरता को यथासंभव हद तक कम करने तथा अन्ततः इसे समाप्त करने के लिए कई उपाय किए गए तथा किए जा रहे हैं। इन उपायों का उद्देश्य सरकारी तथा गैरसरकारी उपक्रमों की उपलब्ध क्षमता के समन्वित ढंग से अधिक उपयोग, आयात किए जाने वाले फाल्तू पुर्जों और अन्य उपभोज्य वस्तुओं के स्थान पर देश से प्राप्त पुर्जों तथा माल के अधिकतम इस्तेमाल, ऊष्मसह के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्थापना, इंजीनीयरी और परामर्श सम्बन्धी सेवाओं को अधिक बेहतर बनाकर, विदेशी प्रविधिज्ञों की संख्या में कमी करने आदि से संयंत्रों और उपस्करों का निर्माण अधिकाधिक मात्रा में देश ही में करना है।

(ख) राउरकेला की स्टील मैल्टिंग शाप की छत के पुनर्निर्माण का कार्य निश्चित समय से पहले ही पूरा कर लिया गया था। उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ और उपाय किए गए हैं जिनमें कोक भट्टी श्रृंखलाओं और कोक भट्टी उपस्करों की विशिष्ट मरम्मत अनुपूरक ईंधनों का अधिकतम उपयोग, आवश्यक फाल्तू पुर्जों और दूसरे माल की प्राप्ति, अनुपूरक और अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था आदि शामिल है। उत्पादन में आगे से काफी वृद्धि हुई है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के पूंजीगत ढांचे का पुनर्गठन

1540. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के पूंजीगत ढांचे को किस प्रकार से पुनर्गठित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज देयता कम का किया जा सका है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : 31 मार्च, 1971 को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की अधिकृत और चुकता अंश पूंजी 100 करोड़ रुपए थी। 1-4-1971 से सरकार ने अधिकृत अंश पूंजी को 175 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इस तारीख को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० के पास बकाया ऋण राशि में से 59 करोड़ रुपए की राशि को इक्विटी के रूप में बदल कर इसकी चुकता अंश पूंजी 159 करोड़ रुपए कर दी गई हैं। इस राशि में 31-3-1971 तक बस्ती पर खर्च की गई 9 करोड़ रुपए की रकम भी शामिल है।

59 करोड़ रुपए की ऋण की राशि को इंक्विटी में बदलने से हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की 1971-72 में ब्याज की देनदारी लगभग 2.34 करोड़ रुपए और आगामी वर्षों में लगभग 4 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कम हो जाएगी।

खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड द्वारा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

1541. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1970 में विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) निगम को अब तक कितनी तथा कितने मूल्य की मशीनरी तथा कलपुर्जों के क्रयादेश मिले हैं जबकि अनुमान लगाया गया था कि उसको 197074 की अवधि में 55 करोड़ रुपए की 61,000 टन मशीनरी तथा कलपुर्जों के क्रयादेश मिल जायेंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कापोरेशन के उत्पादन में विविधता लाने के बारे में नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ऐसे संशोधनों के साथ जो वास्तविक मांग को देखते हुए आवश्यक हैं तथा अधिक लाभदायकता के हित में है, क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ख) अब तक लगभग 36,200 टन के लिए आर्डर प्राप्त हुए हैं जिनका मूल्य लगभग 34 करोड़ रुपए हैं ।

Shortage of Coal in small and General Industries

1542. **Shri R. R. Sharma :**

Shril Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to press reports regarding the lost suffered by many small and general industries during the last six monts duhe to shortage of coal in many parts of the country; and

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) Yes, Sir.

(b) Details regarding the loos due to shortage of coal, suffered by small and general in dustries, state-wise, cannot be ascertained.

There is no difficulty in the production of coal, But some difficulty was experienced during the period in the despatch of coal to the consumers due to the shortage of Railway wagons. As a result of the efforts made by the Central Govt., there has been some improvement in the wagon supply position since February, 1972.

शिक्षित बेरोजगार

1544. **श्री बक्शी नायक :**

श्री वेकारिया :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी थी और इससे पूर्व के दो वर्षों की

तुलना में यह कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में बेरोजगारों की संस्था में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इंजीनियरों तथा तकनीशियनों सहित कम-से-कम शिक्षित लोगों को रोजगार देने के बारे में सरकार प्रस्ताव बना रही हैं और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : देश में व्याप्त बेरोजगारी (शिक्षितों की बेरोजगारी सहित) के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध सूचना जो देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में काम चाहने वालों की संख्या के बारे में हैं, नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	वर्ष के अन्त में चालू रजिस्टर में काम चाहने वालों की संख्या (लाखों में)	
	कुल	काम चाहने वाले शिक्षित (मैट्रिक पास तथा उससे अधिक शिक्षित) व्यक्ति योग में सम्मिलित हैं)।
1969	34.24	15.26
1970	40.69	18.22
1971	51.00	22.96

काम चाहने वालों की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारण हैं : (क) विकास योजनाओं से सृजित रोजगार अवसरों की तुलना में श्रमिकों की संख्या में अधिक तेज वृद्धि, (ख) पिछले कुछ वर्षों में शैक्षिक संस्थाओं में वृद्धि और विकास की दर में कमी जिससे अर्थव्यवस्था की अवशोषी क्षमता पर असर पड़ा है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वार्षिक योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों से बेरोजगारों (शिक्षितों सहित) के लिए अधिकाधिक संख्या में रोजगार अवसर उपलब्ध होने की आशा है। इससे पहले 1968 में, सरकार ने इंजीयनियरों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए थे। ये उपाय, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्वेषण कार्य तेज करने, योजना के अंतर्गत शुरू की जाने वाली सिंचाई विद्युत् और बाढ़ नियंत्रण प्रायोजनाओं के संबंध में सर्वेक्षण तथा अन्य प्रारम्भिक कार्य, इंजीनियरों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार, ताकि वे उद्योग में प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त कर सकें और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए इंजीनियरों को, वित्तीय सहायता तथा अन्य सुबिधाएं प्रदान करने के बारे में थे।

2. इन्जीनियरों और तकनीकी व्यक्तियों सहित शिक्षित वर्गों के लिए रोजगार पैदा करने वाली परियोजनाओं के लिए 1971-72 के बजट में 25 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था की गई थी। सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करने के बाद इस व्यवस्था के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा अब तक अनुमोदित परियोजनाओं में प्राइमरी शिक्षा के स्वरूप का सुधार और

विस्तार, ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण डीलरशिप के लिए भारतीय तेल निगम परियोजना, उपयोग्यता सहकारी भंडारों का विस्तार, कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना, उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग-कर्ताओं को वितीय सहायता, पांचवी पंचवर्षीय योजना में सड़क कार्यों के अन्वेषण सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही तथा ग्राम जल पूर्ति के लिए डिजाइन यूनियन स्थापित करना आदि शामिल हैं।

1972-73 के बजट प्रस्तावों में विशिष्ट कल्याण परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है तथा प्राइमरी शिक्षा (30 करोड़ रुपये), विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम (60 करोड़ रुपए), गंदी बस्तियों का सुधार (15 करोड़ रुपये), देहाती आवास-स्थल (5 करोड़ रुपए) और ग्राम जल-पूर्ति (15 करोड़ रुपए)। विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रखी गई 60 करोड़ रुपये की राशि 1971-72 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए चालू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को जारी रखने तथा देहाती एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नये कार्यक्रम जिनके लिए परियोजनाएं बनाई जा रही है, आयोजित करने के लिए होगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, दिल्ली के कर्मचारियों के लिए क्वाटरों की निर्माण

1545. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री मुहम्द जमीलुरहमान :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के वास्ते दिल्ली विकास प्राधिकार ने भूमि का एक प्लाट अलाट किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्वार्टरों के निर्माण में कितना समय लगेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी, हां।

(ख) वर्तमान प्राक्कलन के आधार पर, परियोजना की शुरुआत से शुरू होने की तिथि से लेकर लगभग 2 या 2-1/2 साल की अवधि के भीतर इसके पूर्ण होने की सम्भावना है।

दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

1546. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को उनके वेतन के 20 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाता है जबकि राज्य व्यापार निगम जैसे अन्य स्वायत्तशासी निकाय अपने कर्मचारियों को 30 प्रतिशत की दर से मकान भत्ता दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को ऐसे ही अन्य संगठनों के कर्मचारियों के समान मकान किराया भत्ता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि अधिकारियों ने निम्न सूचना दी है :—

(क) और (ख) : दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को उनके वेतन की 20 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता मंजूर किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि मुख्यतया एक सेवा सम्बन्धी संगठन होने के कारण, जो कि बिना किसी लाभ के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा के लाभों के लिए सेवा करती है, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने यह उचित समझा कि संगठन के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को, मकान किराया भत्ता सहित, केन्द्रीय सरकार में प्रचलित समान विनियमित किया जाये। इसकी तुलना राज्य व्यापार निगम जैसे निकायों से जो कि व्यापार की दृष्टि से चलाया जाता है, करना उचित नहीं समझा गया था।

अमलाबाद कोयला खान के राष्ट्रीयकरण से पूर्व इसके प्रबन्धकों द्वारा मशीनरी का हटा लिया जाना

1547. श्री रामावतार शास्त्री : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अमलाबाद कोयला खान को अपने हाथ में लेने से पूर्व इसके प्रबन्धकों ने कोयला काटने की चार फ्रांस निर्मित मशीनें वहां से हटा ली थीं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त कम्पनियों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को अभिलेखों से यह ज्ञात हुआ है कि सरकार द्वारा, अन्य कोककर कोयला खानों सहित, अमलाबाद कोयला खान ग्रहण करने से पूर्व, अमलाबाद कोयला खान के वदजना वर्कशाप को तीन और केन्द्रीय सौउंदा कोयला खान को एक कोयला कर्तक बेचा था।

(ख) राष्ट्रीयकरण किए जाने पर अमलाबाद कोयला खान के मालिकों को संदेय राशि का निर्धारण करने के लिए अमलाबाद कोयला खान की आस्तियों के मूल्यांकन में इस मशीनरी की कीमत को नहीं जोड़ा जाएगा। यदि इस मामले में आगे कार्रवाई की कोई गुंजायश है तो उस बात पर भी विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तानी नागरिकों का भारत होकर पाकिस्तान जाना

1548. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री के० सूर्यनारायण :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में रजाकारों तथा अन्य व्यक्तियों को जो पाकिस्तान जाने के लिए बंगला देश से भारत आ गए थे, जाली भारतीय पारपत्र दिए गए थे; और

(ख) क्या कोई जांच कराई गई है और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने इस आशय की खबरें

अखबारों में देखी है, लेकिन जांच-पड़ताल से उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

प्रशिक्षण स्तर सम्बन्धी अध्ययन दलों का प्रतिवेदन

1549. **श्री वी० माया‌वन** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् को विभिन्न प्रशिक्षण स्तरों के सम्बन्ध में सलाह देने वाले उद्योगों, नियोजकों और कर्मचारियों के संघों के प्रतिनिधियों के अध्ययन दलों ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इसे लागू करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) अब तक उन्होंने किस प्रकार सलाह दी है और सरकार द्वारा उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरिंग टैक्नालाजी में स्नातक और डिपलोमाधारियां के व्यावहारिक प्रशिक्षण को शिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत लाना

1550. **श्री बी० माया‌वान** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग/टेक्नालाजी में स्नातक और डिप्लोमाधारियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को शिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत लाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो शिक्षु अधिनियम में कब तक संशोधन किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री० आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है और उसे शीघ्र ही संसद में पेश किए जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बन्द पड़े कारखानों के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता

1551. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अधीन उन कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाये जो नियोजकों द्वारा कारखाने बन्द कर देने के कारण बेकार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भारत सरकार ने इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई है।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता

1552. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन पार्टियों को कोई वित्तीय सहायता देने का है जिनको देश में छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये लाइसेंस अथवा आशय-पत्र जारी किये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) : जी, नहीं । यह काम विद्युत् भट्टियों एवं निरन्तर ढलाई इकाइयों के लाइसेंसधारियों का है कि वे सरकारी वित्तीय संस्थानों से बातचीत करें तथा आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करें ।

अमरीका-पाकिस्तान रक्षा संधि

1553. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका-पाकिस्तान रक्षा संधि के बारे में जानकारी है जिस पर 5 मार्च, 1959 को हस्ताक्षर हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) : 5 मार्च, 1959 की संयुक्त राष्ट्र अमरीका और पाकिस्तान के बीच जिस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए वह एक सार्वजनिक प्रलेख है और इस समझौते का पाठ 18 मार्च, 1959 को इस सदन की मेज पर रखा गया था ।

कालकाजी, नई दिल्ली स्थित पूर्व पाकिस्तान विस्थापित कालोनी में प्लाटों का आवंटन

1554. श्री बी०के०दासचौधरी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालकाजी के निकट पूर्व पाकिस्तान विस्थापित कालोनी में प्लाट बिना किसी उचित प्रेस विज्ञप्ति के सैनिक अधिकारियों को आवंटित कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कालोनी में प्लाटों के आवंटन के लिए इनसे आवेदन पत्र कब प्राप्त हुए थे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : सशस्त्र सेना के चार अधिकारियों के मामलों में, जिन्होंने आवेदन-पत्र दिए थे, आवेदन-पत्र देने की अन्तिम तिथि में छूट दे दी गई थी । आवेदन-पत्र निम्नलिखित तिथियों को दिए गए थे :—

(i) 6-12-1967.
(ii) 28-2-1968.
(iii) 11-4-1968.
(iv) 28-4-1969.

इसके अतिरिक्त रक्षा सेवा के सदस्यों के मामले में दिल्ली में रिहायश की शर्त में भी छूट दे दी गई थी ।

इस्पात के आयात के लिए लाइसेंस देना

1555. श्री जी०वाई० कृष्णन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में किन-किन देशों के साथ आयात समझौते किये गये और उन पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये लाइसेंस दिये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : विदेशों के साथ इस्पात के आयात के लिए विशेष रूप से कोई करार नहीं किया गया है। ऐसे देशों के साथ जिनके साथ रुपए में अदायगी के आधार पर वार्षिक व्यापार समझौते किए गए हैं तथा दूसरे देशों के साथ उधार-समझौते, जिनमें उधार दी गई रकम में से ली जाने वाली सूची में विस्तार किया गया है, में ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अन्तर्गत वह पार्टियां जिनके पास आयात लाइसेंस होते हैं, व्यक्तिगत रूप से आयात के करार कर सकती हैं।

जारी किये गये लाइसेंसों के विवरण, मुख्य नियन्त्रक, आयात और निर्यात द्वारा प्रकाशित "दि वीकली बुलेटिन ऑफ इन्डस्ट्रीयल लाइसेंस-इम्पोर्ट लाइसेंसिज़ एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज़" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। बुलेटिन की प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

सरगूजा कोयला क्षेत्र में कोयले का उत्पादन

1556. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरगूजा जिले के कोयला क्षेत्र से कोयले का उत्पादन कोयले की माग में कमी के कारण कम कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कोयला भाण्डार में से पूरी क्षमता से कोयला निकालने के लिये सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : जी, नहीं। सुरगूजा जिले में पहले ही से विकसित खानों में, कोयले के संचलन के लिए अतिरिक्त वैगनों के उपलब्ध होने से, उत्पादन में संवर्धन होने की आशा है।

लोहा और इस्पात उद्योग के समन्वित विकास के लिए एक कम्पनी की स्थापना

1557. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लोहा और इस्पात उद्योग के समन्वित विकास के लिए एक कम्पनी बनाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और यह कब तक बना दी जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस्पात और इससे सम्बद्ध अन्य उद्योगों, जैसे कोकिंग कोयले, लोह-अयस्क, मेंगनीज आदि के लिए एक होल्डिंग कम्पनी बनाने का निश्चय किया है। इस्पात, लोह-अयस्क, कोकिंग कोयले और ऊष्मसह से सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के निगमों के सभी हिस्से होल्डिंग

कम्पनी के पास होंगे और यह कम्पनी इनके कार्यों में इनका मार्गदर्शन करेगी। इस क्षेत्रों में संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों में सरकार के कुल हिस्से भी इस कम्पनी के पास होंगे। यह कम्पनी सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, जिनके गैर-सरकारी क्षेत्र की इस्पात कम्पनियां खनन कम्पनियां, ऊष्मसह इकाइयों और इस्पात बनाने वाले लघु संगठनों में हिस्से हैं, के मनोनीत प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करेगी। यह कम्पनी दूसरे काम करने के साथ-साथ विकास के दीर्घकालीन कार्यक्रम बनायेगी, वचत को, उद्योग का और विस्तार करने में लगायेगी, आवश्यक प्रोद्योगिक परिवर्तनों और नयी पद्धतियां और अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करेगी और सम्बन्धित क्षेत्रों में अपनी कम्पनियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करेगी और उन पर निगरानी रखेगी। मंशा यह है कि इस संगठन से लम्बमान एकीकरण द्वारा मितव्ययिता प्राप्त की जा सके और कम-से-कम खर्च से समन्वित विकास किया जा सके।

होल्डिंग कम्पनी की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है और कम्पनी की स्थापना यथाशीघ्र कर दी जाएगी।

बेरोजगार व्यक्तियों के लिए समेकित विकास कार्यक्रम

1558. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के बेरोजगार व्यक्तियों को काम दिलाने के लिए एक समेकित विकास कार्यक्रम तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने बेरोजगार व्यक्तियों को काम मिलने का अनुमान है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

(ग) यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, जैसा कि इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है, विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत भारी संख्या के लाभान्वित होने की आशा है।

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना और केन्द्र व राज्यों की वार्षिक योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त जिनसे देहाती और शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिकधिक संख्या में रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे, सरकार ने समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों और नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों के लिए विशेष परियोजनाएं भी बनाई है। अब तक चालू की गई परियोजनाओं में लघु किसान विकास अभिकरण, सीमान्त किसान तथा कृषि मजदूर प्रायोजनाओं और देहाती क्षेत्र में नियुक्ति अवसर जुटाने के लिए कैश स्कीम, सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में ग्राम निर्माण कार्यक्रम आदि का उल्लेख किया जा सकता है।

विशेष तौर पर शिक्षित व्यक्तियों के, जिनमें, तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति शामिल हैं, लाभ के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हेतु 1971-72 के बजट में 25 करोड़ रुपए की विशेष

व्यवस्था भी की गई थी । सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों—विभागों से परामर्श करने के बाद इस व्यवस्था के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा अब तक अनुमोदित परियोजनाओं में प्राइमरी शिक्षा के स्वरूप का सुधार और विस्तार ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण, डीलरशिप के लिए भारतीय तेल निगम परियोजना, उपभोक्ता सहकारी भंडारों का विस्तार, उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता, पांचवी पंचवर्षीय योजना में सड़क कार्यों के अन्वेषण सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही तथा ग्राम जल-पूर्ति के लिए डिजाइन यूनिट स्थापित करना आदि शामिल हैं ।

1972-73 के बजट प्रस्तावों में विशिष्ट कल्याण परियोजनाओं के लिए कुल मिला कर 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है यथा प्राइमरी शिक्षा (30 करोड़ रुपए), विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम (60 करोड़ रुपए), गन्दी बस्तियों का सुधार (25 करोड़ रुपए), देहाती आवास-स्थल (5 करोड़ रुपए) और ग्राम जल-पूर्ति (15 करोड़ रुपए) । विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रखी गई 60 करोड़ रुपये की राशि 1971-72 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए चालू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को जारी रखने तथा देहाती और शहरी दोनों क्षेत्रों में नए कार्यक्रम, जिनके लिए परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, आयोजित करने के लिए होगी ।

समाचार भारती में पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना

1559. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त पत्रकार मजूरी बोर्ड ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है; यदि हां, तो नई दिल्ली स्थित समाचार भारती समाचार एजेंसी को किस श्रेणी में रखा गया है;

(ख) क्या समाचार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार समाचार भारती के पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को वेतन, महंगाई भत्ता, नगर भत्ता और अन्य सुविधायें मिलेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : इस विषय पर आधुनिकतम सूचना एकत्र की जा रही है ।

बोनस सम्बन्धी "खाडिलकर सूत्र" को कानपुर कपड़ा मिलों में लागू करना

1560. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस सम्बन्धी "खाडिलकर सूत्र" को कानपुर कपड़ा मिलों से लागू नहीं किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार को, नियोजकों को राजी करके, इसे लागू करने को कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : कुछ मिलों में इस विषय पर विवाद है और समझौता कराने के लिए प्रयास किए जा रहें हैं।

खेतड़ी तांबा परियोजना का पूरा किया जाना

1561. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लगाए गए, अनुमान के अनुसार, खेतड़ी तांबा परियोजना को पूरा करने पर पहले लगाए गए 93 करोड़ रुपए के अनुमान के स्थान पर 115 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और अब यह परियोजना 1970-71 में पूरी होने के बजाय पांचवीं योजना-अवधि में पूरी होगी; और

(ख) यदि हो, तो परियोजना की लागत और इसके पूरा होने की अवधि के संबंध में लक्ष्यों में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा हाल ही में खेतड़ी ताम्र प्रायोजना के लिए पूंजी लागत प्राक्कलनों का पुनर्विलोकन किया गया है और कम्पनी का ऐसा अनुमान है कि इस प्रायोजना पर 1968 के 93 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में लगभग 115 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन सरकार के परीक्षणाधीन है।

1968 में तैयार की गई पूर्ववर्ती समय-सारणी के अनुसार प्रायोजना को 1971-72 से सम्पुरित किया जाता था। तथापि, विभिन्न चटकों के कारण, प्रायोजना के कार्यान्वयन की प्रगति, प्रारम्भिक अवस्था में मन्द रही और प्रायोजना के लिए 1970 में पुनरीक्षित समय-सारणी तैयार की गई। इसके अनुसार, प्रायोजना को 1973-74 के अंतिम चरण से पूर्णतः चालू किया जाएगा।

(ख) पूंजी लागत प्राक्कलनों में अभिवृद्धि के कारण :

लागत प्राक्कलनों में उपरिमुखी पुनरीक्षण के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :—

(i) यह आवश्यक हुआ कि पूर्ववर्ती खनन परियोजना को पुनरीक्षित किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि समय-सारणी के अनुसार नियत दरों पर खान उत्पादन अभिप्राप्त हो। यंत्रीकृत खनन के लिए अतिरिक्त खान अनावरणों और अतिरिक्त खनन उपकरण की आवश्यकता हुई।

(ii) संयंत्रों के मामले में, विशिष्ट प्रद्रावक और परिष्करणशाला के मामले में, पूर्ववर्ती प्राक्कलन प्रारंभिक प्रक्रिया डिजायनों पर आधारित थे। विस्तृत डिजायनिंग के सम्पूर्ण से वह अतिरिक्त उपकरण जो पूर्ववर्ती प्राकलनों में सम्मिलित नहीं थे, प्रक्रिया की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उपबन्धित करने पड़े।

(iii) अभिवृद्धि भागतः विगत 4 वर्षों में उपकरण, सामग्री और सेवाओं की कीमतों में साधारण बृद्धि के कारण भी है।

(iv) प्रायोजना के सम्पूर्ण में लगभग 2 वर्षों की देरी के परिणामस्वरूप पर्यवेक्षण इत्यादि में अतिरिक्त व्यय भी उपगत करना पड़ा ।

2. प्रायोजना के सम्पूर्ण में हुई देरी के कारण

प्रायोजना के लिए अपेक्षित उपकरण और संयंत्र के कतिपय विशिष्ट मदों के डिजायन, विनिर्देशों इत्यादि को अंतिम रूप में देने में हुए अप्रत्याशित बिलम्बों के कारण मुख्यत: प्रायोजिना के कार्य में देरी हुई । उपकरण के स्वदेशीय उपाप्ति में विलम्ब, संकेन्द्रक संयंत्र के लिए सिविल सन्निर्माण कार्य के समापन में मन्द प्रगति और धातुत्पादक खनन और धातुकमीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुभवी और अहर्ताप्राप्त व्यक्तियों की कभी भी प्रायोजना के समापन में हुई देरी का कारण रहा है ।

इनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए हर समय प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रायोजना को पुनरीक्षित समय-सारणी के अनुसार सम्पूरित किया जाए ।

भारत में इस्पात की उत्पादन लागत

1562. डा० कर्णी सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित इस्पात की उत्पादन लागत अन्य देशों की अपेक्षा कैसी हैं, और

(ख) इस लागत को घटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) दूसरे देशों में इस्पात की उत्पादन लागत के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस जानकारी को प्राय: गोपनीय रखा जाता है । 1970-71 में भारत में इस्पात पिण्ड की विनिर्माण लागत (मूल्य ह्रास और ब्याज के बिना) इस प्रकार है :—

	रुपए प्रति टन
भिलाई	363
दुर्गापुर	450
राउरकेला (खुले मुंह की भट्टी)	429
राउरकेला (एल० डी०)	374
टिस्को	413
इस्को	446

(ख) 1972-73 में इस्पात पिण्ड के उत्पादन का लक्ष्य क्षमता का लगभग 4/5 रखा गया है । इसके मुकाबिले में इस समय वास्तविक उत्पादन लगभग 2/3 है । यदि लक्षित उत्पादन होने लगे, जिसके लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं, तो इस्पात की उत्पादन लागत कम हो सकती है ।

शरणार्थियों द्वारा खाली किये गए शिविरों का उपयोग

1563. श्री सुबोध हंसदा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बगाल देश से आए शरणार्थियों के लिए बनाए गए उन शिविरों का

उपयोग करने की कोई योजना बनाई है जो अब खाली हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : उन वर्तमान शिविरों के ढांचों का, जिनका वैकल्पित प्रयोग हो सकता है, उपयुक्त प्रयोग करने के लिए उन्हें जिला प्राधिकारियों को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में हिदायतें पहले ही जारी कर दी गई हैं।

मजदूर संघों का एकीकरण

1965. श्री निहार लास्कर : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक वर्ग की बेहतर सेवा करने की दृष्टि से देश के सभी प्रमुख मजदूर संघों के एकीकरण के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : अनुमान है कि परस्पर संघ प्रतिद्विन्द्विता को दूर करने, स्वस्थ संघवाद के प्रोत्साहन आदि के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय मजदूर संघ केन्द्र परिषद की स्थापना की सम्भावना का पता लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस तथा हिन्द मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में हुए विचार-विनिमय की ओर संकेत किया गया है। प्रतिनिधि इस विचारधारा को अपने संगठनों में आवश्यक समादेश तथा विषय में मार्ग-दर्शन हेतु ले जा रहे हैं।

सरकारी सेवाओं में रोजगार दर में वृद्धि

1566. श्री डी० पी० जदेजा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान रोजगार वृद्धि दर को बनाए रखा गखा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) रोजगार दर वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : रोजगार बाजार अध्ययनों के अनुसार, जिनके अन्तर्गत केवल संगठित क्षेत्र आते हैं, सेवाओं में रोजगार के अवसर मार्च, 1969 में 62.56 लाख थे, जो बढ़कर मार्च, 1970 में 64.15 लाख और मार्च, 1971 में 66.04 लाख हो गए, जिससे पिछले दो वर्षों के दौरान वृद्धि की दर क्रमश: 2.7 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत रही।

सेवाओं में वृद्धि दर में हुआ मामूली-सा ह्रास संगठित क्षेत्र की समस्त रोजगार स्थिति के के अनुकूल है।

(ग) एक विवरण संलग्न हैं।[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1596/72]

*सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र की कृषेतर संस्थापनाएं जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं।

रेलवे में कर्मचारी भविष्य निधि

1567, श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 को लागू करने के बारे में भारतीय रेलों को छूट दी गई; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे में इस प्रकार की कोई भविष्य निधि योजना है जो कि रेलवे के तीन नैमित्तिक, वैकल्पिक तथा अन्य दैनिक कर्मचारियों पर लागू होती है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले रेलवे संस्थानों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबन्धों की संक्रिया से अधिनियम की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत छूट दी गई हैं।

(ख) रेलवे के इन संस्थानों में जब छः महीनों से अधिक अवधि के लिए सामयिक श्रमिकों को और प्रतिस्थापितों को भी नियोजित किया जाता है, तो वे उन भविष्य निधि लाभों को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं जो अस्थायी नियमित रेल कर्मचारियों को दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन बिहार की कोयला खानों में मजदूर संघ

1568. कुमारी कमला कुमारी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन बिहार की सभी कोयला खानों में कुल कितने मजदूर संघ हैं;

(ख) उनमें से ऐसे मजदूर संघ कौन-कौन से हैं जिनकी सदस्य संख्या सबसे अधिक है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने उन्हें मान्यता प्रदान की हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए प्रतिनिधि-मंडल भेजने हेतु प्रक्रिया पर पुनर्विचार

1569. श्री दशरथ देव : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए प्रनिनिधि मंडल भेजने के बारे में प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिए गये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) मामला विचाराधीन है।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Underpayment to Labourers in Delhi

1570. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Labour aud Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether he is aware that the contractors, specially in Delhi, engaging labourers

on daily wages exploit the labourers by paying them lesser amounts than what they show in their registers; and

(b) The preventive aetion proposed to be taken ?

The Minister of Labour and Rehabititation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). The Inspections carried out last year in respect of 243 establishments of the contractors under the CPWD, MES, Railways, and other establishments like P & T LIC, which fall under the Central Sphere show that no discrepancy between the entries made in the registers and actual payments had been detected.

However, during the inspections a few cases of short payments to certain categories of workers were detected. These were promptly taken up with the concerned contractors or the employing Departments and the amounts in question were recovered and paid to the concerned workers.

औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन

1571. श्री राजदेव सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम में व्यापक परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या इन परिवर्तनों से अध्यापक और कृषि श्रमिक भी इसके अन्तर्गत आ जायेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) स्थायी श्रम समिति के 29वें सत्र के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक संस्थानी जैसी सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम का संरक्षण देने का प्रश्न विचाराधीन है।

कृषिक प्रचालन में व्यापार या व्यवसाय चलाने वाले श्रमिक अब भी औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित "उद्योग" में कार्य कर रहे श्रमिकों के समान माने जा सकते हैं।

Indo-Polish Agreement

1572. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether India and Poland have entcred into any agreement under which both the countries would have discussions on matters of international importance; and

(b) if so, the salient features of the agreement ?

The Minister of External Affairs (Shri Swarn Singh): (a) and (b). Yes, Sir. During the visit of H. E. Mr. Jan Mitreg, Deputy Prime Minister and Minister of Mining and Power of the Polish People's Republic to India from 6th to 15th January this year, it was decided to hold annual Indo-Polish consultations at the appropriate level on all matters concerning bilateral relations as well as international issues of mutual interest. This is in conformity with the practice followed by us with several other countries with whom we have friendly relations.

Arab Propaganda Against India

1573. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether some countries belonging to the Federation of Arab Republic are indulging in propaganda against India; and

(b) if so, the reaction of Government there to and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Extcrnal Affairs (Shri Swarn Singh) : (a) and (b). The Government of India is of the view that some critical references made by the Government of Libya, one tion of Arab Republics, were based on incorrect assesmens of facts and events in the sub- of the members of the Federa- continent. The matter was taken up with the Government of Libya and it is felt that there is now a growing awareness of the realities of the situation.

भारतीय इंजीनियरी निगम, रांची की फाउंडरी फोर्ज संयंत्र में प्रेस

1574. श्री सी० सी० चित्ति बाबू : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशा के अनुसार 1971 के अन्त तक भारी इंजीनिगरिंग निगम, रांची के फाउंडरी फोर्ज संयंत्र में प्रेस चालू हो गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) संभवतः प्रश्न का संकेत फाउंडरी फोर्ज प्लान्ट में 6,000 टन की प्रेस की स्थापना की ओर है। कार्यक्रम के अनुसार यह काम दिसम्बर, 1971 के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिए था और मार्च, 1972 तक इस प्रेस को काम शुरू कर देना चाहिए था। अब प्रेस के मई. 1972 के अन्त तक चालू किए जाने की सम्भावना है।

(ख) विलम्ब मुख्यतः आयात किए जाने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण संघटकों की प्राप्ति में देरी और ठेकेदार के पास विद्युत् तथा यान्त्रिक संघटकों की स्थापना के लिए पर्याप्त कुशल कामगारों के न होने के कारण हुआ है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र की सुरक्षा से सम्बद्ध कर्मचारियों को रोजगार देना

1575. श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

श्री डी० के० पंडा :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राउरकेला इस्पात संयंत्र की सुरक्षा से सम्बद्ध उन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने का है जो औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए अनुपयुक्त समझे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त इस्पात संयन्त्र में इस समय उपलब्ध वैकल्पिक नौकरियों की कुल संख्या कितनी हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्धक अपने उन सुरक्षा कर्मचारियों को, जिन्होंने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में जाने का आवेदन किया था, परन्तु जो शारीरिक अक्षमता अथवा अन्य ऐसे कारणों से जिन पर उनका बस नहीं है, इस बल में नहीं जा सके हैं, उचित रोज़गार की व्यवस्था करेंगे।

(ख) कोई ब्लाक रिक्तयां नहीं है। जब और जैसे रिक्तियों का पता लगेगा कारखाने के प्रबन्धक वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कर देंगे।

राउरकेला इस्पात संयंत्र की वैगन-रिपेयर-शॉप के एक मजदूर की मृत्यु

1576. श्री श्याम सुन्दर महापात्र: क्या **इस्पात और खान** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र की वैगन-रिपेयर-शॉप में काम करने वाले श्री शकूरा तान्टी की एक दुर्घटना में 11 फरवरी, 1972 को दोपहर बाद मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की गई है और उसका उत्तर-दायित्व निर्धारित किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) जी, हां। श्री तान्टी की राउरकला इस्पात कारखाने में 11-2-1972 को बाद दोपहर 2 बजे एक गम्भीर दुर्घटना हो गई थी। यह दुर्घटना उस समय हुई जब वे स्लैग कार के हाउसिंग को हटा रहे थे। उन्हे हस्पताल ले जाया गया जहां उसी दिन रात के आठ बजे उनकी मृत्यु हो गई।

(क) कारखाने के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी जांच की थी। उनके अनुसार श्री तान्टी की मृत्यु आकस्मिक थी।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के मजदूरों के लिए दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन

1577. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए विकल्प देने की अन्तिम तिथि के बारे में राउर केला इस्पात संयंत्र के सुरक्षा विभाग के मजदूरों को सूचित करने के लिए हजारों रुपए की विज्ञापन उड़िया तथा अन्ग्रेजी के समाचार पत्रों में दिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) और (ख): राउरकेला इस्पात कारखाने के सुरक्षा कर्मचारियों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में क्यूं जाना चाहिए के बारे में एक अधिसूचना अंग्रेजी भाषा के तीन और उड़िया के साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित की गई थी। इस पर 7,410 रुपए खर्च आए थे।

यह अधिसूचना न केवल सुरक्षा कर्मचारियों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल में शामिल होने के बारे में अपनी स्वेच्छा व्यक्त करने की अन्तिम तिथि के बारे में सूचित करने बल्कि उन्हें, कारखाने के दूसरे कर्मचारियों और जन साधारण की केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेवा की शर्तों के बारे में सही-सही जानकारी कराने के लिए भी जारी की गई थी।

श्रमिकों का जीवन बीमा

1578. श्री प्रभुदास पटेल : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद स्थित न्यू कमर्शियल मिल्स ने अपने लगभग 2,100 कर्मचारियों का जीवन बीमा करके जिसके लिए उन्हें प्रिमियम का भुगतात नहीं करना पड़ेगा, श्रमिकों के कल्याण की दिशा में एक नया कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित नई योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों में तथा सरकार के नियन्त्रणाधीन मिलों में ऐसी योजनाएं क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है यह यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

गुजरात के कपड़ा उद्योग में कोयले की कमी

1579. श्री प्रभुदास पटेल : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद मिल मालिक संघ ने बताया था कि गुजरात के कपड़ा उद्योग को कोयले के भण्डार की स्थिति के बारे में बहुत चिन्ता हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की स्थिति वर्ष भर असन्तोषजनक रही है; और

(ग) कोयले की कमी के मुख्य कारण क्या हैं और वर्ष 1972 में कोयले की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नए इस्पात कारखानों में उत्पादन

1580. श्री प्रभुदास पटेल : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री नए इस्पात कारखानों में उत्पादन के बारे में 18 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विशाखापतनम, हास्पेट और सलेम के नए इस्पात कारखानों में उत्पादन कब तक आरंभ हो जाएगा।

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : परामर्शदाताओं द्वारा शक्यता प्रतिवेदनों में बताए गए निर्माण कार्यक्रम के अनुसार सलेम इस्पात कारखाना 1977-78 में चालू किया जा सकता है जबकि विजयनगर और विशाखापतनम इस्पात कारखानों को चालू करने में अब से लगभग आठ वर्ष लगेंगे।

श्रमिकों का प्रबन्ध में भाग लेना

1581. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री पी गंगादेव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिए जाने का प्रयोग सफल सिद्ध नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री ((श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : यह सत्य है कि प्रयोग में प्रत्याशित प्रगति नहीं हुई है। इसके कारण आदतों के अनुलंबन, बंशागत प्रथाओं तथा उन्हें मौलिक रूप से बदल देने में हुई असफलता हो सकते हैं।

कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

1582. **श्री मोहमद शरीफ :**

श्री वी० मायावन :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की कुछ और कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां):(क)और (ख). कोककर कोयला खान (आयात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत 17 अक्तूबर, 1971 को और उस तारीख से समस्त कोककर कोयला खानों का प्रबन्ध, ऐसी खानों के राष्ट्रीयकरण होने तक, केन्द्रीय सरकार में पहले ही निहित किया गया है। उन खानों का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण किया जाना प्रस्तावित है।

कलकत्ता पत्तन के श्रमिकों की हड़ताल

1583. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अपील पर कलकत्ता पत्तन के श्रमिकों ने 3, मार्च 1972 को की जाने वाली अपनी हड़ताल स्थगित कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) उनकी मांगों पर विचार करने और हड़ताल को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय उनकी मुख्य मांग पिछली 4% राशि के अलावा लेखा वर्ष 1970-71 के लिए मजदूरी की 4-1/3%की अतिरिक्त आग्रहपूर्वक अदायगी के लिए है।

(ग) इस मामले पर श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा विचार-विमर्श किया गया है और शीघ्र ही कुछ और आगे विचार-विमर्श किए जाने की सम्भावना है।

औद्योगिक एककों द्वारा इस्पात का दुरुपयोग

1584. श्री पी० के० देव : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औद्योगिक एककों द्वारा इस्पात का दुरुपयोग किए जाने के बारे में कई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि, हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे औद्योगिक एककों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हां।

(ख) 1970 और 1971 के वर्षों में इस्पात के दुरुपयोग के 58 मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। इनमें से 17 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/राज्य पुलिस प्राधिकारियों को जांच के लिए दे दिए गए हैं और 4 मामलों में राज्य सरकारो/क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियन्त्रकों द्वारा जांच की जा जा रही है। 14 पुनर्वेलकों को "कारण बतओ" नोटिसें जारी किए गए हैं। शेष मामले जांच की विभिन्न अवस्थाओं में है।

भारत-संयुक्त अरब गणराज्य सम्बन्धों पर भारत-पाकिस्तान युद्ध का प्रभाव

1585. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध का संयुक्त अरब गणराज्य के साथ हमारे संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार ने इस बीच भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए अपनी नितियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : मिस्र अरब गणराज्य की सरकार के साथ हमारे सम्बन्ध निकट और मैत्रीपूर्ण बने हुए हैं और हाल में ही भारत-पाक युद्ध से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

1586. श्री पी० के० देव : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कर्मचारियों ने हाल ही में निगम के मुख्यायल को नई दिल्ली से हैदराबाद स्थानान्तरित करने के भारत सरकार के निर्णय के विरुद्ध नई दिल्ली में एक प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मुख्यालय को हैदराबाद स्थानान्तरित करने के सरकार के विनिश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, दिल्ली के लिए कार्यालय भवन का निर्माण

1587. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली में केन्द्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण करने के लिए भूमि ली है और यदि हां, तो कब ली है तथा इसके लिए कितना मूल्य दिया गया है और क्या इस भूमि को अधिकार में ले लिया गया है;

(ख) क्या बहु-मंजिला भवन के निर्माण की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; यदि हां, तो प्रस्तावित भवन में कितनी मंजिलें हैं और इसके तथा अन्य सामानों के निर्माण की संभावित लागत क्या है; और

(ग) यह निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा तथा यह कब तक पूरा होगा और इस कार्य में तेजी लाने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) से **(ग)** : अगस्त 1970 में, निर्माणव आवास मंत्रालय ने, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय के लिए, 6·8 लाख रुपये की लागत पर भवन निर्माण करने के लिए, बाराखम्भा लेन पर एक भूखण्ड का आबटन किया। प्लाट का साकार कब्जा 12-2-1971 को संगठन को दिया गया। जुलाई, 1971 में दो पुराने बगंलों को गिरा कर, प्लाट को साफ किया गया। 13 मंजिल कार्यालय भवन बनाने का प्रस्ताव है। योजनाएं, अभी नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा अनुमोदित नहीं की गयी हैं, और इसलिए इस अवस्था में निर्माण सम्बन्धी व्यय का अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है वर्तमान प्राक्कलन के आधार पर, योजनाओं के, नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा अनुमोदित होने की तिथि से लगभग तीन माह बाद खम्बा नींव सम्बन्धी कार्य शुरू होगा और आशा की जाती है कि समस्त कार्य के पूर्ण होने में, योजनाओं की स्वीकृति की तिथि से लेकर, लगभग $2\frac{1}{2}$ साल लगेंगे।

कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि के वार्षिक विवरण जारी करना

1588. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बहुत से क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा सभी सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत किए जाने के बावजूद कई वर्षों से कर्मचारियों के लेखों के वार्षिक विवरण नहीं भेजे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की ओर तथा इस कारण कर्मचारियों में उत्पन्न वेचैनी की ओर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि नहीं; तो वार्षिक विवरण शीघ्र जारी करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त के अधीन विशेष सैल न बनाए जाने के कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) : 1964-65 वर्ष तक के लिए सारे वार्षिक लेखा-विवरण जारी किए जा चुके हैं। 1965-66 से 1970-71 तक के वर्षों के लिए जारी किए जाने वाले 218·96 लाख लेखों में से, 31-12-71 को केवल 37.29 लाख लेखों के विवरण जारी करने बाकी थे। कुल 37·29 लाख बकाया लेखों में से 21·32 लाख लेखों के विवरण नियोजकों से अपेक्षित विवरणियाँ आदि न मिलने के कारण जारी न हो सके। बाकी 15·97 लाख लेखों के विवरण जारी करवाने के लिए समूह्य उपाय किए गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि विवरण में अनियमितातएं

1589. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के वार्षिक विवरण में अर्थात् नाम, अधिशेष राशि और ब्याज के जोड़ में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तों बार-बार होने वाली ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय करने पर विचार न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि अधिकारियों ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

(क) जी नहीं। तथापि, छुटपुट मामले अवश्य ध्यान में आते हैं जिन पर उचित कार्य-वाही की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सभी उद्योगों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करने के लिए अनुसूची शीर्ष का हटाया जाना

1590. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 को पूरी तरह लागू करने के लिए निर्धारित शर्तों में से उद्योगों की अनुसूची शीर्ष हटाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस अनुसूची शीर्ष को हटाने से बहुत से कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की सदस्यता का लाभ पहुंचेगा और बहुत-सी खानों पर उक्त अधिनियम लागू नहीं होता क्योंकि वे अनुसूची शीर्ष के अन्तर्गत नहीं आतीं; और

(ग) यदि हां, तो खान तथा सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद से सभी खानों की ब्योरेवार सूची प्राप्त न किए जाने और सभी खानों पर कर्मचारी भविष्य निधि लागू न किए जाने के क्य कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि वे 30-12-1971 को 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों, जो ऐसे उद्योग

में व्यस्त हैं जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 अभी तक लागू नहीं किया गया है, से सम्बन्धित सर्वेक्षण किया जा रहा है। खान और सुरक्षा महानिदेशका से अब तक असम्मिलित खानों में अधिनियम लागू करने के सम्बन्ध में परामर्श किया जायेगा।

केरल में एल्यूमिनियम के निक्षेपों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

1591. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नानूर जिले में ऐल्यूमिनियम के निक्षेपों की मात्रा और किस्म का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण के लिये केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(ख) यदि हां, यो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : केरल सरकार ने राज्य में बाक्साइट समन्वेषण को त्वरित करने के लिए अनुरोध किया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पहले ही कन्नानोर जिले के कुम्बाला क्षेत्र में अन्वेषण के, जो अक्तूबर 1968 में सम्पूरित हुआ था, परिणामस्वरूप, अनंतपुर गुड्डा, पेर्ने गुड्डा और नारायणमंगलम उपगिरि में 40% और उससे अधिक ए. एल. 2 ओ 3 के साथ बाक्साइट की कुल 18 लाख टन उपलभ्य राशियां अनुमानित की गई हैं। नीलेश्वर क्षेत्र में, जहां चार खण्डों को विस्तृत अन्वेषण के लिए चिह्नित किया गया है, बाक्साइट के प्राप्ति-स्थल भी अवस्थापित किए गए हैं। दो खण्डों में परीक्षण व्यधन सम्पूरित किया जा चुका है और अन्य दो खंडों में कार्य प्रगति में है। व्यधन के समापन के पश्चात् उपलभ्य राशियां निर्धारित की जाएंगी।

पाकिस्तान जेलों में भारतीय राष्ट्रिका

1592. श्री पम्पन गौंडा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1971 में पाकिस्तान द्वारा कई भारतीय राष्ट्रिक जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे, अपरिहित कर दिये गये थे और वे अभी भी पाकिस्तानी जेलों में हैं; और

(ख) क्या सरकार युद्ध बन्दियों के आदान-प्रदान की समस्या का समाधान करते समय इन भारतीयों के बारे में बातचीत करेगी ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान ने अप्रैल, 1971 में 12 भारतीय राष्ट्रिकों को पकड़ा था जिनमें दो पत्रकार भी थे। ये लोग कहां हैं, इस बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार ने पाकिस्तानी जेलों से इन भारतीय राष्ट्रिकों को रिहा कराने का सवाल कई बार पाकिस्तान के साथ उठाया है।

नये प्रस्तावित इस्पात कारखानों के लिये सामान्य श्रम नीति

1593. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में स्थापित किये जाने वाले तीन नये इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में एक सामान्य श्रम नीति तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान): (क) और (ख) : सेलम, विशाखापत्तनम् और विजयनगर में स्थापित किये जाने वाले तीन इस्पात कारखानों के लिए कोई नई श्रमिक नीति बनाने का विचार नहीं है। सरकारी क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों के बारे में जिस नीति का अनुसरण किया जा रहा है वही नीति तीन नये इस्पात कारखानों के लिए भी लागू होगी।

केरल में बेरोजगारी

1594. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री केरल में बेरोजगारी के बारे में 22 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5663 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावों की जांच के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से राज्य में शिक्षित बेरोजगारी को हल करने के लिये कोई नई योजना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) केरल में बेरोजगारी संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर योजना आयोग द्वारा विचार किया गया और आयोग के विचार राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं।

(ख) और (ग): जब राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 1972-73 के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, तब राज्य सरकार ने रोजगार परियोजनाओं की एक संयोज्य योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें 1972-73 के दौरान 44 करोड़ रुपये का निवेश सनिहित है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1597/72]

वित्तीय कठिनाइयों के कारण, योजना आयोग द्वारा अभी संयोज्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए हैं।

खनिज निक्षेपों के सर्वेक्षण के बारे में राज्यों से शिकायतें

1595. श्री एल० ई० होरो : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि विभिन्न राज्यों से विभागीय सर्वेक्षण द्वारा दिखाये गये खनिज निक्षेपों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश में खनिज निक्षेपों के बाहुल्य को दृष्टि में रखते हुये सरकार का विचार व्यापक सर्वेक्षण के ब्योरे की जांच करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तटस्थ राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक

1596. श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में ही तटस्थ राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होगी;

(ख) यदि हां, तो यह बैठक किस स्थान पर होगी; और

(ग) बैठक में भारत द्वारा किन विषयों पर चर्चा की जायेगी ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन से पहले गुटमुक्त देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का निश्चय किया गया है ।

(ख) इस वर्ष अगस्त में जार्जटाऊन (गुयाना) में इस बैठक की निकट संभावना है ।

(ग) इस बैठक का उद्देश्य गुटमुक्त देशों की पिछली बैठक के बाद की विश्व की घटनाओं की मोटे तौर पर समीक्षा करना तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी अधिवेशन की कार्यसूची कीं विभिन्न मदों के सम्बन्ध में गुटमुक्त देशों की नीतियों को समन्वित करना है । गुटमुक्त देशों में परस्पर आर्थिक सहयोग के बारे में भी विचार-विमर्श होने की संभावना हैं । लेकिन कार्य-सूची के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । भारत का इन विचार-विमर्शों में भाग लेने का इरादा है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात का निर्यात

1597. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में इस्पात के निर्यात के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात किये जाने वाले इस्पात की मात्रा कितनी होगी; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत से इस्पात खरीदते हैं और अनुमानतः इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) : खनिज और धातु व्यापार निगम इस्पात के निर्यात के कोई लक्ष्य निश्चित नहीं करती है और न ही वह स्वयं इस्पात का निर्यात करती है ।

आन्तरिक मांग में हुई वृद्धि को देखते हुए सरकार निर्यात के बारे में एक विधिवत् नीति का अनुसरण कर रही है । इस नीति में पहले किए गए वायदों को पूरा करने, प्राप्त किये गये बाजारों को यथासंभव अपने हाथ में रखने की आवश्यकता तथा पड़ोसी मित्र देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है ।

चालू वर्ष में अर्जेनटाइना, बर्मा, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, ईराक, जापान, केनिया, कुवैत, मस्कट, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, सूडान, संयुक्त अरब गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस और युगोस्लाविया को इस्पात का निर्यात किया गया । 1971-72 में लगभग 19 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होगी ।

Refusal of Visas to Indian members of I. C. C. by South Vietnam

1598. Shri Bibhuti Mishra : Will tne Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) Whether the Government of South Vietnam has refused to grant visas to the Indian members of the International Control Commission;

(b) if so. the reasons therefor: and

(c) the reaction of the Government of India thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the South Viet-namese Government, by upgrading the level of representation with Hanoi, while not doing so in the case of Saigon, India had lost her neutrality and impartiality and therefore any title to participate in the I. C- C. as Chairman of the Commission.

(c) India's decision to raise the level of her Mission in Hanoi was not in any way directed against South Vietnam. It was recognition of the realities of the situation and in exercise of our sovereign rights. The I.C.S.C. in Vietnam is an international body, created by the nations participating in the Geneva Conference of 1954, and any attempt by any one of the parties to unilaterally alter its functioning is totally unwarranted.

सामूहिक सौदेबाजी

1599. श्री बनमाली पटनायक : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, सामूहिक सौदेबाजी के परिणामस्वरूप निपटाए गए औद्योगिक विवादों की संख्या क्या है; और

(ख) कर्मचारी और मालिकों के बीच सामूहिक सौदेबाजी के महत्व पर जोर देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकार) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में सुलह और आपसी करार द्वारा किए गए समझौतों की संख्या और मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवादों की संख्या निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	किए गए समझौतों की संख्या जो		मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवादों की संख्या
	सुलह द्वारा	आपसी बातचीत द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)
1969	1228	528	70
1970	1063	524	55
1971	1009 (अ०)	710 (अ०)	13
		(अ०) अस्थायी	

(ख) सामूहिक सौदाकारी की उन्नति और औद्योगिक सम्बन्धों के लिए एक व्यापक योजना के लिए राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कतिपय सिफारिशें की हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण,

एकमात्र सौदाकारी अभिकर्ता के रूप में प्रतिनिधि संघ को सांविधिक मान्यता देने से सम्बन्धित है। सभी सम्बन्धित हितों के साथ परामर्श करके सिफारिशों की जांच की जा रही है।

सिम्पसन समूह की कम्पनियों का बन्द किया जाना

1600. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के सिम्पसन समूह की कम्पनियों के प्रबन्धक वर्ग ने माऊंट रोड़ स्थित अपने कारखाने को तथा उपनगर सैम्बीयम में स्थित अन्य कारखानों को अनिश्चित काल के लिए बन्द करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कारखानों को पुन: खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : ज्ञात हुआ है कि सिम्पसन समूह के सभी एकक 22 मार्च, 1972 से पुन: खुल गये हैं।

Bringing back of ashes of late M.L. Dhingra from London

1601. **Shri Jharkahande Rai** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state ;

(a) whether Government are aware that in London there is a Samadhi of Late Shri Madan Lal Dhingra, a revolutionary freedom fighter, who assassinated Colonel Wylli in London in 1908;

(b) whether Government are also aware that it has been inscribed on the stone installed at the Samadhi site that "that day would soon come when young students of Iddia would take my ashes to India with honour after Independence"; and

(c) whether Government would initiate negotiations with the British Government and bring the ashes to India?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran singh) : (a) & (b) : Government are aware that Shri Madan Lal Dhingra, who was sentenced to death and executed in Pentonville Prison on August 17, 1909, is buried somewhere in the U. K. However, the location of his grave has not been divulged and the British Home Office has to be approached for permission to visit the grave. It is understood from the British Home Office that there is no inscription on the grave, not even a name but only a number.

Further enquiries are being made as to whether any local Indians or Indian Associations have subsequently built a Samadhi elsewhere in U.K. in memory of this revolutionary freedom fighter.

(c) The matter will be considered after the grave is identified.

उड़ीसा के तूफानग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

1602. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के तूफानग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को भुखमरी से बचाने के लिये सभी प्रकार की सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो धन के रूप में और वस्तुओं के रूप में कितनी-कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी गई है अथवा ऋणों के रूप में; और

(घ) प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1598/72]।

Unemplovment in Bihar

1603. Shri Jagannath Mishra : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that problem of unemployment is more acute in Bihar as compared to other States;

(b) Whether the Biharis were never given due representation in the industrial concerns in Bihar; and

(c) the scheme of Government to improve the situation in this regard?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Precise estimates of unemployment in the country and, for that matter, separately for each State (including Bihar) are not available. The only available information, which relates to the number of work-seekers on the live register of Employment Exchanges is given in the attached statement.

(b) No. information on the subject is avilable. However, the policy of the Government has always been that the local people should be given due share in the employment in the public undertakings located in their areas. With this end in view, instructions have been issued to the effect that appointment to posts in Public Enterprises carrying a salary of not more than Rs. 500/-p.m. should be made through the local Employment Exchange; other sources are to be tapped only if the Employment Exchange issues a 'non-availability certificate'.

(c) Apart from associating the representatives of the State Government in the matter of recruitment, the Ministries concerned with Public Enterprises have been addressed to advise the undertakings to bring to the notice of the local administration in advance, matters relating to future recruitment, if any, so that they, in their turn, can

initiate action and see that more of local people get themselves registered with the loca Employment Exchanges. Moreover, if there are any instances of the existing instructions in this regard being not followed by any Public Enterprise, the local Employment Exchange normally bring the same to the notice of the Govérnment for appropriate action.

Statement

State/Union Territory	No. on Live Register of Employment Exchamges as on 31st December, 1971.
Andhra Pradesh	3,36,151
Assam	78,982
Bihar	4,19,668
Gujarat	1,70,964
Haryana	99,315
Himachal Pradesh	45,273
Jammu & Kashmir	25,394
Kerala	3,57,381
Madhya Pradesh	3,15,592
Maharashtra	4,30,016
Mysore	2,70,053
Orissa	1,85,132
Punjab	1,18,869
Rajasthan	1,39,825
Tamil Nadu	4,59,654
Uttar Pradesh	5,31,701
West Bengal	8,68,121
Chandigarh	19,761
Delhi	1,39,220
Goa	10,557
Laccadives	1,330
Manipur	37,665
Pondicherry	9,403
Tripura	29,892
Total	50,99,919

Reservation of areas containing deposits of lime stone, Bauxite and coal in Madhy Pradesh.

1605. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether hundreds of villages in Madhya Pradesh are reserved for lime stone, Bauxite and coal in Jabalpur, Bilaspur, Durg, Surguja, Sidhi, Betul and Satna districts;

(b) if so, whether this has resulted in blocking of the areas which could otherwise have been developed; and

(c) if so, whether Government propose to withdraw these blanket reservation of these vast areas keeping the minimum required for the public sector?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes Sir. The areas reserved are in Satna, Bilaspur, Rewa, Jabalpur, Dug, Balaghat, Mandla, Bastar, Shahdol, Surguja and Raigarh Districts of Madhya Pradesh. One area in Mandla & Balaghat Districts has been reserved for the development of a National Park.

(b) & (c). Areas are reserved for exploitation in Public Sector in the interest of overall mineral development and in accordance with Government's policy as formulated from time to time. However, in cases where the areas are later found to be not required for exploitation in the Public Sector, they are released.

उड़ीसा में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों को तूफान/बाढ़ सम्बन्धी अग्रिम

1606. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालचेर कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों को तूफान/बाढ़ सम्बन्धी ऋण नहीं दिये गये है;

(ख) क्या उड़ीसा में तालचेर में अन्य केन्द्रीय सरकारी कमचारियों को 9 महीने के वेतन के बराबर, 1,000 रुपये से अनधिक तूफान/बाढ़ सम्बन्धी ऋण दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में तालचेर कोयला खानों के कर्मचारियों को तूफान/बाढ़ सम्बन्धी ऋण देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी, नहीं । तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि साधारण वित्तीय नियमों के नियम 249 के अधीन, अग्रिम धन की राशि की, जो सरकारी कर्मचारी को अनुदत्त की जा सकती है, उच्चतम सीमा 500/- रु० अथवा तीन मास के वेतन तक, इन दोनों में जो कम हो, निबंधित की गई है । उस मामले में जहां दूसरी अग्रिम-राशि की रकम और प्रथम अग्रिम-राशि की परादेय अतिशेष राशि साधारण वित्तीय नियम के नियम 249 में निर्धारित सीमाओं तक निर्बंधित है । इन सीमाओं की वित्त मंत्रालय के का० ज्ञा० सं० एफ० 18 (12)-ई दो (क)/71 तारीख 9-12-1971 में उदार बनाया गया था । इन उदारीकृत आदेशों का लाभ उड़ीसा में चक्रवात से प्रभावित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तक भी विस्तारित किया गया है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित नियम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के जो सरकारी कम्पनी है, कर्मचारियों पर प्रत्यक्षतः लागू नहीं होते हैं ।

अविलम्बनोय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल में नारियल जटा कताई यार्ड के बन्द होने का समाचार

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : श्रीमान, मैं विदेश व्यापार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय-लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस

सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"केरल में नारियल जटा कताई यार्ड बड़ी संख्या में बन्द कर दिये जाने और परिणामस्वरूप लाखों कर्मकारों के बेरोजगार हो जाने तथा नारियल जटा उत्पादों के निर्यात व्यापार में कमी हो जाने का समाचार।"

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कयर उद्योग के सम्बन्ध में केरल सरकार द्वारा निम्नतम मजदूरी में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप, केरल में कयर उद्योग के कताई क्षेत्र में कुछ मामूली-सी अव्यवस्था आ गई है। राज्य सरकार ने विनिश्चय किया है कि एल्लप्पी तथा क्यूलोन सैन्ट्रल कयर मार्केटिंग कापरेटिव सोसाइटीज लि० द्वारा अस्थायी उपायों के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर खरीद डिपो खोले जायेंगे। जबकि, न्यूनतम मजदूरी के वितरण के बाद केवल निर्मित धागा खरीदा जाएगा, मशीन निर्मित रेशे से बना धागा स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने 30 लाख रु० की राशि के एक विशेष ऋण की मंजूरी दी है।

इस मामूली सी अव्यवस्था के परिणामस्वरूप निर्यात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है जो इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि अप्रैल, 1970 फरवरी, 1971 के दौरान कयर उत्पादों के निर्यात 5.94 करोड़ रु० मूल्य के हुए और अप्रैल, 1971 फरवरी, 1972 के दौरान 6.75 करोड़ रु० मूल्य के हुए। उपरोक्त अवधियों के दौरान कयर उत्पादों के सम्बन्ध में निर्यात आंकड़ों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1577/72]**

श्री सी० एम० स्टीफन : मंत्री महोदय की इस बात से मुझे ठेस लगी है कि केरल में नारियल जटा उद्योग की समस्या मामूली है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने एक विशेष शर्त के साथ थोड़ी-सी राशि मंजूर की है और वह यह है कि न्यूनतम मजूरी के भुगतान के बाद काता हुआ धागा खरीदा जायेगा। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा करना संभव नहीं है। इस प्रकार वहां से धागा खरीदा ही नहीं जायेगा और धागा इकट्ठा हो जायेगा। इसी कारण नारियल जटा कताई यार्ड बंद किये जा रहे हैं। 16 करोड़ रुपये के स्थान पर केवल 3 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं जो कि बहुत ही कम राशि है।

नारियल जटा उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है तथा विदेश व्यापार मंत्रालय के प्रशासनिक प्रतिवेदन में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि इस उद्योग से लगभग 15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नारियल जटा बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार केरल के तटीय क्षेत्र के लगभग 10 लाख लोगों को इस उद्योग से रोजगार मिलता है।

नारियल जटा उद्योग के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। एक भूसी गलाने वाला, दूसरा निर्यात करने वाला और कताई और नारियल जटा उत्पादन करने वाला। भूसी गलाने के काम में 24,000 व्यक्ति काम करते हैं तथा समूचे व्यापार की 97 प्रतिशत तक इन 24,000 व्यक्तियों में से 37 प्रतिशत व्यक्ति देख-भाल करते हैं। दूसरी ओर कुछ निर्यातकर्त्ता भी हैं जिन्हें उत्पादन से कोई मतलब नहीं है। निर्यातकर्त्ता केवल आर्डर लेते हैं तथा कठिन शर्तों पर दूसरों को दे देते हैं।

भूसी गलाने वाले लोग नारियल जटा अधिक मूल्यों पर देते हैं । इन दोनों के बीच लाखों श्रमिक पिस जाते हैं और उन्हें न्यूनतम मजूरी भी नहीं मिल पाती है । इन सभी का विश्लेषण करने पर पाया गया कि कुछ उपाय करने नितान्त आवश्यक हैं ।

भूसी गलाने वाले क्षेत्र में कार्यवाही की गई तथा नारियल जटा को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया । भारत सरकार ने नारियल जटा गलाना लाइसेंस आदेश जारी करके भूसी गलाने पर नियंत्रण कर लिया है । दूसरी ओर कम-से-कम कीमत निर्धारित की गई परन्तु उससे भी निर्यातकर्त्ता को लाभ हुआ । इन दोनों बातों के आधार पर राज्य सरकार ने न्यूनतम मजूरी की घोषणा की तो भूसी गलाने वाले एकाधिकारी उच्च न्यायालय में पहुंचे तथा उच्च न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया ।

उच्च न्यायालय ने इन शब्दों के साथ आदेश रद्द कर दिया कि भारत संघ की ओर से कोई परामर्शदाता उपस्थित नहीं हुआ है और न्यायालय को इस महत्वपूर्ण मामले में आदेश को एकतरफा रद्द करना पड़ा । ऐसा इसी जनवरी में हुआ ।

यह मामला किस मंत्रालय के अधीन था और क्या दृष्टिकोण अपनाया गया था जिसके परिणामस्वरूप आज भूसी नहीं मिल रही है । इस विकट स्थिति के बारे में केरल राज्य सरकार ने एक वक्तव्य भी दिया है ।

राज्य सरकार ने नारियल की भूसी के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण करने के लिये 'केरल नारियल भूसी (मूल्यों का नियंत्रण, वितरण और विनियमन) आदेश, 1971' का प्रारूप तैयार करके अनुमोदन के लिये केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस पर आज तक दो महीनों से कोई ध्यान नहीं दिया है, भूसी उपलब्ध नहीं है इसलिए कताई यार्ड बंद किये जा रहे हैं । कताई यार्ड बंद किये जा रहे हैं इसलिए नारियल जटा उपलब्ध नहीं है और बहुत से श्रमिक बेकार हैं । मंत्री महोदय ने मार्च, 1971 तक के आंकड़े दिये हैं जब कि में आज की बात कर रहा हूं । यदि यही स्थिति रही तो 1972-73 के अन्त तक उत्पादन समाप्त हो जायेगा ।

भारत सरकार को इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुये कोई अन्य आदेश लागू करने चाहिए । भूसी की परिभाषा को शामिल करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम अथवा नारियल जटा अधिनिमय में संशोधन किया जाना चाहिए । जिस अधिवक्ता के कारण यह विकट स्थिति उत्पन्न हुई उसे तुरन्त सजा दी जानी चाहिये ।

योजना आयोग के सुझाव को राज्य सरकार क्रियान्त्रित नहीं करती है । सहकारी क्षेत्र में राज्य सरकार ने पहले ही 3 करोड़ रुपये लगा दिये हैं । केन्द्रीय सरकार ने केवल केरल सरकार को 45 लाख रुपये इस काम के लिये दिये थे । उसने हमें 1.18 करोड़ रुपये का ऋण भी दिया है । सारे ऋण का वापस भुगतान कर दिया गया है । सरकार ने सीमा-शुल्क के रूप में लगभग 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष एकत्रित किये हैं । वह धन वापस सहकारी क्षेत्र को दे दिया जाना चाहिए ।

सरकार बार-बार हमें प्रतीक्षा करने के लिए कहती रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह चौथा-पांचवां प्रश्न किया है । अब आप बंद करिये । दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलना है ।

श्री० सी० एम० स्टीफन : क्या मंत्री महोदय मेरे द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का स्पष्टीकरण देंगे ? (**व्यवधान**)

श्री ए० सी० जार्ज : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे 14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिलनी है।

इस क्षेत्र में कठिनाइयां हो सकती हैं। यह काफी लम्बे समय से चल रहा था। इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जो गहरी जड़ें जमाये हुये हैं। माननीय सदस्य ने इस उद्योग के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया है। पिछले वर्षों में हमने उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए उपाय किये हैं। सहकारी क्षेत्र इसका उत्तर है और उनसे लाभ हुए हैं।

जहां तक उच्च न्यायालय की टिप्पणी का सम्बन्ध है कि मामले पर सरकार की ओर से ठीक ढंग मे बहस नहीं की गई, मैं मानता हूं कि यह सही है।

ऐसे मामलों में मैंने वास्तविक स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया है। गृह मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय इस मामले में शामिल थे। हमारे मामले में थोड़ी कमी रह गई थी। मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि उपचारात्मक कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

हमारे विचार में नारियल जटा उद्योग में सुधार के लिए 3 करोड़ रुपये रखे. गये हैं। इस सम्बन्ध में केरल राज्य सरकार द्वारा कुछ स्पष्टीकरण भी दिए जाने हैं। वे पूरे होते ही उत्पादन क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करके प्रोत्साहित किया जायेगा।

जहां तक भूसी नियंत्रण आदेश का सम्बन्ध है, हम औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय से सम्पर्क बनाये हुए हैं और जो आवश्यक समझी जायेगी वही कार्यवाही तुरन्त की जायेगी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : केरल में नारियल जटा उद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है जो आजकल खस्ता हालत में है।

16-12-70 को श्री एल० एन० मिश्रा ने लोक सभा में बताया था कि इस उद्योग को पर्याप्त तथा भारी सहायता दी जायेगी। इस उद्योग से लगभग 15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिलती है। भारत सरकार की यह प्रवृत्ति रही है कि अपनी बला राज्य सरकार पर टाल दे। मैं जानना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार की 1.5 करोड़ रुपये की मांग का क्या हुआ ? इस नारियल जटा उद्योग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

श्री ए० सी० जार्ज : केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं का योजना आयोग ने अध्ययन किया और पाया कि केरल सरकार की 15.59 करोड़ रुपये की मांग के स्थान पर यह योजना 6.99 करोड़ रुपये से क्रियान्वित की जा सकती है तथा यह भी पाया कि इसके व्यय का लगभग 4.5 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों द्वारा पूरा किया जायेगा परन्तु बाद में यह पाया गया कि चूंकि इस उद्योग में अधिक श्रमिक कमजोर वर्गों के हैं तथा सहकारी प्रणाली में कुछ कमी है अतः वित्तीय संस्थान सहायता नहीं दे सकते। जब तक सहकारितायें सक्षम नहीं होंगी तब तक वित्तीय संस्थान सहायता नहीं देंगे। हम सहकारिताओं को सुदृढ़ बनाने के लिये केरल सरकार को आवश्यक सहायता देकर इस समस्या का शीघ्र ही समाधान करेंगे। मैं सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न

RE. MOTION FOR ADJOURNMENTC QUERY

श्री के० बालतन्डायुतम (कोयम्बटूर) : मैंने एक महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केन्द्र और राज्य के बीच विवाद हो जाने के कारण मद्रास नगर में लगभग 2,500 कर्मचारी बेरोजगार हैं। वित्त मंत्री कह सकते हैं कि इन लोगों की छटनी नहीं की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस विषय पर अल्प-सूचना प्रश्न की सूचना दे सकते हैं। मैं उसे मंत्री महोदय के पास भेज दूंगा।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा-शुल्क अधिनियम, अन्नदेंशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लवण अधिनियम, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 306, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 328, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापक। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1579/72**]

(2) अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, 1971 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 196(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी 1578/72**]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 301 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथे संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 304 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1580/72**]

(4) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) स्वर्ण नियंत्रण (प्रमाण-पत्र प्रदान करना) संशोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 128 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एस० ओ० 206(ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 8 फरवरी, 1972 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 128(ङ) के अंग्रेजी संस्करण का शुद्धि-पत्र दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी० 1581/72]

(5) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धन-कर (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 165 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 1582/72]

(6) दान-कर अधिनियम, 1958 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दान-कर (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 166(ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 1583/72]

(7) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 25 की उपधारा (3) के के अन्तर्गत, कम्पनी (लाभ) अतिकर (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ 167 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 1584/72]

(8) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (संशोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 175(ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 1585/72]

पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : श्रीमन, श्री खाडिलकर की ओर से मैं, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल० टी० 1586/72]

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड और नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (क) तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) तुंगभद्रा स्टील प्राडक्टस लिमिटेड का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल० टी० 1587/72]

(2) (क) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी० 1588/72]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के संचालन और प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन :

कम्पनी कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के संचालन और प्रशासन के सम्बन्ध में वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 1589/72]

डॉक कर्मकार (परामर्श समिति) संशोधन नियम, 1971

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं डॉक कर्मकार (नियोजन विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डॉक कर्मकार (परामर्श समिति) संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 1590/72]

राज्य-सभा में संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

"कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा 25 मार्च, 1972 को पास किये गये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

विधेयक पर अनुमति
ASSENT TO BILL

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1972 सभा पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

16वां प्रतिवेदन

श्री अजीज इमाम (मिर्जापुर) : मैं पूर्ति मंत्रालय—पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (पूर्ति पक्ष) के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 121वें प्रतिवेदन (चौथी लोक-सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 16वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य
BUSINERS OF THE HOUSE

संसदीय-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 3 अप्रैल, 1972 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची से आगे लाये गये किसी कार्य पर विचार।

(2) विचार तथा पारित करना :—

(एक) भारतीय तांबा निगम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक 1972।

(दो) भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972।

(तीन) महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

(चार) लोक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

(3) 'चौथी-पंचवर्षीय योजना—मध्यावधि मूल्यांकन' पर चर्चा।

कुछ माननीय सदस्य—उठे,

अध्यक्ष महोदय : मध्यावधि मूल्यांकन पर चर्चा काफी समय से विचाराधीन है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आशा है कि इस पर काफी समय दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला रहा हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : क्या भारत-बंगला देश संधि तथा भारत-बंगला देश सीमा व्यापार संधि पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय काफी होगा ?

इंडियन एयर लाइन्स में आन्दोलन चल रहा है जिससे विमान सेवा में बाधा उपस्थित हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो लिखित दे दें। इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रख दिया जायेगा।

श्री एस० एस० बनर्जी : 30,000 जनगणना कर्मचारी बेरोजगार हैं। मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे ठीक ढ़ंग से रखिये। मैं उसे मंत्री महोदय के पास भेज दूंगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जारी
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADELNES WANTED

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे और चर्या होगी। श्रीशशिभूषण अपना भाषण पूरा करेंगे। वह 9 मिनट बोल चुके हैं 45 मिनट और ले सकते हैं।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : When Dr. Kissinger went from Rawalpindi to Peking an atmosphere was being created in the country that we were all alone and nobody willffsupport us, A Kind of terror was being created in the country at that time. But after the declaration of Peace Teaty with Russia, the country was eliminated from that tense atmosphere and we succeeded in our efforts to assist Bangladesh in her stuggle for independence. Our Prime Minister took timely actions from the beginning to the end. The results of these actions have proved that the country's policy is a suceess and countries of the world are coming forward to recognise the reality of Bangla Desh.

As regards the question of Bihari Muslims, recently a conference was held in Patna in which participants were all the four reaction ory Parties, Congress (Old), Swatantra, Jan Sangh and Socialist, names of which I have just now mentioned. May I kaow the elements responsible for the migration of these Bihari Muslims ? These were the reactionary forces of the country. If USA supports their cause. It may be understood, but holding a Conference in India to same Bihari Muslims is really deplorable. Should the people who have been guilty of murdering 30 lakh people of Bangladesh need not he taken on trial ? Then, why this Conference was held at the time of our general elections.

It is alleged that the election in Kashmir were not fair The allegation have been levelled by Shri Nixon, Shri Bhutto, Shri Chon-En-Lai and the Jan Sangh Party of India in this regard. The allegation of using chemical ink in last Lok Sabha elections have been proved baseless by High Courts and the Supreme Court of India. The people of the biggest democracy in the world should not have Casted a sher upon the fair name of their country's democrocy and elections.

Mr. Speakar, Sir, it would have been better if there could have have been a mention of nationalization of foreign Banks in Presidents address besides the references to Indias' high, Prestige abroad, her economic growth and notionalization made so far by the Indian Government. The education of the country should also be nationalized if the socialism is to be encouraged in the country. Communal forces of the country are proving a henderence in establishing a socialistic pattern of society.

Smaller Countries of the world are fightiug against coloniation and they are looking towards India for assistance. If we are asked for assistanee we are honestly prepared to help irrespective that they are Baluch or Pakhtoons.

As regards prisoners of war, we are treating them quite well. But on that side, Mr. Bhutto is alleging that Pakistani prisoners of wars are being converted as Hindus. Opposition parties ask why these prisoners are being treated so well. We want to live in peace with our neighbours, while settling matters with Pakistan, we should not take any hasty step unless we are sure that Pakistanis have divorced their delligrent feelings against India. We are not working under pressure from any country, we have full confidence in the leadership of our Prime Minister.

श्री समरगुह (कन्टाई) : मुझे बंग बन्धु तथा बंगलादेश के राष्ट्रपति को नेताजी का एक चित्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ परन्तु पता नहीं दिल्ली के समाचारपत्रों मे यह समाचार प्रकाशित क्यों नहीं किया गया।

यह समस्त भारत के लिये गर्व का विषय है कि बंगबन्धु ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को अपना राजनैतिक गुरु बताया है। बंगला देश में नेताजी के जन्म-दिवस पर उत्सव मनाया गया। नेताजी का शिष्य होने के नाते राजनैतिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक तथा नैतिक दृष्टि से मुझे भी देश का विभाजन उस समय स्वीकार्य नहीं था। मैं आशा करता हूं कि एक दिन आयेगा जब नेताजी का स्वप्न पूरा होगा और एक नये भारत का उदय होगा।

इन्हीं भावनाओं के कारण भारत पाकिस्तान युद्ध को मैंने कभी भी दो देशों के बीच युद्ध के रूप में नहीं देखा है, मैंने इसे सदैव ही गृह युद्ध माना है। इसी दृष्टि से मैं इस समाचार को गलत मानता हूं कि पाकिस्तानी कैदियों के साथ भारत में बुरा व्यवाहार किया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि उनके साथ भाई जैसा व्यवहार किया जाये जिससे वे सुन्दर मानवीय सबंधों के संदेशवाहक बनकर वापस जा सकें, जिससे वे अपने को शान्ति तथा मैत्रीदूत सिद्ध कर सकें।

एक प्रश्न पूछकर मैंने यह जानना चाहा था कि महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के इतिहास में योगदान को स्वीकार करने में सरकार को कितना व्यय करना पड़ा है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने 3.50 करोड़ रुपये की बड़ी राशि गांधीजी के योगदान पर तथा 3.35 करोड़ रुपये की राशि पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर व्यय की है। परन्तु बड़ी लज्जा की बात है कि नेताजी के योगदान पर 2 लाख से भी कम रुपये की राशि व्यय की गयी है। इसको बढ़ाया जाना चाहिये।

स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन देने की योजना बनायी गयी है परन्तु यह उन्हीं लोगों तक सीमित है जो भारत भूमि पर लड़े, कम-से-कम 6 माह के लिये जेल गये। परन्तु आजाद हिन्द फौज के सैनानी जो भारत से परे भारत के लिये लड़े, जिनकी संख्या 10,000 से 26,000 तक के बीच बतायी जाती है, उनके लिये ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्या उन्हें पेंशन योजना के अन्तर्गत नहीं रखा जायेगा ? उन्हें भी स्वतन्त्रता सैनानियों की श्रेणी में गिनकर पेंशन देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

नेताजी जांच आयोग के विषय में मुझे एक बात यह कहनी है कि श्री खोसला को फारमोसा नहीं जाने दिया जा रहा है जहां नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ बताया जाता है। वहां जाये बिना खोसला आयोग अपना जांच कार्य किस प्रकार पूरा कर सकेगा। पता नहीं सरकार क्यों बाधा डाल रही है। खोसला आयोग के साथ एक परामर्शदाता नियुक्त करने की बात प्रधान मंत्री ने भी स्वीकार की थी परन्तु अभी तक, जबकि लगभग आधा जांच कार्य पूरा हो चुका है

ऐसा नहीं किया गया है। अमरीकी, ब्रिटेन की तथा रूस की गुप्तचर विभाग के प्रतिवेदन अध्ययन हेतु खोसला आयोग को उपलब्ध कराये जाने चाहिये।

सरकार ने जब यह बात स्वीकार की है कि नेताजी के विषय में नई जांच कराई जाये तो इसे सच्चाई से पूर्णतया निभाया जाना चाहिये जिससे कि सदैव के लिये नेताजी के रहस्य का उद्घाटन हो सके।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़)—खड़े हुये।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sahha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

कुछ रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में
RY. STRIKE BY SONE REILWAY MIN

Shri Bhogendla Jha (Jay Nagar) : It is about 14 months back that ten Thousand workers of Northern Railway went on strike and they were assured against victimization if the strike is withdrawn. But their demands have not been acceded. Now 4500 railway workers have been victimized and 55 have been suspended from the service and the rest have suffered a break in service. May I know why the written assurance is being violated ? The Labour Minister and the Railway Minister should look into the matter and see that the assurance is not vilated.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-जारी
MOTION OF THANKS PRESIDENTS ADNESS-CRREL

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh) : The Politics of our country in last four, five years since after 1967 has undergone great changes and the last year has proved a year full of events of historical importance. The people of the country has faced their own problems and the problems of the nation with unprecedented desterity, patence, unity and fore sightedness under the leadership of our Prime Mtnister Shrimati Indira Gandhi. New India is emerging in which people seem to be conscious for their rights and duties. If this consceiousness is utilized for national reconstructing I am sure that the future of the country would beibright and the deam of poverty eradication would come to a reality. But unfortunately certain political parties are trying to destrory that feeling of unity for their personal political games. In a democracy one suould try to see that the morale of the people of the country is boosting and there is no fall at all in it.

After the elections it is being propagated that the democracy of the country is in danger and we are heading towards one party rule and Dictatorship. This is all together wrong. The Prime Minister has great regard for democratic principles and her actions are in conformity of those principles, She has put all the problems facing the country and called upon them to give their choice. What may be a more democratic way than this.

It is being said that the slogan of 'Garibi Hatao' is hollow and the Government is not serious in that. The people who say so should realize that this is not a mere slogan. The Government and the people of the country are firmly resolved to eradicate poverty from the country. To say so is merely a consoling device of the defeated parties.

The leader of Jan Sangh Party has made some very serious allegations like Prime Minister is going to be a dictator. Democracy is in danger; a wrong policy regarding Bangla Desh has been followed, The Government is acting under Soviet pressure: These are baseless allegations. The whole world is witness to the fact that our policy has been quite successful as whatever we have done for Bangla Desh has earned a good name for our country. We want to strengthen the Parliamentary democracy and decen tialization of powers and with a firm resolve and dedications we are acting to achiave these objectives.

As regards the allegation that Prime Minister is treading a dictatorial Path, I would like to mention that she has all the dewticy to the ideals and the principles for which India is latehn to high esteem in the world: She has protected those principles and ideals at the cost of her political career which is evedent from her deeds.

It has been said that the Government did not take timely action in Bangla Desh. They are those people who do not want to take any lesson from the history, who do not want to accept the realities of the time. Prime Minister was very much conscious to take timely action and she acted at a time when it could prove beneficial to India, Bangla Desh and their peoples History bears a testimony to the fact that it was a well thought and timely action. Leader of pakistan can neither forget it now nor in future. We have taught them a lesson.

It is said that there would have no Bangla Desh had there been no help from Russia. It is disgrading for the country and her people. Such a feeling is really pitiable. The credit of the intelligence and the farsightedness under the giudance of the Govt. exhibited by our brave soldiers army others goes to the people of the country, to army of the country and to the guidnnce of the Government.

There is no question of acting under Soviet pressure. We are following an idenpendent policy and whatever we have done we have been guided by the consideration of national interest. The country is taken to high esteem in the world for her principles, dent, and independent decisions.

It has been proved in the hour of crisis today that we have followed a right and just foreign policy as compared to that Pakistan. People, even today, ignore the fact that we are following an independent foreign poliey, a policy of mutual co-operation and world peace. Our policy never alloved any compromise of national sovereignity. Those who are atteging in this way are misleading the people of the nation which is injust for a country having healthy democratic tiaditions.

It can not be denied that this country and her people are great; its problems are of the same magnitude. Millions of our youths are unemployed, Crores of people are leading a miserable life in poverty.

To day the people of our country want that the speed of progress should be accelerated and for this purpose we will have to bring a change in the present structure of official practice and procedure and bureaucracy. We have resolved to solve the problem of unemployment and eradicate poverty and thereby raise the standaad of living of the people. I know that these questions are not easy to answer, these are difficult to be solved. So we have to ponder over them seriously, Even then I am sure that our Government will achieve these objectives if they resolve, determine and intend to do it. Having achieved these objectives we will be able to turn India into strong country, a country without economic disparities and finally a new India.

We raised a slogan of 'self-sufficiency' in the country. We made efforts to achieve self-sufficiency of all sectors. Now we are proved of being self-sufficient in the matter of food. Once we felt humiliated while importing wheat under P.L. 480. Though our efforts have yielded rcsults in agricultural sector, yet there is a lot to be done in industrial sector, Here we should take a serious note of the fact that capitalism is deep-rooted in our

economy. Monopoly is adversely affecting industrial base in our country. Our government should take effective steps to deal with the monopoly in order to give a boost to industrial development.

Some of our friends belonging to Jan Sangh and C.P.I. (M) are wrongly propagating that the elections were not free and fair. It is wrong to say that ruling party has taken advantage of government mochinery. By repeating these charges they are shutting their eyes to the reality which the people of India has seen.

The people of East India and of the regions like Nagaland, Mizoram, NEFA, Arunachal and Meghalya sometimes felt that the centre had not been paying due attention to their development. But the latest reorganization of states and Union territories in eastern part of India helped remove their indignation. Now some of their problems have been solved and they feel that they are part and parcel of the nation. At present in the country an atmosphere is prevailing in which every one feels that they belong to India and India belongs to them. So, nothing should be done to destrory such a healthy atmosphere. All these problems have rightly been enumerated in the Presidential Address. With these words I supportes the motion of Thanks.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में और शासक दल के वक्ताओं ने अपने भाषणों में देश की आर्थिक स्थिति का जो आकर्षक चित्र खींचा है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। बजट में भी यह झूठा दावा किया गया है कि देश आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय की ओर धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा है। एक ओर शासक दल गरीबी हटाने की बात करता है, तो दूसरी ओर एकाधिकार वाले बड़े व्यापारियों को लाइसेंस देता है। वर्ष 1971 में ऐसे व्यक्तियों को 113 लाइसेंस दिये गये। यह एकाधिकार को बढ़ावा देने की ओर एक कदम है या एकाधिकार समाप्त करने की ओर। इससे तो गरीबों का और अधिक शोषणा होगा। सभा में कई बार यह मांग की गई है कि बिरला बंधुओं सहित बड़े-बड़े सभी एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीकरण किया जाये। किन्तु हो क्या रहा है ? हिन्दुस्तान मोटर कार और अन्य कारों के मूल्य 6 मास में दो बार बढ़ा दिये गये हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया और कारों की कीमतें बढ़ा दी गई। जबकि उच्चतम न्यायालय के कई अन्य निर्णयों को सरकार क्रियान्वित ही नहीं कर रही हैं। रत्नाकर शिपिंग कम्पनी को शिपिंग डेबेलपमेंट फंड कमेटी ने 6 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। क्या ऐसे कार्यों से एकाधिकार और गरीबी को समाप्त किया जा सकता है ? क्या आप केवल अपना प्रचार करना चाहते हैं अथवा वास्तव में एकाधिकार समाप्त करना चाहते हैं ? पश्चिमी बंगाल में विस्तार के लिए लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं जबकि उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन के लिए अन्य राज्यों में नये उद्योग स्थापित करने के लाइसेंस दिये जा रहे हैं। बिरला बन्धुओं को उत्तर प्रदेश में साइकिलों का एक कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

यह स्थिति न केवल औद्योगिक क्षेत्र में है बल्कि कृषि क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति है। हर वर्ष कहा जाता है कि भूमिहीन लोगों को भूमि दी जायेगी; फसल बटाई की व्यवस्था समाप्त करके काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान की जायेगी। किन्तु स्थिति अभी तक ज्यों-की-त्यों है। क्या छोटे किसानों और काश्तकारों तथा निर्धन लोगों को राष्ट्रीय बैंकों से ऋण या सहायता दी गई। मुझे तो इसका उत्तर नकारात्मक ही लगता है। साधारण लोगों को ऋण या सहायता इन बैंकों से नहीं मिलती। हां, कुछ व्यक्तियों को ऋण या सहायता अवश्य मिलती है और ये ही लोग निहित स्वार्थ वाले हैं।

लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगपतियों को भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता नहीं मिल रही है। मंत्री महोदय ने दावा किया था कि लघु उद्योगों में विकास की दर 10 से 11 प्रतिशत रही है किन्तु मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार यह केवल 3 से 3½ प्रतिशत मात्र है। मंत्री महोदय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कल ही यह बताया था कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख बुनकरों के भूखा मरने की नौबत आ गई है क्योंकि उन्हें धागा मंहगे भाव पर खरीदना पड़ता है और उनके द्वारा तैयार किये गये कपड़े की बिक्री नहीं हो पाती है। पश्चिमी बंगाल के बुनकरों की भी यही स्थिति है। केरल में नारियल जटा का काम करने वाले मजदूरों की स्थिति भी दयनीय है। ऐसा प्रतीत होता है। कि इस 'गरीबी हटाओ' राज में लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों में लगे श्रमिकों का कोई स्थान नहीं है। एकाधिकार समाप्त करने, निर्धनों, किसानों और छोटे उद्योगपतियों की सहायता करने के लिए यह सरकार चाहे जितने आश्वासन दे किन्तु वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहती जिससे एकाधिकारवादियों और बड़े उद्योगपतियों पर आंच आये या उनका लाभ कम हो। यही कारण है कि जैसे-जैसे समय गुजरता है, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह दावा भी किया गया है कि मूल्यों को कठिनाइयों के बावजूद नियंत्रित रखा गया है। इस संदर्भ में मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक वर्ष चीनी का मूल्य 1.75 रुपये प्रति किलोग्राम था जो अब बढ़कर 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। जन साधारण द्वारा उपयोग में लाये जाने वाली प्रत्येक वस्तु के मूल्य दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कुछ कहती है और होता है कुछ और। जनता इस स्थिति में निःसहाय है और पिसती रहती है।

अब एक और नारा बड़ी चतुराई के साथ दिया जा रहा है। वह है 'हड़ताल न किया जाना'। इसकी आड़ में सरकार हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है। किन्तु सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? सरकार मूल्य-वृद्धि पर रोक क्यों नहीं लगाती? सरकार 'तालाबन्दी' पर रोक क्यों नहीं लगाती? जिन कारखानों को बन्द कर दिया गया है, उनके मालिकों को उन्हें पुनः चलाने के लिए बाध्य क्यों नहीं किया जाता? सरकार ने अपने अधिकार में कितने कारखाने लिए हैं? जो छुट-पुट कारखाने सरकार के नियंत्रण में हैं उनमें श्रमिक नियमों को लागू ही नहीं किया जाता है। इस प्रकार सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जनता को लूटने का पूरा अवसर दे रही है। यदि इसका विरोध किया जाता है तो उस विरोध को समाप्त करने के लिए सरकार हर प्रकार के विधान पास करना चाहती है।

पश्चिम बंगाल में जो निर्वाचन हुआ वह भी निष्पक्ष नहीं हुआ। उसमें गड़बड़ी हुई। यह सरकार जो लोकतंत्र, समाजवाद और 'गरीबी हटाओ' के नारे बुलन्द करती है, इसके साथ-साथ अपने दल के अतिरिक्त दूसरे दल से ईर्ष्या करती है। पश्चिम बंगाल में हमारे दल की सरकार अल्प अवधि के लिए रही। किन्तु उसी अवधि में बड़े उद्योगपतियों से 50 करोड़ रुपये खींचे गये। इसी कारण इन लोगों ने यह झूठा प्रचार किया कि पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था नहीं है। यदि आप पश्चिम बंगाल के लोगों से मिलें तो हर तीन में से दो व्यक्ति यह बतायेंगे वि पश्चिम बंगाल में चुनावों में गड़बड़ हुई है तथा चुनाव उचित नहीं हुए हैं।

जब पश्चित बंगाल में चुनाव हुए थे तो उस समय वहां राष्ट्रपति का शासन था। अनुसंधान तथा विश्लेषण विभाग ने पश्चिम बंगाल की स्थिति का सर्वेक्षण किया था और उन्होंने

रिपोर्ट दी थी कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के हाथ में सत्ता आने की कोई आशा नहीं है। उस दिन से षड्यन्त्र आरम्भ किया गया। पुलिस के महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षकों को अनुदेश जारी किए कि वे केवल कांग्रेस अध्यक्षों तथा कांग्रेस उम्मीदवारों की सहायता करें।

श्री के० एल० तिवारी (बेतिया) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि कोई माननीय सदस्य किसी अधिकारी के विरुद्ध इस प्रकार का आरोप लगाता है तो उसके पास उसका प्रमाण भी होना चाहिए, हम बिना प्रमाण के इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कई आरोप लगा रहे हैं। शासक दल इनका खण्डन कर सकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्होंने गुंडों की मदद से मतदान केन्द्रों में वास्तविक मतदाताओं को दाखिल नहीं होने दिया। मत पेटियों में कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में मोहरे लगा कर मत पत्र डाले गए। मत पेटियों को बदला गया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव निष्पक्ष ढंग से नहीं हुए और इससे लोकतन्त्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी यह सहन नहीं कर सकतीं कि उनका कोई विरोधी हो। इसीलिए ये तरीके अपनाए गए हैं, चुनावों के बाद भी वहां पर 30 व्यक्तियों की हत्या की गई है और किसी एक हत्यारे को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

एक ओर श्रीमती इन्दिरा गांधी हड़तालें करने पर प्रतिबन्ध लगाने के उपायकर रही हैं। और दूसरी ओर उनके दल के लोग मजदूर संघों के कार्यालयों पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। सरकार को इस प्रकार की गतिविधियां रोकने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। यह कहना गलत है कि हमने विचार किया था कि ताकत के जोर पर सत्ता की जाती है। नक्सलवादियों ने यह विचार किया था, हमने नहीं और अब ये नक्सलवादी कांग्रेस में हैं। अन्त में, मैं यह यह अपील करना चाहूंगा कि कांग्रेसी लोग अपने दिलों को टटोल कर देखें कि क्या वे लोकतन्त्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं या क्या उन्होंने लोकतन्त्र की हत्या की है।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : In fact our opponents don't havt sportman spirit to accept their defeat. There is no use twisting the facts and saying that elections were rigged. In case any one of the defeated candidate has genuine complaint he can file an election pettition and prove these allegations. The fact remains that the of people of the country have shown that they have full confidence in the leadership of Shrimati Indira Gandhi, who lead the country to victory. She has made our country safe reliant in defence and other matters, We were economically strong enough to face the problem of one crores refugees and also to bear the burden of war expenditure. In addition, there was complete normalcy in the country during the critical period. Our victory has enhunced our prestige in foreign countries. Our relations have improved with North Vietnam and ther countries, The people have realised that coalition Government can not stay for long and they cannot fulfil their aspirations. We have achieved success because of our policies. The communal and reactionary parties have lost. But they should realise that their principles and policies are responsible for their defeat and therefore they should change them. We can rely on the programme emerged in the Presidential Address.

Now, I would like to say a few words about my constituency Chandigarh. There is the rule of bureaucracy in Chandigarh. The problem of unemployment is taking a serious turn and I am sorry to paint out that our bureaucrats are responsible for this situation to a great extent. We could not utilise the funds allocated for various purposes. There is surplus staff every where and expenditure on the administrative machinery is very heavy. Chandigarh dispute should be settled without further delay. Goverment employees

should have contacts with the masses. Central Government employees of Chandigarh should be given Chandigarh allowance. There is restriction on rents every where but there is no such restriction in Chandigarh. The house owners charge and increase rents arbitrarily. The Government officials should change their attitude and co-operate with the public there.

*श्री टी० एस० लक्ष्मणन् (श्री परेम्बदूर) : इस बात का मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में मजदूरों की समस्याओं और उनके कल्याण के सम्बन्ध में सरकार की नीतियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस तथ्य को सर्वत्र स्वीकार किया गया है कि किसान वर्ग हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है और हमारी अर्थ व्यवस्था का आधार स्तम्भ हैं, परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनकी समस्याओं और खेतिहर श्रमिकों की स्थिति के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें मूल्यों में हो रही निरन्तर वृद्धि को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय भी नहीं बताए गए हैं। क्या उनकी मजदूरी में भी मूल्यों के अनुसार वृद्धि हुई है? इसका उत्तर नकारात्मक है। यदि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी गई तो सरकार लोकतन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकेगी? श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देकर ही हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

तमिलनाडु और मैसूर के बीच काबेरी जल विवाद बहुत लम्बे अर्से से चल रहा है। यह बताया जाना चाहिए था कि ऐसी समस्याओं को कैसे हल किया जायगा। यदि दूसरे राज्यों में बहने वाली नदियां को राष्ट्रीय नदियां घोषित कर दिया जाए तब इस प्रकार के अन्तर्राज्यीय विवाद पैदा ही नहीं होंगे। स्वास्थ्य मन्त्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने 1 मार्च, 1972 को घोषणा की थी कि 110 करोड़ रुपए की लागत की एक पंचवर्षीय ग्राम्य जल सम्भरण योजना बनाई गई है और उसे योजना आयोग के पास भेज दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उक्त योजना कौन-सी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जाएगी?

चौथी पंचवर्षीय योजना में देहातों में आवास की व्यवस्था करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। भगवती समिति ने अन्तरिम रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 1972—74 में देहातों में आवास के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। परन्तु देहातों में मकान बनाने, गन्दी वस्तियों की सफाई, प्राथमिक शिक्षा, बेरोजगारी आदि कई कार्यों के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है परन्तु इसमें देहातों में मकान बनाने के लिए कितनी धन-राशि नियत की गई है; सरकार की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है।

राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् विदेशी मुद्रा का खर्च कम करने के लिए आयात के स्थान पर देशी वस्तुओं का विकास करने का प्रयत्न कर रही है। परन्तु दूसरी ओर सरकार ब्रिटिश पूंजी और औद्योगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की रियायतें देने की पेशकश कर रही है। क्या देश में तकनीकी जानकारी के विकास पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated verision based on English translation of the speech delivered in Tamil.

भारत सरकार का विचार है कि राज्यों को रिजर्व बैंक से जमा राशि से अधिक राशि नहीं निकलवानी चाहिए। परन्तु जब राज्यों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए उद्योग स्थापित करने के कार्य को प्रोत्साहित करना है और राज्यों के साधन सीमित हैं तब उनके लिए रिजर्व बैंक से जमा राशि से अधिक राशि निकलवाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह जाता। औद्योगिक विकास से ही आर्थिक विकास हो सकता है।

गत वर्ष औषध मूल्य (नियन्त्रण) अधिनियम पारित किया था और उसमें औषध निर्माता कम्पनियों का अधिकतम लाभ 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। परन्तु इस अधिनियम के बावजूद, उक्त कम्पनियां अत्यधिक लाभ अर्जित कर रही हैं। सरकार ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

ब्रिटेन ने तम्बाकू के आयात में 25 प्रतिशत तक की कमी कर दी है और तम्बाकू पर अत्यधिक उत्पादन शुल्क लगाये जाने के कारण उसकी देश में खपत भी कम हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप तम्बाकू बहुत जमा हो गया है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

Shri Hari Kishore Singh (Puri) : It would be wrong to suggest that elections were rigged and democracy is in danger. The marxists had great hopes about their victory in the elections but the results have belied then. Now they have lost their balance of mind and have levelled serious charges against the ruling party. These charges are baseless. It would he better if Communist party (Marxist) changes her programmes and policies keeping in view the aspirations of the people and mistakes committed by them in the past. The atmosphere of violence created by them is all the more responsible for their defeat. The policy of gherao has not paid them good dividends. The economy of the state has been shattered as a result of Gheraos.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने भाषण को सोमवार को जारी रख सकते हैं क्योंकि अब सभा में गैर-सरकारी कार्य पर चर्चा की जाएगी।

व्यवसायी स्थपति विधेयक
PRACTISING ARCHITECTS BILL

श्री के० लपक्का (तुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यवसायी स्थपतियों के रजिस्ट्रीकरण और उससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थपित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यवसायी स्थपतियों के रजिस्ट्रीकरण और उससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 74, 75 आदि का संशोधन)

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री ए० के० गोपालन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

डॉ० कर्णी सिंह (बीकानेर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

डा० कर्णी सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

कीमत नियन्त्रण विधेयक
PRICE CONTROL BILL

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

डॉ० कर्णी सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENEMENT) BILL

(अनुच्छेद 19 तथा 39 का संशोधन)

डॉ० कर्णीसिंह (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करते की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० कर्णी सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री रतनलाल ब्राह्मण (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री रतनलाल ब्राह्मण : मैं विधेयक को पूरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोंधन)विधेयक

CONTSITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 141 का संशोधन और नए अनुच्छेद 143-क आदि का अन्तःस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री स्टीफन द्वारा प्रस्तावित संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करेगी । इस विषय पर चर्चा के लिए केवल एक घण्टा और 51 मिनट शेष हैं । श्री स्टीफन अपना भाषण जारी रखें ।

श्री डी० एम० स्टीफन (मुस्तुपुजा) : अपने इस विधेयक पर खण्डवार चर्चा करने के पूर्व मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं ।

संविधान के अनुच्छेद 145 (3) में कहा गया है कि संविधान कि व्याख्या करने वाले कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर अथवा अनुच्छेद 143 के सम्बन्ध में सुनवाई करने के लिए कम-से-कम

5 न्यायाधीशों की एक पीठ होनी चाहिए, इससे स्पष्ट होता है कि संविधान के निर्माताओं ने संविधान की व्याख्या अथवा संवैधानिक कानून को कितना महत्त्वपूर्ण समझा था और इसे एक पृथक श्रेणी में रखा था। अतः इस सम्बन्ध में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

किसी संवैधानिक कानून की व्याख्या संबंधी सामान्य कानून एक बात है, परन्तु संविधान की व्याख्या करना, जिसमें कि प्रायः विचारभेद हो जाता है और न्यायालयों तथा कानून बनाने वालों में मतभेद हो सकता है वह अलग बात है क्योंकि इसमें अनुच्छेद 13 संबंधी प्रश्न उठता है जो कि मूलभूत अधिकारों से संबंधित है। अतः ऐसे मामले जहां न्यायालयों की अनुच्छेद 13 को प्रभावित करने वाले किसी कानून की वैधता निश्चित करनी होती है, वहां इसे विशेष महत्व दिया जाना चाहिये।

जब संसद् अथवा विधानसभायें कोई कानून पास करती हैं तो यह माना जाता है कि उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया होगा जो कि अनुच्छेद 13 के विरुद्ध जाता है। फिर यह मामला उच्चतम न्यायालय में चला जाता है और यह न्यायालय अपनी भाषा में उक्त कानून की व्याख्या करता है। मेरा तर्क यह है कि संसद् अपने सन्तोष के लिये कानून की व्याख्या करती है तथा समझती है कि उसने मूलभूत अधिकारों की अवहेलना नहीं की परन्तु न्यायालय भी अपनी दृष्टि से देखता है कि इसमें कहीं अनुच्छेद 13 का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। अब संभव है कि इन दो निकायो में परस्पर मतैक्य न हो। ऐसी परिस्थिति में क्या यह पर्याप्त होगा कि उच्चतम न्यायालय इस मामले को एक विशेष संवैधानिक उपबंध का निर्वचन करके निपटा दे ? यह काफी नहीं है। अतः मैं इस विधेयक द्वारा किसी कानून पर, जिसे अनुच्छेद 13 के विरुद्ध होने के कारण रद्द करने को कहा जाये, एक श्रेणी के रूप में मानना चाहता हूं और चाहता हूं कि इसके लिये एक विशेष उपबंध किया जाये।

मेरे विधेयक के खण्ड 5 में संविधान के अनुच्छेद 226 के बाद एक नया अनुच्छेद जोड़ने की व्यवस्था है। यह प्रश्न उच्च न्यायालय से संबंधित है। स्थिति यह है कि संविधान के अनुसार संविधान के प्रश्न पर विचार करने के लिये उच्चतम न्यायालय के कम-से-कम पांच न्यायाधीशों की एक पीठ हो, पर यदि किसी कानून को उच्च न्यायालय में चुनौति दी जाये तो वहां केवल एक न्यायाधीश ही उस कानून को अवैध करार दे सकता है। उच्चतम न्यायलय को तो पांच न्यायाधीशों की पीठ गठित करने को कहा जाता है परन्तु उच्च न्यायालय में केवल एक न्यायाधीश ही निर्णय कर सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील न करे तो फिर वही निर्णय एक कानूनी परम्परा बन जाता है। देश में ऐसा हुआ है कि सामाजिक सुधार के उद्देश्य से बने अनेक कानून उच्च न्यायालयों ने रद्द कर दिये और देश की प्रगति में बाधा पड़ी। मेरा मत है कि उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों पर केवल विचार करने का अधिकार हो और यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष भेजा जाये जिसका निर्णय अन्तिम हो। यही मेरे विधेयक का उद्देश्य है। संसद् अथवा किसी विधानसभा द्वारा पारित कानून की वैधता अथवा अवैधता का निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय के हाथ में होना चाहिये। अन्यथा इससे अनेक परस्पर विरोधाभास होते हैं।

अनुच्छेद 145-क में ऐसे कानूनों का मामला है जिसको अनुच्छेद 14 के आधार चुनौती दी जाती है। मेरा मत है कि न्यायाधीशों की संख्या अनुच्छेद 145-क (3) के अधीन दी गई संख्या से अधिक होनी चाहिये, अर्थात् पांच के स्थान पर नौ होनी चाहिये। साथ ही इस न्यायाधीश-पीठ के

गठन में राष्ट्रपति का मत और उसकी स्वीकृति भी होनी चाहिये और राष्ट्रपति को उनकी संख्या बढ़ाने का अधिकार होना चाहिये। इनके अतिरिक्त, ये न्यायाधीश अनुच्छेद 127 तथा 128 के अधीन नियुक्ति के पात्र भी होने चाहिये। देश भर के सर्वाधिक प्रतिभाशाली न्यायाधीशों को लेकर ऐसी पीठ गठित की जानी चाहिये और यह गठन मुख्य-न्यायाधीश करे, राष्ट्रपति नहीं। परन्तु इस संबंध में राष्ट्रपति की राय तथा अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिये।

फिर, ऐसे मामलों में निर्णय केवल साधारण बहुमत से नहीं होने चाहिये। क्योंकि साधारण बहुमत में इतनी शक्ति नहीं होती। वस्तुतः ये निर्णय भारी बहुमत से होने चाहिये। उदाहरणार्थ, हमारे संविधान में संशोधन करने के लिये यहां दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, तो फिर उच्चतम न्यायालय में भी संविधान संबंधी मामलों पर निर्णय के लिये न्यायाधीशों की पीठ में दो-तिहाई बहुमत की व्यवस्था होनी चाहिए।

गोलकनाथ का मामला हमारे लिये एक चेतावनी होना चाहिये। उसमें पहले तो निर्णय स्पष्ट बहुमत से हुआ परन्तु बाद में केवल साधारण बहुमत से। केवल एक के बहुमत से बड़े-बड़े काण्ड हो गये हैं और देश की प्रगति रुक गई हैं। अतः इस संबंध में काफी सावधानी बरती जानी चाहिये। यदि राष्ट्रपति की सलाह से नियुक्त कोई पीठ संसद् अथवा विधानसभा द्वारा बनाये गये कानून को अवैध घोषित करती है तो हमें स्वीकार है। हम तो बस यह चाहते हैं कि उक्त निर्णय दो-तिहाई बहुमत से हो। अनुच्छेद 145-क का यही सिद्धान्त है।

मैंने अपने विधेयक में एक नये अनुच्छेद 143-क की व्यवस्था की है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई राष्ट्रपति कभी यह समझे कि कोई निर्णय मूल रूप से असंवैधानिक है तो वह स्वतः भी इस मामले को उच्चतम न्यायालय के निर्णयार्थ भेज सकता है तथा उसे एक विशेष पीठ गठित करके इस संबंध में अन्तिम रूप से निर्णय देने को कह सकता है। इसका अभिप्राय संवैधानिक कानून के प्रवाह को स्वच्छ रखना है क्योंकि यह वस्तुतः आधारभूत कानून होता है क्योंकि हमारा संविधान लिखित रूप में है और यहां परम्परागत क़ानून की अपेक्षा संवैधानिक क़ानून का कहीं अधिक महत्व है। अतः राष्ट्रपति को संविधान का अभिरक्षक होने के नाते इस संबंध में पर्याप्त अधिकार होने चाहियें।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 141 के संशोधन में मैंने यह सुझाव रखा है कि किसी संवैधानिक क़ानून संबंधी निर्णय, उच्चतम न्यायालय की पीठ पिछले निर्णयों के आधार पर नहीं बल्कि वर्तमान मामले के गुणों-दोषों के आधार पर दे। इस पीठ के किसी पिछले न्ययाधीश के निर्णय का ही केवल अनुमोदन न करें बल्कि अपने ही मतानुसार उचित निर्णय दें।

अनुच्छेद 14 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होता है और वह कानून देश का क़ानून होता है। परन्तु अब यहां एक खतरा पैदा होता है। मान लीजिये कोई विधानसभा अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करते हुए कोई क़ानून पास करती है और इस कानून को उस राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो वह उच्च न्यायालय विधानसभा द्वारा पारित क़ानून का नहीं प्रत्युत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार कार्य करेगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय का कानून देश का क़ानून होता है। अतः अनुच्छेद 141 को संशोधित किया जाना चाहिये और उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये संवैधानिक निर्णय को सारे देश का क़ानून नहीं माना जाना चाहिये। प्रत्येक मामले में नये सिरे से विचार किया जाना

चाहिये और यही मेरे इस संशोधन का उद्देश्य है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय की संविधान-पीठ पर लागू नहीं होना चाहिये।

उच्चतम न्यायालय का मत है कि संविधान का कोई संशोधन क़ानून का रूप रखता है और यही कारण है कि इसे अनुच्छेद 13 के अधीन मान कर यह न्यायालय इस पर विचार करने का अपना अधिकार समझता है। अब मैं चाहता हूं कि शब्द "विधेयक" के स्थान पर शब्द "संसद्" रखा जाये। इससे उच्चतम न्यायालय इसे अनुच्छेद 13 के अधीन क़ानून नहीं मान सकेगा क्योंकि यह एक कानून नहीं संवैधानिक कार्यवाही होगी और इससे अनुच्छेद 13 प्रभावित नहीं होगा।

अतः मंत्री महोदय इस अनुच्छेद 141 के बारे में बड़ी ही गंभीरता से विचार करें ताकि संवैधानिक योजनाओं में अवरोध पैदा न हो और उच्च न्यायालय, विधान सभाओं और संसद् द्वारा पारित कानूनों को रद्द न कर सकें और उच्चतम न्यायालय भी ऐसे ही साधारणतया उनमें दखल न दे सके तथा केवल मामूली से बहुमत से संसद् या विधानसभाओं के निर्णयों को रद्द न कर दे।

इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक सभा में विचारार्थ पेश करता हूं।

Shri K.M. Madhukar (Kesaria) : This Bill is aimed at solving the disparitees between the Judiciary and the legislature. It seeks to give some more powers to the President, some special powers to the Supreme Court by constituting constitution bench.

[**Shri K. N. Tiwary** *in the chair*
श्री के० एन० तिवारी पदासीन हुए।]

Mr. Chairman, contradiction are inherent in a capitalistic society and they find expression in several ways. In this Bill undue importance has been given to these contradictions. Although it is agreed thing that the mover of the Bill has highlighted these contradictions yet the proposal made by him does not appear to be acceptable.

The fact remains that the laws, constitution and the Judiciary are generally not meant for our poor masses because only the rich people can afford taking up matters with the courts. He has not suggested any method or way out to resolve the difference of opinions on the Constitution on the laws in a capitalistic system. Virtually, we should develop a liberal attitude because this problem cannot be separated from the entire system we are having.

The 24th amendent to the constitution which has already been passed by the Parliament solves this problem to a large extent ; and still more amendents can be made in this bulletin. We should not seek to treat the right to properly as a Fundamental right but to abolesh it altogether.

It is a wrong notion that the judges are all above criticism and are quite pious. They too belong to certain class and their decisions are bound to be influenced by that. How then to counter it, particularly when we have declared to have a Socialistic pattern of society in our country. Mr. Stephen has not put forth any solution to that problem.

The aim of the Bill should have been to find out and suggest the ways to solve these disputes in a socialist economy and socialist constitutions. In fact, these differences or conflicts arise because the judges have not given up their attitude and outlook in veeping with the new changes and developments. So the question is how to bring suitable persons in the judiciary and how to change the old ones, if possible. Our judiciary should consists of two judges who understand and also realise the importance of labour.

So the purpose of Bill should have been to change the character of the judiciary in accordance with the needs of the country. Although the intention behind this Bill is quite good and praise worthy yet it actually does not lead us to these aims.

So I am unable to support it.

Shri R.R. Sharma (Banda) : The amendant to Article 151 suggested by, Shri Stephen is not meaningful because whatever Shri Stephen wants that is already provided in the constitution. This Bill seeks that the decisions of the Supreme Court should not be finding on thc Constitution Bench, and the original Article itself says "the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. Here Courts means Sabordinate courts and not the Constitution Bench of the Supreme Court. Moreover, the Supreme Court can very well reverse their earlier decision.

Then I find no reason to be convinced that the number of judges of a Bench be enhanced or their decision should be declared by a two-third majority instead of a simple majority, because the matter, if disputed can well be considered by a Constitution Bench.

Thus the Bill does not suggest any new thing except that it makes a little but clear what is already existing. Let the proposer bring some comprehensive Bill suggesting some new things, New additions in the constitution so as to benefit the people.

I, therefore, do not support this Bill.

श्री दिनेश जोरदर (मालदा) : यद्यपि श्री स्टीफन ने एक पूर्व अवसर पर स्वयं कहा है कि क्योंकि संविधान (24वां संशोधन) विधेयक संसद् ने पास कर लिया है, इसलिए मेरे विधेयक का उद्देश्य पूरा हो गया है, तो भी इसमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कातपय कृत्यों के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थाओं का सुझाव दिया गया है। अर्थात् संविधान पीठ का गठन और उसके गठन का तरीका आदि। परन्तु यह व्यवस्था तो पहले ही मौजूद है और समय-समय पर संविधान पीठ का गठन होता रहा है जैसाकि, उदाहरणार्थ, गोलक नाथ मामले में हुआ था। अतः प्रस्तुत विधेयक की यह व्यवस्था अनावश्यक है।

दूसरे इस निधेयक के खण्ड 3 तथा 4 में राष्ट्रपति को न कि संसद् को, उच्चतम न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया हैं जबकि हम 24वें संशोधन में यह व्यबस्था कर चुके हैं कि संसद् ही सर्वोच्च विधायक निकाय है और वह जिस प्रकार चाहे संविधान में संशोधन कर सकती हैं।

फिर इस विधेयक के खण्ड 5 में अनुच्छेद 226-क जोड़ने की बात कही गई है जिसमें उच्च न्यायालयों को मूलभूत अधिकारों सम्बन्धी निर्णयों को अवैध घोषित करने से रोका गया है। इस विधेयक के अनुसार, ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय को भेजे जाने चाहिएं जोकि स्वयं एक संविधान पीठ का गठन करके दो-तिहाई बहुमत से कोई निर्णय इस सम्बन्ध में देगा, अर्थात् जब तक दो-तिहाई बहुमत एक पक्ष में नहीं होगा तब तक कोई निर्णय नहीं हो सकेगा।

इस प्रकार इस विधेयक के पारित होने से अनेक कठिनाइयां खड़ी हो जायेंगी। जैसे, साधारण बहुमत का निर्णय लागू नहीं हो सकेगा।

हमारे देश में प्राय सभी कार्य जैसे संसद् तथा विधान सभाओं में निर्णय, चुनाव परिणाम आदि साधारण बहुमत से ही तय होते हैं। अतः दो-तिहाई बहुमत का कोई मतलब नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस विधेयक की व्यवस्था से तो ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान-पीठ स्वयं इस न्यायालय से भी ऊपर हो गई।

हम सोचें कि सर्वोच्च न्यायालय आप के अधिकारों को नियंत्रित करने के कानूनों के अतिरिक्त भी दुखी जनता के भाग्य को सुधारने सम्बन्धी कानून, कृषि-कानून, श्रम-कानून आदि अनेक कानून संसद् और विधान सभाओं ने पास किये हैं परन्तु उन्हें गंभीरता और दयानतदारी से लागू नहीं किया गया है। लाखों किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और श्रमिकों को शासक दल दबाये जा रहे हैं। वस्तुत: तो इन कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए और इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 31-ख सहित नवीं अनुसूची को संशोधन किया जाना चाहिए।

अत: मैं चाहूंगा कि प्रस्तावक महोदय अपने संशोधन के लिए जोर न दें।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : गोलक नाथ मामले का इतना महत्व है कि इस विधेयक के प्रस्तावक, संविधान के 24वें और 25वें संशोधन विधेयकों के पास होने पर भी, इसे पेश करने पर अड़े रहे। अब मैं उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

खण्ड 2 में उन्होंने अनुच्छेद 141 में एक परन्तुक जोड़ना चाहा है जो मेरे विचार से अब अनावश्यक है।

खण्ड 3 और 5 में नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिए गए है परन्तु जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है, इससे आगे कठिनाइयां पैदा होंगी, अत: किसी नए अधिकार की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद 145-क के बारे में 'बैंचों' के गठन के बारे में भी सरकार चाहती हैं कि राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। यह अधिकार मुख्य न्यायाधिपति का है।

प्रस्तावक यह भी चाहते हैं कि जैसे संविधान का संशोधन करने के लिये संसद् का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है, ऐसे ही उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दो-तिहाई समर्थन मिलना आवश्यक हो। मैं यह बताना चाहता हूं कि संसार-भर में ऐसा कहीं नहीं हैं और हम ऐसा करके एक असाधारण कार्य करेंगे—जो हम नहीं करना चाहते। जैसे उन्होंने सरकार के विचारार्थ काफी सामग्री उपलब्ध की है, वैसे ही अन्य सदस्यों ने भी उनके विचारार्थ काफी कुछ कहा है। अत: उनसे मेरा निवेदन है कि वह इन तथ्यों को देखते हुए अपना यह विधेयक वापस ले लें।

श्री सी० एस० स्टीफन : विधेयक तो वापस ले ही लिया जाना है परन्तु मुझे खुशी इस बात की है कि मंत्री महोदय को मैंने गहरे सोच-विचार का अवसर दिया है। जहां तक दूसरे पक्ष के सदस्यों के तर्कों की बात है, मुझे खेद है कि उन्होंने इसे राजनीतिक रंग दिया है—मेरा यह आशय कदापि नहीं था। मेरा आशय तो केवल इतना था कि न्यायपालिका ठीक से कार्य करे और कि उसमें विरोधाभास तथा अड़चनें न आएं। इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं विधेयक को वापस लेता हूं ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक
INDIAN PENAL CODE (AMEDMENT) BILL

(धारा 153-क का प्रतिस्थापन)

Smt. Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : Sir, I beg to move that the Indian Panel Code (Amendment) Bill, 1972, be taken into Consideration. So far the law did not cover the communities and organisations spreading Communalism and hatred.....

Shri Hukam Chand Kachhwai : How she has stated the speech without introducing the Bill.

Mr. Chai-man : First move the motion and then start your speech.

Smt. Subhadra Joshi : I had already sought leave to more the Bill for consideration.....

[**Shri R. D. Bhandare** *in the chair*
श्री आर. डी. भण्डारे पदासीन हुए ·]

Just now some Members pointed out some Lacunae in my Bill. So I would welcome if they would bring amendments therein to make it more comprehensive. Sir, it is a negation of our claims to socialism and democracy when we allow such organisations to sow the seeds of hatred in society. This view can be checked only through law. When we take one step towards progress and prosperity, these organisations compel us to retrace two steps by diverting the a tention of the entire nation as was evidenceted by communal riots at Ahemedabad, Shiwandi and Jalgaon shortly after Bank Nationalisation.

The loss of production suffered as a result of communal riots in Ranchi, Rourkela or Calcutta is many times the loss as a result of strikes etc. Because, riots not only bring the production to a stand still, but cause damage to the factories as well and therefore production can not be resummed many days after the riots have been quelled. So much so that other units dependent upon the affected factory also come to a halt till supplies are resumed.

The prime need of the hour is for all of us to forget all petty differences of caste, creed, religion, language, sect, region and join our heads to formulate ways and means to achieve speedy development, progress and prosperity to bridle the gulf between the rich and the poor, the haves and hane-nots. We should not fritter away our energies and efforts in petty differences and think in the term of narrow aud parodical angles.

The most far-reaching damage of the virms of Communalism is the lurking fear among the minority commnnity about their future, their bona-fides as true patriots and their contribution towards country's progress. They are forced to feel as harrassed lambs and therefore they can not contribute fruitfull to nation's progress. Such elements are guilty of instigating the masses to indulge in violence and take the law into their own hands. They put the clock back by many months even years. The creation of Bangla Desh as a free and independent country is a victory of secularism but some communal parties have not relished it.....(*Interruption*)

Shri Jagannath Rao Joshi : Whatever our differences might be. She should not be allowed to malign the country. How you can allow all this ?

सभापति महोदय : यदि आपको कोई आपत्ति है तो आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाना

चाहिए था। ऐसे ही उठकर खड़े हो जाना और भाषण करने लगना आप जैसे अनुभवी सदस्य को शोभा नहीं देता।

Shri Subhadra Joshi : I want to make it clear that although the Jan Sangh organised a satyagrah in support of recognising Bangla Desh but they actually wanted Pakistan to be dismembered and thereby coming nearer to the achievement of *Akhand Bharat*.....(*Interruption*) Today's speech of J. S. leader here has exposed their real degignss .....(*Interruption*)

Shri Jagannath Rao Joshi : She has no right to suspect anyone's motives. Let her speak only on the basis of facts.

Smt. Subhadra Joshi : That is why they were exposed and people rejected them. When the nation was trying to feed and clothe 10 million Bangla Desh refugees, they were calculating the numbers of Hindus and muslims among them. We were, therefore, not only fighting outside of the country but within the country as well.

When constitution of the country has been changed here so many times to suit the changing needs of the nation, why should the law not be changed to bring the instigators of mass violence to book.

These communal parties have declared that all muslim-majority areas in India are virtual pockts of Pakistan and that we cannot equate Indians with aggressors. Regarding Christians, they say that they shall remain our enemies till they cease thinking that they are first the agents of international Christian Brotherhood.

I understand that this virus can not be checked by law alone, we shall have to uproot tais evil on ideological and political planes also. But the people say that when we have rejected them twice, what Government has done towards this end.

I, therefore, request the hon. Minister of Home Affairs to came forward and ban such organisation before the people take law into their hands. I, would therefore request the House to pass the Bill.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

'कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने के लिए विधयक पर विचार किया जाये।"

क्यों कि श्री डागा उपस्थित नहीं हैं, अतः उनका संशोधन पेश नहीं होगा। श्री जगन्नाथराव जोशी।

Shri Jagannath Rao Joshi : In the Select Committee appointed to consider the amendment of Section 153 of the Indian Penal Code, of which I was also a member, I had asked as to what prompted Government to amend it when it is already very comprehensive. I had sought at least one or two instances in support of that amendment. But Government had only one stock reply that they wanted more powers., But this hardly serves the purpose.

Take for instance the resolution penal in ochin by the CPI that they would live to combine ballot with bullet.

श्री एस. एम. बनर्जी : यह गलत है।

Shri Bhogendra Jha : This is not correct. Either he shall prove it or withdraw it. Otherwise it should be expnged.

प्रो० मधु दण्डवते : जोशी जी ने शायद गलत बात कह दी है। यह बात संकल्प में से न होकर। श्री डांगे के भाषण से लेकर कही गई है।

Shri Jagannath Rao Joshi : I stared nobody shall be allowed to preach violence. Similary, I do not wanted hatred, acrimony etc. to be proposated in this country. Why Government acts has helpless spectator even thouh armed with all legal powers.

I want a commission to be apointed to define 'Communalism.' If Government cannot bring about socialism, it means others are standing in the way and spreading hatred. They nationalise Banks and go on taking over one industry after another and if some Party opppses it, will they say that it spreads hatred. All the parties stood behind Government when war was on but still they cartigate the Jana Sanght. Is it not spreading hatred? People like Morarji and Patil were socialists as long as they did not part their company. As soon as they crossed over over to the other side, they were branded reactionaries.

Whenever the country faced aggression, whether from China or from Pakistan. We were in the forefront of strengthening the deference efforts. I myself delievered speech from the Congress stage and declared that in the national crisis there did not arise any question of Congress or the Jan Sangh. Let it be decided as to who is concerned and who encourages communalism by an impartial commission. Let that commission define communalism.

As regards communal riots at Bhiwandi, Jalgaon, Ranchi and Jabalpur, the Government should tell the House as to who were the person responsible for those riots. Whosoever was responsible should be punished irrespective of caste, creed, colour or sex. We had demanded appointment of a commission to go into the causes of riots at Bhiwanid so that the truth may come out as to the responsibility for the riots. The findings of the commission have not been received so far.

The present Bill is unnecessary. Section 153 of the Indian Penal Code, as suitably amended, is already there to meet the situation. The hon. Member should withdraw it. I oppose the Bill.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : माननीय जोशी जी ने पहली यह आपत्ति उठाई है कि विधेयक के उपबंध इसके उद्देश्यों तक नहीं पहुंचते हैं। उनकी आपत्ति है कि जबकि उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा गया है कि विधेयक का लक्ष्य उन विभिन्न संगठनों तथा संघों को इस धारा के अन्तर्गत लाना है जो इन गतिविधियों में लिए है परन्तु विधेयक के वास्तविक उपबन्ध व्यक्तियों पर लागू होंगें न कि संगठनों पर। मेरा निवेदन है कि आपराधिक दायित्व ऐसा दायित्व है जिसका सम्बन्ध व्यक्तिगत सदोषता (कल्पैबिलिटी) से है। आप किसी कम्पनी अथवा संघ को कारावास का दण्ड नहीं दे सकते हैं। इस धारा में संशोधन करने के लिए विभिन्न संशोधनों का आशय उन संगठनों तथा संस्थानों के मूल कारणों का पता लगा कर उन्हें दंडित करने का है जो साम्प्रदायिकता फैलाते हैं।

इस विधेयक की प्रस्तावकर्त्ती प्रशंसा की पात्र है क्योंकि यह विधेयक देश के आपराधिक कानून की त्रुटि को दूर करता है। विभिन्न संगठन लोगों की सामुदायिक भावनाओं को उभारते रहते हैं और उन्हें धार्मिक रूप से कट्टर होने का भी उपदेश देते रहते है। वे अपना कार्य मनमाने ढंग से करते रहते हैं क्योंकि आपराधिक कानून में त्रुटियां है। धारा 153(क) के अन्तर्गत राज-द्रोह सम्बन्धी कानूनी उपबन्ध पर्याप्त नहीं है और इसे व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

काश्मीर में एक ऐसी संस्था है जो छात्रों तथा अन्य लोगों को धार्मिक कट्टरपन का प्रशिक्षण दे रही हैं। उनके पास काफी धन राशि है, पता नहीं वह कहां से आती है। वर्तमान कानून द्वारा हम उन्हें अपराधी नहीं ठहरा सकते। क्या सरकार इन बच्चों को धर्म के सम्बन्ध में पथभ्रष्ट होने दे ?

यदि ये गतिविधियों चलती रहीं तो हम भारत को धर्म-निरपेक्ष कैसे बना सकते हैं ? इन वर्षों के दौरान इन लोगों की गतिविधियां देश में धर्म-निरपेक्ष शक्तियों की प्रगति में बहुत बाधक बनी रही हैं ।

मेरे घर के सामने मैदान में प्रतिदिन जवान लड़के इकट्ठे होते हैं । उनके चरित्र का निर्माण किया जाता हे । साथ ही साथ उन्हें धार्मिक रूप से कट्टर बनाया जाता है जो धर्म निरप्रेक्षता तथा संसदीय प्रजातंत्र की नींव के विरुद्ध हैं । यह सच है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जो सच्चा भारतीय है, उसके लिए चरित्र निर्माण आवश्यक है किन्तु कोई भी संगठन जो केवल सांस्कृतिक गतिविधियों में लिप्त है, किसी भी विचारधारा का ध्यान किये बिना पूर्णतया सांस्कृतिक क्रियाकलापों में ही सीमित रहेगा ।

कहा गया हैं कि बंगला देश के स्वतन्त्र हो जाने से जंन संघ प्रसन्न है । वह इसलिए प्रसन्न है कि इस्लाम राष्ट्र समाप्त हो गया ।

गत चुनावों में, मैं महाराष्ट्र के एक निर्वाचन क्षेत्र में दौरा कर रहा था जहां जनसंघ ने एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा किया था । वहां भी मुझे एक परची मिली जिसमें कहा गया था कि मैंने यह कहने का प्रयास किया कि जन संघ एक साम्प्रदायिक दल है ।

साम्प्रदायिकता की परिभाषा देने के लिए एक आयोग की स्थापना करने की मांग की गई है । यहां यह कहा जा सकता है कि मतदाता ही सबसे बड़ा आयोग है । इस सम्बन्ध में जनता ने अपनी राय दे दी है ।

मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि सत्तारूढ़ दल धर्म-निरपेक्षता का समर्थन करता है तो बिहारी मुसलमानों को यहां क्यों नहीं वापिस आने देता ? मैंने उत्तर दिया कि इस प्रश्न का सम्बन्ध कई बातों से है । साथ ही मैंने प्रति-प्रश्न किया कि ऐसी कौन-सी शक्तियां थीं जिनकी कारण मुसलमानों को बिहार छोड़कर बंगला देश जाना पड़ा ।

यहां यह स्पष्ट कर देना उचित है कि इस कानून को बनाकर कोई राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने का हमारा किंचित मात्र भी इरादा नहीं है । विरोधी दल को ज्ञात होना चाहिये कि हम मतदान पेटिका के माध्यम से राजनीतिक युद्ध लड़ते हैं ।

बंगला देश की स्वतन्त्रता से द्वि-राष्ट्र के सिद्धान्त का भ्रम समाप्त हो गया है । यह सिद्ध हो गया है कि वास्तविक समस्याओं से दूर ले जाकर जनता को धर्म की आड़ में गुमराह नहीं किया जा सकता । साम्प्रदायिकता हिंसा का इतिहास हमारे देश के लिए सदैव लज्जा की बात रही है । इस हिंसा को समाप्त करना है और यह हिंसा तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक उन गतिविधियों को, जो चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, समूल समाप्त नहीं किया जाता ।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन की साम्प्रदायिकता और जातीय गतिविधियां नहीं चलनी चाहिये । हमारा यह भी विश्वास है कि साम्प्रदायिक गतिविधियां सार्वजनिक एकता तथा शांति में ही बाधक नहीं हैं अपितु ये राजनैतिक संस्थानों के स्वस्थ विकास तथा संसदीय प्रजातंत्र के सही संचालन को भी दूषित करती हैं ।

हमने पहले भी अनेक बार मांग की है कि साम्प्रदायिक तत्वों तथा संगठनों और उनकी

गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाये जावें परन्तु भारत में सत्ताधारी दल ही ऐसा है जो देश में साम्प्रदायिकता बनाये हुए है तथा साम्प्रदायिक संगठनों एवं गतिविधियों को प्रश्रय देता रहा है। सत्ताधारी वर्ग ने हमेशा जब कभी आवश्यक समझा है साम्प्रदायिक संगठनों का अपने तथा अपने दल के हितों की सिद्धि के लिए पूरी तरह प्रयोग किया हैं। कई बार सत्ताधारी दल ने देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे भी भड़काए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में केरल में बनी मिली-जुली सरकार में तथा पश्चिम बंगाल की गत लोकतन्त्रात्मक संयुक्त सरकार में और इसी तरह अन्य कई राज्यों में मुस्लिम लीग तथा अन्य सांम्प्रदायिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है।

वर्ष 1969 में जब पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार थी तब कांग्रेस ने कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के प्रयास किये। वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाई थी। फिर केरल में तेल्लीचेरी में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। सरकार तथा सत्ताधारी कांग्रेस दल ने उन्हें फैलने का अवसर दिया। जब तेल्लीचेरी में साम्पदायिक दंगे हुए थे तो किसी भी मंत्री ने उन पर गम्भीरता से विचार नहीं किया तथा दंगों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मैं इस विधेयक की प्रस्तावकर्ती, श्रीमती सुभद्रा जोशी को बधाई देता हूं। परन्तु मुझे इस बात में संदेह है कि साम्प्रदायिक गतिविधियों को रोकने में यह विधेयक पूर्णतया सार्थक सिद्ध होगा। मेरे विचार में साम्प्रदायिक दंगों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही करने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता क्योंकि इन कार्यवाहियों में वर्षों लग जाते हैं।

सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में आप साम्प्रदायिक संगठनों को अन्य धर्म-निरपेक्ष संगठनों के समान अधिकारों के साथ चलने देंगे और कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही करेंगे। इसके अतिरिक्त विधेयक के खंड (ख) तथा (ग) अस्पष्ट हैं। इस तरह दंड संहिता में संशोधन करने से स्थिति में सुधार नहीं होगा। साम्प्रदायिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये और यदि इसके लिये आवश्यक हो तो भारत के संविधान, निर्वाचन विधियों तथा अन्य संगत विधियों में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि भारत के राजनीतिक जीवन में कोई साम्प्रदायिक संगठन अथवा साम्प्रदायिक निकाय भाग न ले सके। सत्ताधारी दल इस विधेयक के खंड (ख) तथा (ग) की भाषा का लाभ उठा सकता है तथा साम्प्रदायिक गतिविधियों को दबाने के नाम से वह इसका प्रयोग जन आन्दोलनों तथा वामपंथी दलों की अन्य कार्यवाहियों को दबाने के लिये कर सकता है। सत्ताधारी दल इन शक्तियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिये कर सकता है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। देश की विधियों में पूर्णरूपेण और व्यापक संशोधन किया जाना चाहिये।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Shrimati Subhadra Joshi deserves congratualations for moving this Bill because the spokesmen of all the parties have spken against communalism, whatever their other objections might be about the Bill. An hon. Member has said that Government should define "Communalism." The people of our country have already defined it. The parties which prefers commualism have been trounced in the recent elections.

Communalism is a cancer in our body politic. Last year, communal riots took place at several places the root-cause of communal riots should be found out.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण आगे अवसर के लिये जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 3 अप्रैल, 1972/14 चैत्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, April 3, 1972 Chaitra 14, 1894 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20, Daryaganj, Delhi-6.